

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30 मार्च, 1984

खण्ड 1, अंक 15

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 30 मार्च, 1984

पृष्ठ संख्यां

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(15) 1
वाक आउट	(15) 9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(15) 10
नियम 45 के श्र-बीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(15) 24
शोक प्रस्ताव	(15) 28
विभिन्न-विषयों का उठाया जाना	(15) 30
सरकारी कार्य की तरतीब में परिवर्तन-	
हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1989 सम्बन्धी	(15) 33
विभिन्न विषयो का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(15) 34
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	
टोके द्वारा गेहूं गाहने के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अलग से आवेदन-पत्र मांगने सम्बन्धी	(15) 39
वक्तव्य	
सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(15) 39

कमेटी औन सुबार्डिनेट लैजिसलेशन कोई पन्द्रहवीं रिपोर्ट पेश करना	(15) 42
बिल्ज	
(1) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 5) बिल, 1984	(15) 42
सदस्य का नाम लेना	(15) 58
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 5) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	
(2) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1984	(15) 66
व्यक्ति स्पष्टीकरण ,	
श्री भले राम द्वारा	(15) 72
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(15) 72
बैठक का समय बढाना	(15) 81
बिल्ज (पुनरारम्भ) –	
(3) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1984	(15) 82
(4) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं ० 2) बिल, 1984	(15) 82
(5) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन' (नं ० 3) बिल 1984	(15) 82

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 30 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान
भवन,

सैक्टर-1 चंडीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तांराकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे ।

Purchase and distribution of Gram Seed in the State

***539. Prof. Sampat Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any gram seed was procured/purchased by the Haryana Government during the years 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83; if so, total quantity and source of procurement/purchase thereof separately ;

(b) whether the seed, referred to in part (a) above, if any, procured/purchased was certified by any Seed Certification Agency;

(c) the rate at which the seed, as referred to in part (a) above, was procured/purchased together with the rate at which and

the agency through which the supply thereof was made to the farmers during the years as referred to in part (a) above; and

(d) whether any gram seed was procured/purchased through the Haryana State Seeds Development Corporation during the aforesaid years; if so, the total quantity thereof togetherwith the quantity of seeds, if any, found sub-standard ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा' जाता है ।

विवरण

(क) जी, नहीं ।

(ख) ऊपर के भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ऊपर के भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) संदर्भाधीन वर्षों के दौरान हरियाणा बीज विकास निगम के जरिए राज्य सरकार द्वारा चने का कोई बीज प्राप्त / खरीद नहीं किया गया था ।

प्रो ० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने किसी भी सोर्स से चने के बीज की कोई खरीद नहीं की । मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी स्टेट की जो सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन है, क्या उसने इस समय के दौरान चने के

बीज की कोई खरीद की है? यदि की है, तो वह किस सोर्स से और किस भाव पर खरीद कर किसानों को किस भाव पर सीड दी है?

चौधरी भजन लाल : इन्होंने पूछा था कि सरकार ने क्या चने का बीज खरीदा है या नहीं । इसका जवाब मैंने दे दिया है कि सरकार ने चने का कोई बीज नहीं खरीदा । अब इन्होंने पूछा है कि क्या सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन ने कोई बीज की खरीद की है । इनको मैं बताना चाहता हूँ कि सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन ने कोई बीज नहीं खरीदा । इस कार्पोरेशन ने अपनी स्टेट की ही हैफेड और एग्रो-इण्डस्ट्रीज जैसी ऐजेंसियों से बीज लिया है, और किसानों को मुहैया करवाया है ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अब मैंने यह पूछा है कि सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन ने जो बीज खरीदा है, वह कितनी क्वांटिटी में है । सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ही बनायी हुई है । सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन बीज की खरीद करने के बाद में ही किसानों को बीज की सप्लाई करती है । यदि इनके पास जवाब है तो बता दे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास रिप्लाय तैयार है लेकिन पूछने वालो को भी तो समझ होनी चाहिए । जो इन्होंने सवाल पूछा था, वह मैं पढ़ कर सुना रूपा हूँ ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह बात ठीक है कि जो सवाल पूछा गया था वह परचेज थू गवर्नमेंट पूछा है । अध्यक्ष महोदय, हमारा इतना तो राइट है कि सप्लीमेंटरी के जरिए हम पूछ सकते हैं कि सीड डिवैल्पमेंट

कार्पोरेशन ने कितने बीज की खरीद की, किस सोर्स से की और किस भाव पर की । यदि इनके पास जवाब है तो बता दें, वरना कह दें कि यह सूचना नहीं है

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना बताने में मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन इन्होंने सवाल दूसरा पूछा था । आप जानते हैं कि सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन सर्टिफाइड सीड ही खरीदती है । सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन किसानों से भी सीड तैयार करवाती है और फिर उनसे उस सीड को जांच करके लेती भी है । मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सूरतगढ में भारत सरकार का एक फार्म है । वहां से यह कार्पोरेशन चने का सीड लेती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि सर्टिफाइड सीड लेकर ही किसानों को बीज दिया जाता है, लेकिन चने के सीड के बारे में कहीं से कोई शिकायत या नुकसान की कोई बात नहीं आई ।

श्रीमती चन्द्रावती : आप को याद होगा कि मैंने और कई लोगों ने शिकायत की थी कि चने का बीज खराब आया है । उस शिकायत के आधार पर ही बाद में वह बीज ऑक्शन किया गया था । मैं जानना चाहती हूं कि उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 1981- 82 के अन्दर चने में बीमारी लग गयी थी । इसी आधार पर हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह सीड ठीक नहीं है । इसलिए यह बीज किसानों को नहीं दिया । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उस बीज को,

जो 8 हजार क्विंटल के करीब था, बाद में ओपन मार्किट में अनाज के रूप में औक्शन करके बेचा गया था ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी बताएने कि जो बीज किसानों को दिया जाता है, उसके अन्दर किसानों को कोई सबसिडी आदि दी जाती हे । यदि दी जाती है तो वह कितनी है?

चौधरी भजन लाल : चने पर जो सबसिडी दी गयी थी वह 150 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से दी थी । 1979-80 के अन्दर 223 रुपये पर-क्विंटल के भाव पर किसानों को चने का बीज दिया गया था । 1980-81 के अन्दर 340 रुपये पर क्विंटल के भाव पर, 1981-82 के अन्दर 450 रुपये पर-क्विंटल और 1982-83 के अन्दर 325 रुपये पर-क्विंटल के हिसाब से किसानों को चने का सीड दिया गया था और इस पर तकरीबन 150 रुपये पर-क्विंटल के हिसाब से सबसिडी दी गयी थी ।

चौधरी हुक्म सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन चन्द्रावती जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो काला बिल्ला लगा रखा हे, यह किस खुशी में लगाया हुआ है?

श्रीमती चन्द्रावती :

.....

चौधरी भजम लाल :

.....

श्री हीरा नन्द आर्य:

.....

डा० भीम सिंह दहिया :

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन आवर है । इस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं । मेरी परमिशन के बगैर जो बातें कही जा रही हैं वह रिकार्ड न की जाएं ।

श्रीमती चन्द्रावती :

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहब, क्या ये बातें रिकार्ड की जा रही हैं?

श्री अध्यक्ष : ये बातें रिकार्ड नहीं की जा रहीं ।

चौधरी भजन लाल :

श्रीमती चन्द्रावती :

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि जो बीज पहले खरीदा गया था, वह ठीक न होने की वजह से ओपन मार्किट में औक्शन किया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि वह बीज किस भाव पर खरीदा गया था, कितना सीड था और बाद में वह किस भाव पर बेचा गया? इस बीज के लेने में और औक्शन करने में कितना फायदा या नुकसान हुआ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बताया था कि सीड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन ग्रोअर से भी बीज की खरीद करती है । 1979-80 में टोटल सीड 10584-54 क्विंटल 220 रुपये पर-क्विंटल के भाव पर किसानों से लिया था । आप जानते हैं कि बीज को सर्टिफाई कराना पड़ता है, दवाई डालनी पड़ती है और फिर उसकी पैकिंग वगैरा करनी पड़ती है । इस लिए हमने उस सोड को बाद में किसानों को 225 रुपये पर-क्विंटल के भाव पर दिया था । इसके अन्दर 150 रुपये सबसिडी भी शामिल है । सवाल यह पूछा गया है कि जो चने का बीज ओपन मार्केट में ऑक्शन किया गया वह किस भाव पर किया गया? अध्यक्ष महोदय, जब सीड खराब हो जाता है तो वह मार्केट में सीड के भाव पर नहीं बेचा जाता बल्कि ओपन मार्केट में जो भाव होता है, उसी भाव पर बेचा जा सकता है, बीज के भाव पर नहीं ।

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, करनाल, रोहतक और झज्जर का एरिया बहुत चना पैदा करता है । क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस एरिया में जमीन की खराबी की वजह से कम चना पैदा हुआ है या बीज में खामी होने की वजह से कम पैदावार हुई है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये किसान के घर में पैदा हुए हैं और मैं भी किसान के घर में ही रहा हूँ, इनको इस बात का पता होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, ऐग्रीकल्चर का महकमा मेरे पास भी रहा है । चने और बाद का आपस में मेल है क्योंकि चना और गवारा फसलें भी हैं और खुद खाद का काम भी देते हैं, लेकिन जिस जमीन में खाद ज्यादा डल जाती है उस में चना कम ही पैदा होता है ।

दूसरी बात यह है कि हाईब्रिड बीज की फसल पैदा करने के लिए अगर खेत में ज्यादा खाद डाल दी जाए और उसके बाद चने की फसल बोई जाए तो उस जमीन में चना कम पैदा होता है ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि किसान खुद बीज तैयार करते हैं । भट्टूकलां और आदमपुर के एरिया में काफी चना पैदा होत है और इन दो मंडियों में काफी चना आता है । क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन मंडियों से किसान का तैयार किया हुआ बीज कितना लया गया और सीड कार्पोरेशन ने आगे कस भाव पर औक्शन किया है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सीड कार्पोरेशन सारी स्टेट से ऐसे सीड को खरीदती है जिसे किसानों ने बनाया होता है । 1979- 80 में 1058.54 क्विंटल, 1980-81 में 7, 359 क्विंटल थोर भारत सरकार के सीड फार्म सूरतगढ से 8,000 क्विंटल खरीदा है । 1981- 82 में किसान का बनाया हुआ सीड 7,651 क्विंटल, सूरतगढ और दूसरी जगहों से 16,921 क्विंटल खरीदा है । इसी तरह से 1982- 83 में किसानों का बनाया हुआ सीड 2, 225 क्विंटल, सूरतगढ सीड फार्म से 240 क्विंटल और हैफड से 1,300 क्विंटल । जहां तक इसको खरीदने के रेट का ताल्लुक है, वह 1979- 80 में 220 रुपये प्रति क्विंटल, 1980- 81 में 300 रुपये प्रति क्विंटल, 1981 - 82 में 405 रुपये प्रति क्विंटल और 1982- 83 में 324 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल था । जहां तक औक्शन करने की बात है, इसका रिकार्ड मेरे पास नहीं है । यह

ओपन औक्शन में नीलाम किय है । जिस तरह से ओपन मार्किट में माल बिकता है उसी तरह से बिका है ।

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय । मुख्य मन्त्री जी ने सवाल के पार्ट (घ) के जवाब में कहा है—

‘सन्दर्भाधीन वर्षा के दौरान हरियाणा बीज विकास निगम के जरिये राज्य सरकार द्वारा चने का कोई बीज प्राप्त/खरीदा नहीं किया गया था “ ।

इसमें तो इन्होंने कहा कि बीज विकास निगम ने नहीं खरीदा । क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह बीज कौन सी ऐजेंसी ने खरीदा है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल में जो प्छ है, वह इस प्रकार है—

“का पूर्वोक्त वर्षों के दौ रान हरियाणा राज्य बीज विकास निगम

के जरिए कोई चर्न का बीज प्राप्त किया गया/खरीदा गया “.

मैंने इसका जवाब दिया है कि हरियाणा बीज विकास निगम के जरिये राजा सरकार द्वारा चने का कोई बीज प्राप्त/खरीद नहीं किया गया था ।

**Land for Cooperative Group Housing Societies
Schemes**

***574. Dr. Bhim Singh Dahiya : Will the Chief Minister be pleased to state—**

(a) whether any land at Panchkula has been acquired **by** the Haryana Urban Development Authority for allotment to the Co-operative Group Housing Societies during the period from 1-1-1981 to 31-12-1983; **and**

(b) if so, per acre price paid therefor togetherwith per acre expenditure, if any, incurred on the development of the aforesaid land ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

डा ० भीम सिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय मेरे सवाल का जवाब 'नहीं' में आया है, हो सकता है अभी जमीन न खरीदी गई हो । वे मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1983 में जो ऐडवर्टाईजमेंट आई थी उसके मुताबिक को-आप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज स्कीम की क्या टर्मज एंड कंडी- शन्ज थी?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दहिया साहब ने यह सवाल दूसरी तरह पूछा है, इसीलिए मैंने 'नहीं' में जवाब दिया है । हुड्डा कोआप्रेटिव हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन ऐक्वायर नहीं करता,

सरकार जो जमीन इसके लिये ऐक्वायर करती है, त्त में से कुछ जमीन सोसायटीज के लिए रिजर्व रखते हैं । रिजर्वेशन करके हम कोआप्रेटिव सोसायटियों को भी देते हैं, ऐक्स-सर्विसमैन को भी देते हैं और हरिजनों को भी देते हैं । इस स्कीम के तहत कई सोसायटियां रजिस्टर्ड हुई हैं । इन सोसायटियों से हमने 31 मार्च, 1984 तक ऐप्लीकेशनज मांगी हैं ।

डा० भीम सिंह दहिया : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन कोआप्रेटिव सोसायटियों को किस कीमत पर जमीन देंगे और हुसकी टर्मज एंड कंडीशनज क्या हैं?

चौधरी भजन लाल : कोआप्रेटिव सोसायटियों के लिए 5 परसेंट से 10 परसेंट तक रिजर्वेशन की हैं और नौ प्रौफिट नौ लौस पर जमीन दी जाएगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन मालिकों से जमीन ली जाती है, उनसे किस कीमत पर ली जाती है और उसके प्लॉट बनाकर जिन लोगों को बेचे जाते हैं, इन दोनों कीमतों में कितना अन्तर है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने किसानों के हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया है । आर्य साहब, जब मन्त्री होते थे तो वे पांच साल पीछे के रेट लगाकर किसान की जमीन के पैसे देते थे और किसान को मुश्किल से 10-12 हजार रुपये प्रति एकड़ की कीमत दी जाती थी । हमने महसूस किया है कि यह किसान

के साथ ज्यादाती है, जो मार्किट रेट है वह किसान को मिलना चाहिए । हमने 80 हजार हें लेकर एक लाख रुपये पर—एकड़ के भाव से जमीन ऐक्वायर की है और इस में डिवैल्पमेंट चार्जिज का खर्चा लगाकर नौ प्रौफिट नौ लोस पर प्लाट दिये हैं । जिस जमींदार की जमीन ऐक्वायर करते हैं उस जमीन में से एक प्लाट किसान को देते हैं ।

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि ऐक्य—सर्विसमैन और हरिजनों को प्लाट दिये जाते हैं । क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजनों के लिए प्लाटों में कितनी रिजर्वेशन रखी है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि कुछ प्राईवेट स्कूल चलाने वाले लोग सरकार से सस्ते दामों पर जमीन ले लेते हैं, लेकिन क्या मुख्य मंत्री जी के नोटिस में है कि ये लोग प्लाट अलाट करवा लेते हैं और ग्रांट लेकर उसे कुछ दिनों के बाद बेच देते हैं?

चौधरी भजन लाल : जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, प्लाटों में हरिजनों के लिए 20 परसैट रिजर्वेशन है, लेकिन वह है छोटे प्लाटों में, बड़े प्लाटों में नहीं है क्योंकि बड़े प्लाटों की बहत भारी कीमत है, वे बेचारे दे नहीं सकते 80 गज से बेकर 150 गज तक के प्लाटों में हरिजनों के लिए रिजर्वेशन रखी है । जहां तक दूसरी संस्थाओं द्वारा प्लाट लेकर बेचने का ताल्लुक है, हो सकता है कुछ प्राईवेट स्कूल! संस्थायें गडबड करती होंय लेकिन स्कूलों को जमीन देनी पड़ती है । अगर किसी एम०एल०ए० के नोटिस में ऐसी बात आई है तो वह हमारे नोटिस में लाए, हम जरूर कार्यवाही करेंगे ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, क्या इधर भी नजरे—अनायत होगी?

श्री अध्यक्ष : जरूर होगी ।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने फरमाया कि कोआप्रेटिव सोसायटीज को जमीन देने का प्रावधान है और सोसायटीज की तरफ से 31 मार्च, 1984 तक प्लॉट्स के लिए ऐप्लीकेशनज मांगी हैं । सीवर साहब, इस वक्त 900 सोसायटीज रजिस्टर हो चुकी हैं और सोसायटी परपज के लिए सात हजार रुपये की मैम्बरशिप रखी है । इन सोसायटीज में से किसी ने भी कोआप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन लेने के लिए एप्लाइ नहीं किया है । इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ने 12 लाख 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का रेट फिक्स किया है और यह सेल प्राईस नोटिफाई कर दी गई है । यह बहुत ज्यादा कीमत है, गरीब लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते । इतनी हाई प्राईस पर जमीन खरीदने के लिए लोग असमर्थ हैं । क्या मुख्य मन्त्री महोदय कम कीमत पर प्लॉट्स देने का प्रावधान करेंगे?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल खास तौ (पर पंचकूला हाउसिंग सोसायटीज के बारे में है । पंचकूला की सोसायटियों का एक डैपुटेशन मुझे मिला था । उन्होंने कहा था कि जमीन की कीमत कुछ ज्यादा है, इसको कम किया जाए । श्री कुलवन्त सिंह, जो प्लानिंग सैक्रेटरी हैं, की अध्यक्षता में इस सिलसिले में मीटिंग

हुई थी । इससे पहले इसका रेट 14 लाख रुपये प्रति एकड़ था । 10 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डिवैल्पमेंट चार्जिज पड़ते हैं जिस में सीवरेज चार्जिज, सड़क की तोड़फोड़, हौस्पिटल्ज का बनाना वगैरा वगैरा आता है । आप जानते हैं कि एक एकड़ जमीन में 55 पर-सैट जमीन अनेक प्रकार की सेवाओं के लिए खाली छोड़नी पड़ती है तथा उन सेवाओं का खर्चा उस पर डालना पड़ता है । फिर भी उस कमेटी ने लगभग डेढ़-दो लाख रुपये एक एकड़ में कम किए हैं ताकि उसे नो लोस और नो प्रोफिट के हिसाब से दिया जा सके ।

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह पता करना चाहता हूँ कि अगर दरखास्तें नहीं आई हैं या कुछ कम आई हैं तो क्या ये दरखास्त आने की लास्ट डेट को थोड़ा आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि पहले यह तारीख, 28 या 29 फरवरी थी । कुछ लोग हमें मिले और कहा कि चुकि वे दरखास्त नहीं दे पाए हैं इसलिए इसकी मियाद बढ़ा दी जाए । उनकी रिक्वेस्ट पर पहले इसे 15 मार्च तक ऐक्सटेंड किया गया, फिर 31 मार्च तक मियाद बढ़ाई गई, जिसका अभी एक दिन बाकी है ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पहले तो मार्किट रेट पर जमीन ली जाती है फिर उस पर कोई 10 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डिवैल्पमेंट चार्जिज डालकर सोसाइटीज वगैरा को दिया जाता है । (विधन) स्पीकर साहब, मैं इनसे

जानना चाहूंगा कि अगर कोई सोसाइटी इनके नौर्मज के हिसाब से उस जमीन को खुद डिवैल्प करना चाहे क्योंकि प्राईवेटली इस काम को कुछ सस्ता किया जा सकता है, तो क्या सरकार उसे अलाऊ करेगी?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर ऐसा नहीं होता है । डिपार्टमेंट स्वयं ही डिवैल्पमेंट करके देता है । उसमें सीवरेज डालना पडता है, सड़कें बनानी पड़ती है, बिजली का काम होता है कंधा और कई काम होते हैं जिन्हें प्राईवेट आदमी नहीं कर पाता । फिर भी अगर कहीं 15-20 एकड़ जमीन किसी सोसाइटी को देने की बात आई और वह सोसाइटी सरकार को यह गारंटी दे दे कि वह खुद उस जमीन को डिवैल्प कर सकती है, जितना पैसा डिवैल्पमेंट का बनता हो उसे वह महकमे के पास जमा करवा दे, तो वेस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है । (विघ्न)

वाक आउट

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुझे बार बार खड़ा होने के बावजूद भी समय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करता हूँ । (विघ्न)

(इस समय श्री मंगल सैन सदन से वाक आउट कर गए ।)

श्री अध्यक्ष : डा ० मंगल सैन यह चाहते हैं कि हर क्वैश्चन पर उन्हें सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दिया जाए जैसे ये ही सारे हाउस के अन्य मैम्बरज से ज्यादा वोटस लेकर यहां आए हैं । ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी को बराबर हक है । (विघ्न) एक तरफ तो ये कहते

हैं कि समय देकर आप हम पर अहसान— नहीं करते लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा समय लेना चाहते हैं । I am not going to bow before him. (इस समय श्री मंगल सैन. सदन में वापस आ गए ।)

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, चूंकि आपने मेरे करे में अभी कुछ कहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हू कि आज मैं कई बार सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया । लगता है कि आपको मेरे प्रति कोई नाराजगी है, रंजिश है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई रंजिश नहीं है ।

श्री मंगल सैन : अगर रंजिश नहीं है तो please do justice to me. अगर मैं सवाल रूल्ज के अनुसार न पूछूं तो आप मुझे रोक सकते हैं, otherwise

I feel that I am being purposely ignored. (Interruptions.)

Mr. Speaker : Not at all.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, मुख्य. मन्त्री जी ने कहा कि मार्किट वैल्यू के हिसाब से जमीन की जाती है लेकिन स्पीकर साहब, लैंड एंक्विजिशन ऐक्ट में यह प्रोवीजन है कि जिस दिन दफा 4 की नोटीफिकेशन होगी उस दिन की वैल्यू ली जाती है । क्या वे इस बात को क्लैरिफाई करेगे? इस के अलावा है मुख्य मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि डिवैल्पमेंट चार्जिज कितने परसेंट आते हैं क्योंकि

आम तौर पर यह देखा गया है कि अगर किसान को 20 हजार रुपए एक पिल्ले के दिए फीते हैं तो उसे बाद में 5 लाख रुपए में बेचा जाता है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय । सैनी साहब वकील हैं और इन्होंने ठो रु ही कहा लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि दफा एं के नोटिस के हिसाब से मगर कीमत दी जाए तो बहुत थोड़ी कीमत देनी पड़ती है क्योंकि किसी जमीन की नोटिफिकेशन 10 साल पहले हुई होगी और किसी की 15 साल पहले हु ई होगी । उस हिसाब से तो किसान को एक एकड के दो हजार रुपए भी नहीं मिलेगे । इसीलिए फ़ैसला किया किया है कि सारी बातों को छोड़ कर के मार्किट रेट के हिसाब से किसान को कीमत दी जाए ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : डिवैल्पमेंट चार्जिज की परसैटेज भी बता दीजिए ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, परसैटेज बताने ।— मुश्किल है । डिवैल्पमेंट चार्जिज जगह के हिसाब से होते हैं । इस में यह भी देखना होता है कि कितनी लम्बी सड़क बनेगी, सीवरेज कितना बिछेगा, बिजली पर क्या खर्च होगा तथा दूसरे कामों पर क्या खर्च होगा ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने अभी बताया कि किसान को मार्किट रेट के हिसाब से कीमत देने का फ़ैसला किया गया है । क्या वे बताएंगे कि यह फ़ैसला कब से लागू किया है?

चौधरी भजन लाल : पिछले साल से लागू किया है ।

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब, हुड्डा के टैक्निकल एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स आदि जो कालोनीज को डिवैल्प करने की कौस्ट असैस कर'ते हैं वह बहुत ज्यादा होती है । मैं मुख्य मन्डी जी से आप के द्वारा यह जानना चाहता हूं कि अगर प्राईवेट इंजीनियर्स और टैक्निकल एक्सपर्ट्स उन प्लाट्स को उन से आधी कीमत पर डिवैल्प करके दे दें और हुड्डा उस से सैटिसफाई हो जाए तो क्या उन्हें डिवैल्पमेंट के लिए जमीन दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब पहले आ चुका है ।

Burning of -Generators of Thermal Plant, Panipat

***588. @Chaudhri Phool Chand and Chaudhri Om**

Parkash : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any of the generators of the Thermal Plant, Panipat, got burnt in October, 1983 ;

(b) if so, the cause of burning togetherwith the period for which the said plant remained inoperative and the loss of revenue suffered as a result thereof ;

(c) whether any enquiry has been held into the causes leading to burning of the generators, if any burnt ; and

(d) if so, whether any employee has been held responsible for negligence ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsheer Singh Surjewala):

(a) Stator of Unit-II at Panipat got damaged in November, 1983, and not in October, 1983.

(b) The exact cause of damage to the stator winding has not yet been established. Preliminary investigations have revealed that the windings got damaged due to failure of winding insulation.

The plant remained inoperative from the first week of November to the end of January, 1984. The loss of generation during the period the unit remained inoperative is estimated at 160 million KW H. Revenue sales from the above energy would be Rs. 6.4 crores @ 40 paise per unit.

(c) Board has since constituted a committee of experts under the Chairmanship of Shri H. R. Kulkarni, ex-Member Technical, Central Electricity Authority to go into the causes of damage and submit its findings within two months.

(d) Report of the expert committee is awaited before the question of responsibility is considered.

Chaudhri Phool Chand : Mr. Speaker, the Hon. Minister has informed the House that the exact cause of damage to the stator winding has not yet been established. He has further stated that it has been revealed in the preliminary investigations that the windings got damaged due to failure of winding insulation. May I know from him whether this failure of winding insulation was initially in the plant or was this winding insulation made in the plant itself under the guidance of the technicians of the plant and if that is so, why have they not been penalised ? Secondly, it has been

stated that a committee of experts has been constituted to go into the causes of damage and to submit its findings within two months. May I know whether this enquiry committee was constituted before or after this question was received ?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, पानीपत थर्मल प्लान्ट का यूनिट नं ० 2, 1980 में कमीशन हुआ था । नौर्मली तीन साल के बाद किसी यूनिट को कैपिटल मँटेनैसं के लिए बंद किय जाता है । इस के तीन साल जुलाई में पूरे हुए लेकिन इसे 2 नवम्बर, 1984 को बंद क्या गया । जब इसे री-कमीशन किया गया तो इस के ज परेटर में फाल्ट पाया गया । उस को ओपन कर के ऐग्ज, मिन किया गया और इस की क्वायल की इन्सुलेशन डिफैक्टिव पाई गई । (विधन) अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस बारे हम किसी फाईनल नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं । जो प्लान्ट अथोरिटीज हैं, उनका कहना है कि यह डिफैक्ट इनहेरैन्ट है, मैनुफैक्चरिंग का डिफैक्ट है, इस वजह से यह फाल्ट हुआ (लेकिन बी ० एच ० ई ० एल ० का कहना है कि रि-कमिर्शानंग के वक्त प्रोपर प्रीकौशन नहीं लिया गया । इस लिए यह फाल्ट हुआ । दोनों पार्टीज की डिफरैन्ट कंटेन्शन्ज हैं । इसीलिये एक ऐक्पर्ट कमेटी कांस्टिच्युट की गई । जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो इस पर ऐक्शन लिया जाएगा ।

चौधरी फूल चन्द : यह कमेटी कब कांस्टिच्युट की गई थी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : 19 मार्च, 1984 को ।

(विधन)

श्री मनफूल सिंह : स्पीकर साहब, यहां कई बार तो अंग्रेजी में बोला जाता है और कई बार हिन्दी में बोल जाता है । एक ही लैंग्वेज का यहां प्रयोग होना चाहिए । (विधन) देखने में यह आया है कि जो तो लिखा होता है उसे अंग्रेजी में पढ़ दिया जाता है लेकिन जब जवाब देना होता है तो हिन्दी में दिया जाता है । अंग्रेजी सब लोगों की समझ में नहीं आती । इसी लए मेरा सुझाव है कि या तो जवाब हिन्दी में दिया जाए या उसका ट्रांसलेशन सी ० एम ० साहब खुद कर दिया करें । (विधन)

10.00 बजे

चौधरी ओम प्रकाश : मन्त्री महोदय ने बताया है कि डिफैक्टिव वाइंडिंग इंसुलेशन की वजह से वाइंडिंगज डैमेज हुई हैं । क्या इंसुलेशन इस वजह से तो खराब नहीं हुई कि फरनेस आयल डिफैक्टिव खरीदा गया था जिसकी वजह से जनरेटर में खराबी हुई । दूसरे मन्त्री जी ने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी इन्क्वायरी के लिए मुकरर की गई है । वह देखेगी कि किस तरह से डैमेज हुआ । क्या मन्त्री जी बताएने कि रिस्पॉसिबिलिटी फिक्स करने के लिए उस कमेटी से कितने दिनों तक रिपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि जनरेटर में फरनेस आयल यूज नहीं होता । कमेटी की रिपोर्ट आने का टाईम दो महीने मुकरर किया गया है ।

राव इन्द्रजीत सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि इसी महीने 19 मार्च को कमेटी कांस्टीच्युट की गई है जबकि उसमें खराबी नवम्बर के महीने में हुई थी । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि नवम्बर से मार्च तक कमेटी कांस्टीच्युट क्यों नहीं की गई?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : 2- 11- 1983 को स्टेटर डैमेज होने की बात नोटिस में आई । 8-11-83 को रिपेअर करने का काम बी ० एच० ई० एल० को दिया गया । 29- 11- 1983 को इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर रिपेअर करेंगे तो बहुत ज्यादा टाईम लगेगा इसलिए दूसरा स्टेटर जो यूनिट नम्बर तीन के लिए लाया गया था चालू कर दिया गया क्योंकि उस समय बिजली की बड़ी भारी दिक्कत थी । उसके बाद सी० ई० ए० से कोरसपौडैन्स की गई, क्योंकि सी० ई० ए० इन्डीपैन्डैन्ट बोर्डो है । इसलिए उसके माध्यम से इन्कवायरी करवाने का फैसला किया गया । इस प्रकार से उस कोरसपौडैन्स में टाईम लगा । इन कारणों की वजह से कमेटी मुकर्रर करने में समय लगा ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या आपके नोटिस में आया है कि थर्मल प्लान्ट के कर्मचारियों ने कुछ डिमान्ड्ज रखी हुई थी? उन डिमान्ड्ज को न मान कर चू कि कर्मचारियों के साथ सज्जी की गई है इसलिए वहां प्लान्ट में गड़बड़ की गई है । क्या इस प्रकार की कम्प्लैन्टस आपके पास आई हैं?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला: सैबोटेज की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास नहीं है और न ही कोई केस है ।

श्री सागर राम गुप्ता : मन्त्री जी ने बताया कि इस डैमेज की वजह से 6.4 करोड़ रुपए के रैवेन्यू का नुकसान हुआ है । यह बड़ा मेजर लौस हुआ है । क्या ये हाउस को विश्वास दिलायेगे कि इन्कवायरी होने के बाद जिस किसी अफसर की जिम्मेदारी पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला: सख्त से सख्त ऐक्शन उसके खिलाफ लेंगे ।

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब. मन्त्री महोदय ने बताया है कि 6.4 करोड़ रुपए का नुकसान डाल ने के बाद बिजली की पर-यूनिट का खर्चा बढ़ेगा । उस खामी को सरकार कैसे पूरा करेगी क्योंकि थर्मल प्लांट की बिजली एक रुपय दस पैसे यूनिट के हिसाब से पैदा होती है.?

चौधरी शम शेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, कौस्ट आफ प्रोडक्शन का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं । नुकसान को आनें नाइजेशन खुद बर्दाश्त करेगी और जिस किसी का भी कसूर पाया गया उस से रिकवरी भी हो सकती है । मैं इसी सवाल के उत्तर में यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले एक दो दिनों – से टोटल जनरेशन पानीपत की दोनों यूनिटों में मैक्सिमम यानी 95 मैगावाट हो रही है । अब हरियाणा की टोटल जनरेशन 1 करोड़ 42 लाख यूनिट तक पहुंच गई है जो आल- टाईम रिकार्ड है । दो दिन से किसी भी सैक्टर में कट नहीं है ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, जस वक्त पानीपत थर्मल प्लान्ट की इरैक्शन हुई श्री, वह बी० एच० ई० एल० के थू हुई थी और इरैक्शन के फौरी बाद हमारे स्टाफ ने चार्ज ले लिया । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उनमें कोई वैल ऐक्सपर्ट स्पैशलिस्ट व जिसने थर्मल प्लान्ट की टैक्नोलोजी का कोर्स पास किया हुआ हो और जनरेशन साईड पर पूरा ज्ञान हो । अ प्वायंट नहीं किया गया भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड ने यह कहा था कि हमने प्लान्ट लगा कर दे दिया है और इसके स्टेटर में कोई खराबी नहीं है । क्या मन्त्री जी बतायेगे कि अब यह किस कारण से खराबी हुई?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, मार्च, 1980 में यह यूनिट कमीशन किया गया था । आज तक जो भी स्टाफ वहां पर लगाया गया है, वह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का बैस्ट स्टाफ लगाया गया है लेकिन बैस्ट स्टाफ लगाने के पश्चात भी हमें कोई संतुष्टि नहीं है । इसी तरह से जो अच्छे इंजीनियर मिले हैं, वे हमने लगाए हैं । ऐसी कोई वजह नहीं है कि हमने ऐसे आदमियों को लगाया है जिनको थर्मल प्लान्ट का ज्ञान नहीं है ।

चौधरी हुक्म सिंह फोगट : मंत्री महोदय ने बता या है कि यह जनरेटर सन् 1980 में चालू हुआ था । इसमें खराबी इसीलिए आ गई कि घटिया किस्म की इंसुलेशन इस्तेमाल की गई थी । क्या इसकी रीवाइडिंग करवाई गई है या वाइंडिंग औरिजनल ही चल रही है? अगर इंसुलेशन घटिया होती तो उसी समय खराबी आ जाती, तीन साल तक जनरेटर कैसे चलता रहा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का विचार है कि इनहैरेन्ट इफैक्ट यानी मैटीरोलोजिकल डिफैक्ट है जिसकी वजह से खराबी आई है । दी ० एच ० ई ० एल ० वाले कहते हैं री-कमीशन के वक्त प्रिकाशन नहीं लिए । दोनों के डिफरैन्ट कन्टैनशंज हैं । इसलिए चार आदमियों की कमेटी बनाई गई है ।

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, मैं मती महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो यह रू मेटी बनाई गई है राह कितने टाइम तक रिपोर्ट दे देगी और इस कमेटी में कौन-कौन मैम्बर बनाये गये हैं?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, यह जो इन्क्वायरी कमेटी बैठाई है इसके चार मैम्बर हैं, एच० आर ० कुलकर्णी जो चेयरमैन हैं, ऐक्स मैम्बर टैक्निकल, सी० ई ० ए० के हैं । श्री आर ० के० शर्मा, डारारैक्टर आप्रेशन, सी० ई ० ए ० एक भारत हैवी इलैक्ट्रीकल के रिप्रेजन्टेटिव और आर० पी ० महन्दीरता एस ० ई ० । हरियाणा इलैक्ट्री। सटी बोर्ड । दो महिने में कमेटी रिपोर्ट देगी । उसकी टर्म आफ रैफरेंस इस प्रकार हैं -

"The Committee will go into the technical causes leading to the damage of the generator stator, identify the cause in commissioning on the part of the concerned organisation and suggest preventive measures in this regard".

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 64 करोड़ का नुकसान हुआ है । इस तरह के डेमेजिज

और लोसिज सब पहले भी हुए होंगे । क्या उन केसिज में कोई इन्कवायरी करवा कर सम्बन्धित आफशिगल के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया है? अगर लिया है तो पिछलो चार सालो में क्या लिया है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : हरियाणा में इससे पहले कोई भी स्टेटर डै मेज नहीं हुआ है और न ही कोई इन्कवायरी हुई है । हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स में स्टेटर डैमे ज हुए हैं । हरियाणा में यह पहला मौका है ।

Cases of murder and robbery in the State

***673. Chaudhri Om Paraksh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise number of murder cases registered in the State during the years 1981, 1982 and 1983;

(b) whether any cases, out of those referred to in part (a) above, relating to Beri Constituency have remained untraced, if so, details of all such cases togetherwith the reasons for remaining untraced ; and

(c) the district-wise number of cases of theft and robbery occurred in the State during the years 1981, 1982 and 1983 together-with the number of cases out of them, if any, so far remaining untraced alongwith the reasons therefor ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : (क), (ख) व (ग) सूचना सदन के पटल पर रखा जाती है ।

सूचना

(क)

जिला	दर्ज हुये हत्या के मुकदमों की संख्या		
	1981	1982	1983
अम्बाला	19	18	38
कुरुक्षेत्र	34	31	30
करनाल	38	31	38
जीन्द	36	29	37
हिसार	67	52	44
नारनौल	18	19	15
भिवानी	18	19	28
सिरसा	29	29	27
गुडगावां	23	18	24
फरीदाबाद	25	29	20

रोहतक	40	48	47
सोनीपत	27	19	18
जोड़	374	342	366

(ख)

भाग (क) में दिये गये मुकदमों में से बेरी हल्का से सम्बन्धित अदमपता भेजे गए हत्या के मुकदमों की संख्या रु

हां, केवल एक मुकदमा नं. 123 दिनांक 15- 11- 82 धाराधीन 302 भा.द.स. थाना बेरी वर्ष 1982 में बेरी हल्का का अदमपता भेजा गया । इस मुकदमें में एक तीन वर्षीय बच्चे को गला वोट कर गांव महमूद पुर के पास एक कुएं में फँका दिया गया था । इस मुकदमें में मृतक बच्चे के माता-पिता की किसी के साथ दुश्मनी अथवा द्वेष भावना होनी नहीं पाई गई । स्थानीय पुलिस द्वारा भरसक प्रबलों के बावजूद भी दोषियों का कोई सुराग नहीं चल सका, इसलिए अदमपता रिपोर्ट भेजी गई । ज्योंही इस मुकदमों का कोई नया सुराग मिलेगा तो तुरन्त फिर से अनुसंधान आरम्भ कर दिया जायेगा । (ग) (1)

जिला	दर्ज हुये मुकदमों की संख्या :-					
	1981		1982		1983	
	चोरी	लूट	चोरी	लूट	चोरी	लूट

अम्बाला	477	9	444	8	418	11
कुरुक्षेत्र	396	9	428	3	331	5
करनाल	553	6	487	3	506	3
जीन्द	205	3	195	8	145	11
हिसार	476	15	342	2	329	3
नारनौल	266	4	222	3	223	4
भिवानी	159	5	124	5	110	.
सिरसा	160	6	127	9	92	6
गुडगावां	546	7	265	9	251	13
फरीदाबाद	324	16	396	16	412	15
रोहतक	351	6	275	9	218	8
सोनीपत	257	4	218	1	220	7
जोड	4170	90	3523	76	3255	86

(2)

जिला	अदमपता भेजे गये मुकदमों की संख्या, कारण सहित -
------	--

	1981		1982		1983	
	चोरी	लूट	चोरी	लूट	चोरी	लूट
अम्बाला	211	2	131		102	1
कुरुक्षेत्र	176		201		80	
करनाल	149		181	1	113	
जीन्द	75		67		44	
हिसार	182	4	135	2	81	1
नारनौल	98		91		50	
भिवानी	69		50		30	
सिरसा	67	2	49	2	14	
गुडगावां	257	3	138	2	71	
फरीदाबाद	214	3	151	2	64	1
रोहतक	126	2	121	2	44	
सोनीपत	103		74		57	
जोड	1727	16	138 9	11	750	3

स्थानीय पुलिस द्वारा भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी उपरोक्त मुकदमों में दोषियों का कोई सुराग नहीं चल सका । इसी लिए इन मुकदमों में अदमपता रिपोर्ट भेजी गई ।

चौधरी ओम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने जवाब में यह फरमाया है कि बेरी हल्के का एक केस ऐसा है जो ट्रेस नहीं हो सका है । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह ट्रेस न हो सकने के क्या रीजन्ज या कारण है जिसकी वजह से यह ट्रेस नहीं हो सका । इन्होंने यह बताया है कि अनटेरस्ड रिपोर्ट इस बारे में भेजी गई है मैं यह जानना चाहूंगा कि इस केस के बारे में कब यह अनटेरस्ड की रिपोर्ट भेजी गई है? इन्होंने यह भी लिखा है कि अगर कोई फ्रैश क्लू इस मामले में मिल जाएगा तो इस केस को री-ओपन कर दिया जायेगा । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में अनटेरस्ड की रिपोर्ट भेजने के बाद कोई फ्रैश क्लू मिला है या नहीं मिला है, अगर मिला है तो इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश की बात ठीक है । यह मुकदमा सं ० 123 दिनांक 15- 11 - 1982 को धाराधीन 302 थाना बेरी, वर्ष 1982 में बेरी हल्का का अदमपता भेजा गया । इस मुकदमें में एक तीन वर्षीय बच्चे को गला घोंट कर गांव महमूदपुर के पास एक कुएं में फेंका गया था । इस मुकदमें में मृतक बच्चे के माता-पिता की किसी के साथ दुश्मनी तथा द्वेषभावना नहीं थी । स्थानीय पुलिस द्वारा इस बारे में भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी दोषियों का कोई सुराग नहीं चल सका है । इसलिए अदमपता रिपोर्ट

भेजी गई है । ज्यों ही इस मुकदमें का कोई नया सुराग मिलेगा तो तुरन्त फिर से कार्यवाही आरम्भ की जाएगी ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने श्री ओम प्रकाश के सवाल के जवाब में जो इन्फर्मेशन आन दी टेबल आफ दी हाउस रखी है उसके पृष्ठ एक पर यह दिया हुआ है कि हिसार में 1981 में 87, 1982 में 52 और 1983 में 44 मर्डर हुए हैं । इसी तरह से रोहतक के बारे में जो इन्फर्मेशन दी है वह क्रमश 40, 48 और 47 है । आप देखिए कि हिसार में तो मर्डर केसिज का नम्बर घटा है । रोहतक में मर्डर केसिज की संख्या खास तौर पर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और फरीदाबाद के मुकाबले में ज्यादा है । मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इन जिलों में मर्डर केसिज का नम्बर कम क्यों है और रोहतक जिले में ज्यादा कत्ल केसिज होने का क्या कारण है? हिसार जिले में तो बहुत ज्यादा कत्ल इन दिनों में हुए हैं । उनके कम रजिस्टर होने का कारण कहीं पोलीटीकल इन्टरफीयरेन्स यानि राजनैतिक हस्तक्षेप तो नहीं है या कोई और कारण हे?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जो आंकड़े मैंने यहां पर बताएं है, यह आंकड़े सही हैं । हिसार जिले में अगर कत्ल कम होने लगे हैं तो इनको इस बात की खुशी होनी चाहिए । (व्यवधान व शोर) अध्यक्ष महोदय, कल का कोई भी ऐसा केस नहीं होता जो दर्ज न होता हो । अगर कोई आदमी जान बूझकर इस वारे में कोताही करता है और रजिस्टर नहीं करता है तो लोग कोर्ट में इस्तगासा कर देते हैं । फौरन

लोग उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं । इसलिए कत्ल के मामले छुपे नहीं रहते । जो आंकड़े दिए हैं वह बिल्कुल सही हैं ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सवाल के जवाब में लिस्ट दी है जिसमें मर्डर, थैफट और रौबरी केसिज के बारे में बताया गया है । मैं इ नसे यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने केसिज में डिस्मिशन हुआ है और उनमें से कितने केसिज में एक्वीटल और कितनों में कन्वीक्शन हुई है? इनमें से डाउरी डैथ केसिज कितने हैं?

चौधरी भजन लाल: जो मुकदमों दर्ज हुए हैं, उनमें से कितनों में चालान पेश हुआ है कितनों में सजा हुई, कितने बरी हुए, कितने न्यायालय में पैडिंग हैं, यह इन्फर्मेशन मैं तीनों सालों की बता देता हूं । वर्ष 1981 की इन्फर्मेशन इस प्रकार है -

जिला	दर्ज हुए मुकदमों की संख्या	चालान हुए	सजा हुए	बरी हुए	न्यायालय में लम्बित
अम्बाला	19	14	6	8	..
कुरुक्षेत्र	34	30	9	13	8
करनाल'	38	33	16	15	2
जींद	36	36	6	23	7

हिसार	67	57	9	38	10
नारनौल	18	12	6	6	.
भिवानी	18	16	9	6	1
सिरसा	29	24	7	11	6
गुडगावां	23	19	3	4	12
फरीदाबाद	25	20	11	8	1
रोहतक	40	33	20	12	1
सेनीपत	27	18	8	8	2

वर्ष 1982 की इन्फर्मेेशन इस प्रकार है. :--

अम्बाला	18	17	5	11	1
कुरुक्षेत्र	31	31	2	4	25
करनाल'	31	27	10	16	1
जींद	29	25	5	18	2
हिसार	52	49	7	19	23
नारनौल	19	17	6	10	1

भिवानी	19	13	8	3	2
सिरसा	29	26	14	10	2
गुडगावां	18	17	-	3	14
फरीदाबाद	29	24	4	10	10
रोहतक	48	41	19	20	2
सेनीपत	19	12	5	5	2

वर्ष 1983 की इन्फर्मेेशन इस प्रकार से हे :-

जिला	दर्ज हुए मुकदमों की संख्या	चालान हुए	सजा हुए	बरी हुए	न्यायालय में लम्बित
अम्बाला	38	20	1	5	14
कुरुक्षेत्र	30	16			16
करनाल'	38	28	3	4	21
जींद	37	34		6	28
हिसार	44	34	2	1	31

नारनौल	15	12	3	2	7
भिवानी	28	22	4	3	15
सिरसा	27	21		3	18
गुडगावां	24	16		2	14
फरीदाबाद	20	10	1	2	7
रोहतक	47	21	3	5	13
सेनीपत	18	11		5	6

श्री मंगल सैन : मुख्य मंत्री जी ने जो फिगरज 198 1, 1982 और 1983 की दी हैं उनको देखकर पता लगता है कि केसिज में कविक्षान बहुत पूअर हुई है । क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पूअर कविक्षान होने का कारण यह तो नहीं है कि जो मुकदमा दर्ज करने वाली ऐजन्सी थी उसने एफ ० आई० आर ० ठीक से दर्जन की हो या प्रोसीक्यूशन की स्टेज पर ठीक ढंग से ऐवीडेंस वगैरह न हुई हों? क्या इस बारे में कोई इंक्वायरी की गई हे?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप भी वकील हैं और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कोर्ट में बहुत सी बाते देखी जाती हैं । कई दफा शक का फायदा मुलजिम को दे दिया जाता है । फर्ज किया किसी केस में चार गवाह हैं । एक गवाह कुछ कह देता है, दूसरा गवाह कुछ कह देता है और तीसरा गवाह कुछ और कह देता है

। सरकार की तरफ से कभी कोई कोताही नहीं होती । सरकार की तरफ से पूरी पैरवी की जाती है और सरकार चाहती है कि दोषी को सजा मिले । इस बारे में इंकवायरी करने का कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री कंवल सिंह : मुख्य मन्त्री जी ने डा ० साहब के सवाल के जवाब में करा है रु गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की इंटरफीयरेंस का सवाल नहीं है । क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई डाक्टर अपने एम ०एल०सी ० में गन शॉट्स की रिपोर्ट देता है क्या वह अटैम्पटिड मरडर है या 324 के अन्डर आएगा और क्या आदमपुर में किसी केस में कोई दबाव नहीं डाला गया?

Mr. Speaker : No, this is a case of legal opinion.

श्री किताब सिंह : क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1981, 1982 और 1983 में हत्याओं के जो केस दर्ज हुए उनमें कितने ऐसे केस हैं जिनमें लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं और क्या उनके खिलाफ एफ ०आई ०आर ० दर्ज हुई हे?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, सवाल 3०2 और चोरी के केसिज के बारे में पूछा गया था । इसलिए यह सप्लीमेंटरी क्वैश्चन से पैदा नहीं होती ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मुख्य मन्त्री जी ने डा ० मंगल सैन के सवाल के जवाब में बताया है कि केस रजिस्ट्रेशन के समय पुलिस की तरफ से किसी कोताही के बारे में शिकायत नहीं मिली और न प्रोसीक्यूशन के समय किसी कोताही की शिकायत मिली और न ही

पुलिस की इन्वैस्टीगेशन के बारे में किसी कोताही की शिकायत मिली । स्पीकर साहब, चोटाला में एक मर्डर हुआ । जब इन्वैस्टीगेशन चल रही थी उस वकत मरने वाले की वीवी ने और कई और लोगों ने ब्यान दिए कि थाने के अन्दर फायरिंग हुई और आदमी मार दिया गया । क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस केस में सरकार की तरफ से इन्वैस्टीगेशन के टाईम इंटरफीयरेंस करके गड़बड़ नहीं की गई?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है । चोटाला में कत्ल हुआ था और उस समय चौधरी वीरेन्द्र सिंह और चौधरी देवी लाल ने इस बारे में काफी कुछ कहा था । स्पीकर साहब, चोटाला में जो कत्ल हुआ उसमें रात के अन्धेरे में किसी आदमी ने गोली मार दी और जिसको गोली लगी वह मर गया । उस कत्ल में जिस आदमी का नाम लिया गया है मैं उसका नाम भी बता देता हूं । स्पीकर साहब, उसमें ओम प्रकाश हिटलर का नाम लिया गया । पुलिस ने बाकायदा इन्क्वायरी की । सरकार की तरफ से किसी इंटरफीयरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता । ओम प्रकाश को खाना नम्बर दो में भेज दिया गया है । कोर्ट मुनासिब समझेगी तो उसको तलब कर सकती है ।

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, 198 1 में रोहतक में चोरी के केस हुए 351, 1982 में हुए 275 और 1983 में 218 । इसका मतलब यह हुआ कि चोरी के केसिज रोहतक में घट रहे हैं । रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हालत यह है कि कोई भी आदमी जब चोरा की रिपोर्ट

थाने में दर्ज कराने जाता है तो थानेदार उस आदमी को गाली देता है और धमकाता है । इस कारण से कुछ लोग तो वहां से बगैर रिपोर्ट दर्ज कराये वापिस आ जाते हैं । क्या मुख्य मस्ती जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से कहीं इस तरह की हिदायत तो नहीं दी हुई है कि रिपोर्ट दर्ज करने से पहले उस आदमी को पहले गाली दी जाए और धमकाया जाए?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, सरकार ने वह हिदायत की हुई है कि जो कोई आदमी रिपोर्ट लिखाना चाहे फौरन ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए, केस दर्ज किया जाए और उस केस की पूरी इन्क्वायरी को जाए । इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं और पुलिस ने सब में बड़ी अच्छी तरह से इन्वैस्टीगेशन की है । हमारी स्टेट की पुलिस बड़ी ऐफीशियेंट है, उसकी कितनी प्रशंसा की जाहू वह कम है । अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट में 1982 में 2 करोड़, 18 लाख 87 हजार और 758 रुपए का माल चोरी गया और इसमें से 1 करोड़ 79 लाख 85 हजार और 412 रुपए का माल बरामद हुआ जोकि अस्सी परसेंट है । 1983 में 2 करोड़, 16 लाख 70 हजार और 542 रुपए का माल चोरी गया और 1 करोड़ 70 लाख 24 हजार और 484 रुपए के माल की बरामदगी हुई । इसके लिए हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी तारीफ करें उतनी ही कम है ।

चौधरी फूल चन्द : मैं मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में आना चाहता हूं कि बहुत सारे चोरी के केसिज तब तक दर्ज नहीं होते जब सेंक पुलिस वालों को यह पता न लग जाए कि चोरी का माल मिल

जाएगा क्योंकि अगर वह माल नहीं मिला तो वह अनट्रेसड केस रह जाएगा । क्या मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार की हिदायत जारी करने की कृपा करेंगे कि केस ट्रेस हो या न हो जो कोई भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए उसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज की जाए?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हमने बार बार हिदायत जारी की हुई हैं कि जो भी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आए उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए और यही कारण है कि चोरी की ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हुई हैं । यही नहीं हमने कहा हुआ है कि स्टेट में किसी प्रकार का क्राईम हो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए । जो भी व्यक्ति थाने में आए और जो कुछ भी वह लिखवाना चाहे वह लिखा जाए और लिखने के बाद उसकी जांच की जाए । कोई भी आदमी अगर दोषी पाया जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए ।

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, जो जवाब दिया गया है उसको देखने से पता लगता है कि अम्बाला में 1981 में 19 मर्डर हुए 1982 में 18 मर्डर हुए और 1983 में 38 मर्डर हुए । सभी जगह मर्डर की संख्या घटी है लेकिन अम्बाला में बढी है हालांकि टोटल मर्डर की तादाद 1981 में 374 है, 1982 में 312 और 1983 में 386 है । इसका मतलब यह है कि टोटल तादाद छटी है । क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला में मर्डर केसिज बढने का क्या कारण है?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, अम्बाला जिला बड़ा जिला है ओर अगर— सब जिलों की साल की ऐवरेज देखें तो एक दिन में एक ही केस पड़ता है जो ज्यादा नहीं है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, 5 अगस्त, 1981 को लोहारू थाने में प्रताप नाम के व्यक्ति के कत्ल के बारे में पंचायत ने पर्चा दर्ज कराया । हकीकत यह है कि वह व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में मारा गया था लेकिन उसको जींद में रेल के नीचे कटा हुआ दिखा दिया । क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह बात ठीक है?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, यह बात कहना कि वह पुलिस की कस्टडी में मारा गया था, बेबुनियाद है । वह चोरी के केस में इन्वाल्व था । वह भागकर भिवानी से जींद आ गया था और रेल के नीचे आकर कट गया था ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित
प्रश्नों के लिखित उत्तर

Up-gradation of Schools

***613. Chaudhri Dhirpal Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether any school in the Badli constituency has been upgraded during the year 1983-84; and

(b) if so, the name thereof?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) :

(क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Canal Water for District Mahendergarh

***627. Shri Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the sub-division wise quantity of canal water provided to District Mahendergarh during the year 1983-84; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the supply of canal water to District Mahendergarh ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला)

:

(क) (1) महेन्द्रगढ़ सब डिवीजन — 18159 क्यूसिक्स
दिन

(2) नारनौल सब डिवीजन — 3600 ..

(3) रिवाडी सब डिवीजन — 10846 ..

(ख) इस समय जिला महेन्द्रगढ़ के जमींदारों को यमुना नदी में फालतू पानी की उपलब्धी अनुसार पानी दिया जा रहा है । रबी

फसल के दौरान भी दो तीन बार पानी दिया जाता है । महेन्द्रगढ जिले की नहरें सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से रावी व्यास के पानी के प्राप्त होने पर अपने हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करेगी ।

Cooperative Credit and Service Societies in the State

***620. Chaudhri Nar Singh Dhanda :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state the total number of Cooperative Credit **and** Service Societies in the State at present togetherwith the number **of** societies out of them, if any, running into loss separately and **the** reasons, if any, therefor ?

सहकारिता तथा डेरी विकास मन्त्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह):
राज्य में 2598 सहकारी ऋण एवं सेवा समितियां हैं जिनमें से 923 समितियां हानि में चरन रही हैं ।

समितियों में हानि होने के मुख्य कारण हैं --

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्राकृतिक प्रकोपों जैसे कि बाढ़, सूखा के कारण मूल तथा व्याज की वसूली का कम होना, एवं

2. कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों में संशोधन के कारण खर्च में बढ़ौतरी ।

Flood Havoc in Ambala Cantt.

***696. Seth Ram Das Dhamija :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) Whether the Government is aware of the fact that Gurguria Nallah causes floods in Ambala Cantt. during rainy season; and

(b) if so, the steps ; if any, taken or proposed to be taken to prevent the same ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) नहीं, असामान्य वर्षा ऋतु के दौरान कुछ पानी झांटा हो जाता है । (ख) गुडगुडिया नाला को एम ० ई ० एस० प्राधिकारियों द्वारा चौड़ा एवं पक्का किया जाना है । तत्पश्चात इस नाले के एक सपैन में से रेल प्राधिकारियों द्वारा मिट्टी को हटाया जाना है । एम ० ई ० एस ० तथा रेल प्राधिकारियों को इन कार्यों को तत्परता से करने के लिए बल दिया जा रहा है ।

Mini Secretariat at Panipat

***707. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini-Secretariat at Panipat ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Secretariat is likely to be constructed ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा) :

(क) नहीं जी ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

Farmer's Rest House at Gohana

***719. Shri Kitab Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Farmers' Rest House at Gohana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Rest House is likely to be constructed ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Losses in Panipat Sugar Mills

***725. Shri Manphool Singh :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether the Government has investigated the reasons for the losses being suffered by the Panipat Sugar Mill, if so, detailed reasons on account of which the losses are being suffered by the said mill ?

सहकारिता तथा डेरी विकास मन्त्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) :
हां ।

पानीपत चीनी मिल में हुई हानियों के निम्नलिखित कारण हैं
:—

1 वर्ष 1975- 76 से 1976- 77 के दौरान सयंत्र का विस्तार और त्रुटि के कारण अतिरिक्त क्षमता क प्रयोग न होना ।

2. वर्ष 1977- 78 में चीनी के मूल्यों में गिरावट ।

3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुविधानक गन्ने के भाव की अपेक्षा चीनी मिलों द्वारा अधिक गन्ने का भाव देना ।

4. ब्याज का अधिक प्रभार ।

5. स्टाफ की अधिकता ।

Installation of Gobar Gas Plants in the State

***723. Shri Neki Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Gobar Gas Plants installed during the last five years in the State; and

(b) the detail of subsidy, if any, given to the beneficiaries for the installation of the aforesaid plants ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(ए) तथा (बी). विवरण सदन के पटल पर रखा जात'। है ।

विवरण

(ए) राज्य में गत 5 वर्षों में स्थापित किये गए गोबर गैस	(बी) भाग (ए) में वर्णित बायोगैस सयंत्रों की स्थापना के लिये लाभ
---	---

सयंत्रों की संख्या	प्राप्त- कर्ताओं को दिये गये अनुदान का ब्यौरा, यदि कोई हो ।
--------------------	---

वर्ष	लगाये गये सयंत्रों की संख्या'	वर्ष	वितरित अनुदान की राशि
979-80	33	1979-80	39,661-50
980-81	11	1980-81	17,3392-55
1981-82	4	1981-82	-
1982-83	2259	1982-83	45,25,670-00
983-84	2158 (29-2-84 तक)	1983-84	26,50,830-00 (29-2-84 तक)
कुल	4465	कुल	72,33,501-05

शोक प्रस्ताव

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, मैं यहां बड़े दुख के साथ यह बताना

चाहता हूँ कि कल हमारे एक कुलीग सरदार लछमन सिंह जी की माता का देहान्त हो गया इसलिये मैं यह चाहूंगा कि लीडर आफ दी हाउस सदन में एक शोक प्रस्ताव लाएं और उसको पारित किया जाए ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, कल हमारे एक कुलीग सरदार लछमन सिंह जी की माता का देहान्त हो गया ।

इसका मुझे बेहद दुःख है । मैं आपके द्वारा सदन से और आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि उनकी माता जी के बारे में शोक प्रस्ताव पर चर्चा की जाए और इसे पारित किया जाए ।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने एक शोक प्रस्ताव हाउस में प्रस्तुत किया है कि हमारे एक हाउस के आनरेबल मैम्बर सरदार लछमन सिंह जी की माता जी का कल देहान्त हो गया है । सरदार लछमन सिंह जी हमारे बड़े ही पुराने साथी हैं । मां का साया बड़ा भारी साया होता है । सिर से उस साये का उठ जाना पुल पौत्रों व सारे परिवार के लिये बड़ा ही दुखदाई होता है । हम सब मिलकर यह याचना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि सरदार लछमन सिंह व उनके परिवार को माता जी का दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे । परिवार को ईश्वर इस तरह की क्षमता प्रदान करे ताकि वे माता जी के दुःख को सहन कर सकें और माता जी के मन को शान्ति मिले । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद) : स्पीकर साहब, यह बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे एक आनरेबल मैम्बर सरदार लछमन सिंह जी की माता जी का कल अचानक देहान्त हो गया है । जिसके बारे में मुझे तो अभी पता चला । स्पीकर साहब मां का साया तो सचमुच एक अद्भुत चीज होती है । मैं तो इसका भुगत- भोगी हूँ क्योंकि मैंने तो बचपन से ही मां का प्यार नहीं पाया । बचपन से ही माता जी के चले जाने के कारण, मैंने मां का सुख नहीं पाया । मां जितनी भी उम्र की

हो, मां ही होती है । इसलिये मैं अपने और अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि सरदार लछमन सिंह जी को और उनके समस्त परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे । यह जो क्षति इनके परिवार को हुई है, इस के लिये ईश्वर इनको इतनी शक्ति दे कि वे इस दुःख को सहन कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ ।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा) : स्पीकर साहब, हमारे इस हाउस के एक साथी सरदार लछमन सिंह जी की माता का देहांत हो गया है और इस बारे में जो प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस ने यहां हाउस में रखा है मैं अपनी और अपने दल की ओर से इसका समर्थन करती हूँ । मेरी इस बारे में पूर्ण सहानुभूति सरदार लछमन सिंह जी और उनके परिवार के साथ है । हम सब उनके इस दुःख से दुःखी हैं । कल जब वे वोट डाल रहे थे, तो हमने अपनी पूरी सहानुभूति उनसे प्रकट की थी । माता जी की आयु अच्छी थी और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, ऐसा सरदार लछमन सिंह जी बता रहे थे । लेकिन फिर भी मां के जाने का दुःख बहुत बड़ा दुःख होता है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती । अन्त में एक बार फिर यह कहूंगी कि हम सब की सहानुभूति सरदार साहब के और उनके परिवार के साथ है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब कल सदन चल रहा था तो अचानक ही खबर मिली कि सरदार लछमन सिंह जी की माता का अचानक देहान्त हो गया है । इसी वजह से

सरदार लछमन सिंह जी कल सदन में नहीं बैठे थे । जब सरदार लछमन सिंह जी को इस बात का पता चला तो वह कल ही अपने गांव कर्णपुर में जहां कि उनकी माता जी रहती थीं, चले गये और फिर उनका दाह संस्कार करके, जो राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी उसमें शरीक हुए । मुझे बड़ा खेद है कि माता का साया जब सिर से उठ जाता है तो बहुत ही बुरी बात होती है क्योंकि स्पीकर साहब, मां का साया ही इन्सान के जीवन में एक अहम चीज होती है । पिता का प्रेम तो फिर भी सैलफिश हो जाता है लेकिन मां कभी भी सैलफिश नहीं हो सकती, कभी भी मां अपने बच्चों के सा व, अपने परिवार के साथ स्वाथी नहीं हो सकती । बेटा कुछ भी करे, कही भी हो, मां का दिल उसके साथ रहता है और मां के मु ह से सदा बेटे के लिये दुआएं ही निकलती हैं । हर माँ अपने बेटों के दिल में ही निवास करती है । माता जी की आयु 87 वर्ष की थी और वह गांव में ही रहती थीं लेकिन उनको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी । अचानक ही उनका स्वर्गवास हो गया और यह अच्छी बात है कि चलते फिरते उनका देहान्त हुआ और वे पुत्र पौत्रो और अपने सारे परिवार को सुखी देखते हुए इस संसार से परलोक सिधारे । मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान सरदार लछमन सिंह जी को इस दुःख को बरदाश्त करने की शक्ति दे । इन शब्दों के साय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आनरेबलं मैम्बरज, मेरे भी वही सैन्टीमैन्टस हैं जो सारे हाउस के हैं । मुझे भी कल बहुत लेट सरदार लछमन सिंह जी

की जवानी यह पता चला कि उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है । इसी कारण से हम माता जी के दाह संस्कार में हाजिर नहीं हो सके । बड़े दुःख की बात है और जैसे आप सब की भावनाएं हैं, मां का प्यार, मां का साया एक बड़ी चीज है । सरदार लछमन सिंह जी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ हम सब इस दुख में शामिल हैं । यह ठीक है कि जो आगा है उसने एक दिन जाना ही है । फिर जैसा आप सब ने कहा कि माता जी अपनी पूरी उम्र भोग कर गये हैं, उनकी अच्छी सेहत रही और उनको कोई बीमारी नहीं थी । अचानक ही उनका इस दुनिया से चलता हो गया इस मामले में मैं सरदार लछमन सिंह जी के साथ पूरी हमदर्दी रखता हूँ । अन्त में, मैं यह कहता हूँ कि जो उसकी रजा है, जो भगवान की मर्जी है, उसके सामने हम सब को अपना सिर झुकाना पड़ता है । अतः मैं यह अरदास करता हूँ कि भगवान माता जी को अपने चरणों में स्थान दे और सरदार लछमन सिंह जी व उनके परिवार वालों को बल बख्शो जिससे वे ईख दुःख को सहन कर सकें । मैं सदन की गहरी भावनाओं और हमदर्दी के आगे शोककदा परिवार तक पहुंचा दूंगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रदांजलि अर्पित करता हूँ और हाउस से यह प्रार्थना करता हूँ कि सब खड़े होकर उस पवित्र आत्मा के सम्मान के लिये दो मिनट का मौन (इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया ।)

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : स्पीकर साहब,

.....
(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल जो राज्य सभा के इलैक्शन हुए, उस बारे में हम कोई बात इस हाउस में डिस्कस नहीं कर सकते । डा ० साहब मेरी इस बात से सहमत होंगे । इस बारे में जो मैम्बर मेरी परमिशन के बगैर बोलेगा वह रिकार्ड पर नहीं आएगा ।

डा ० भीम सिंह दहिया : स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं । मैं इलैक्शन के बारे में बात नहीं 'कहना चाहता लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने क्वेश्चन आवर में तीन आदमियों का नाम लिया कि वे चौधरी चरण सिंह को दिल्ली में कुछ कह कर आए हैं । इसलिये आप मुझे इजाजत दें कि मैं इस बारे में

श्री अध्यक्ष : डा ० साहब, आप बैठिये । देखिये मैंने मुनासिब समझा है कि वह गलत बात है । चाहे बात इधर से कही गई है या उधर से कही गई है वह रिकार्ड में नहीं आएगी डायरेक्टली और इन-डायरेक्टली चौधरी चरण सिंह के बारे में कोई बात नहीं आई और आपके बारे में भी कुछ रिकार्ड में नहीं आया ।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने क्वेश्चन आवर में में कहा था । (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूँ कि वह रिकार्ड में नहीं आया है

।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने वाजह फरमाया कि इलैक्शन के बारे में जो भी यहां पर बात कही गई चाहे मुख्य मंत्री जी की ओर से या अपोजीशन की ओर से, वह रिकार्ड में नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए । अगर आएगी तो हमें भी कुछ कला पड़ेगा । स्पीकर साहब, मैं दूसरे विषय की ओर आता हूँ । मैंने एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था । स्पीकर साहब, मेरी बड़ी मजबूरी है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं । गवर्नर साहब का नाम लिया जा रहा है कि भूतपूर्व उपकुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहते हैं कि 'मड हाउस टू गवर्नर हाउस' नामक किताब उनसे मजबूरी में लिखवाई गई और विकलांग का गलत सर्टीफिकेट दिला दिया । मुख्य मंत्री जी तो कह रहे थे कि मैंने उस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन वे कहते हैं कि किया है । इस लिये मैं चाहता हूँ कि उसकी इन्क्वायरी आप करवा लीजिये । स्पीकर साहब, आप इन्क्वायरी कमेटी के चेयरमैन बन जाएं और अगर आप मुनासिब समझेंगे तो हम आपको असिस्ट कर थेंने । वैसे रोहतक वाले वाईस चांसलर का भी यही तरीका है उनसे भी इन्होंने कम्प्रोमाइज कर लिया है । अखबार में लिखा है कि तपासे साहब और मुख्य मंत्री जी उनसे भी कम्प्रोमाइज कर रहे हैं ।

श्री. अध्यक्ष : डा ० साहब, मेरा ख्याल है कि आपको इनफर्मेशन मिल गई थी । वह काल अटैन्शन मोशन मैंने डिस-अलाउ कर दिया था और उस बारे में डिटेल्ड रीजन दिये थे ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आज मैंने एक फ्रैश नोटिस दिया है, मैं तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : वह अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है । जब पहुंच जाएगा तो उसे कंसिडर कर लूंगा ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गर्वनर साहब का जिक्र किया और किताब छापने के बारे में भी कहा । उस किताब में गर्वनर साहब की बड़ी तारीफ की गई है और वह वाइस चांसलर गर्वनर साहब की कलम से ही सस्पैंड हुए हैं । इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता । वी० सी० के ऊपर गर्वनर साहब ही चांसलर होते हैं । अगर कोई ब्लैकमेल करने की बात है तो ब्लैकमेल के सामने सरकार नहीं झुकेगी । (शोर) अखबारों में लिखा है कि उन्होंने कुछ वार्ता टेप कर रखी हैं । ठीक है वे अदालत में जाएं और साबित करें । अगर हमारा कसूर होगा तो हमें सजा मिलेगी और उनका होगा तो उन्हें मिलेगी ।

श्री मंगल सैन : वे कह रहे हैं कि मुख्य मन्त्री जी यूनिवर्सिटी के मामलों में इन्टरफीयर करते थे । (शोर)

चौधरी भजन लाल : हमारा कोई इन्टरफियरेंस नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब अब तो मामला पैच—अप हो रहा है

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पर लिखा है कि गर्वनर साहब और गणपति चन्द्र गुप्त जी का समझौता हो रहा है । वाइस चांसलर ने कहा है कि आप इन्क्वायरी बन्द कर दीजिये मैं समझौता कर लूंगा । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम अखबार की बात को लेकर कैसे कह सकते हैं कि इसमें क्या सदाकत है और क्या नहीं है? हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि चीफ सैक्रेटरी सा हब उस मामले की इन्क्वायरी कर रहे हैं । इन्क्वायरी में जो दोषी पाया गया उसको किसी भी हालत में माफ करने का सवाल नहीं हो सकता ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, कहीं इन्क्वायरी बीच में तो नहीं रुक जाएगी?

चौधरी भजन लाल : आपको कैसे शक हो गया कि इन्क्वायरी बीच में रुक जाएगी ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, रोहतक यूनिवर्सिटी वाले वाइस चांसलर ने भी हाई कोर्ट में मामला रख दिया था लेकिन आपने उसके साथ समझौता करके उसको 18 महीने की ऐक्सटैन्शन और दे दी । (शोर)

चौधरी भजन लाल: हम डा ० साहब की तरह डरने वाले नहीं हैं । ये चौधरी देवी लाल की सरकार में थे और उसी वक्त हरद्वारी लाल जी को वाइस चांसलर बनाया गया था कैबिनेट में बाकायदा डा ० साहब मन्त्री थे । (शोर)

श्री मंगल सैन : मैं मानता हूँ कि वे उस टाईम वाइस चांसलर बने थे लेकिन कैबिनिट में ऐप्रूवल कोई नहीं हुई । अगर ऐसी बात साबित कर दें तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ ।

चौधरी भजन लाल : आप वकत थे तो सही । आप ही देवी लाल जी की सरकार चलाते थे । (शोर)

श्री मंगल सैन : वह फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ था (शोर)

चौधरी भजन लाल : तो फिर आपने उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हमने जो कुछ किया है ठीक किया है । इन्क्वायरी करवा रहे हैं ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, सहकारिता विभाग के ऊपर पर्ची करते वक्त सहकारिता मती जी से मैंने जानना चाहा था कि हांसी का स्पिनिंग मिल और हिसार का कनकास्ट सिक मिल हैं । मैंने जब पूछा कि क्या सरकार इनको प्राइवेट पार्टीज को बेच रही है तो उस वक्त सरकार चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया । लेकिन कल हमने अखबार में देखा, मुख्य मती जी का व्यान था कि हम उनको बेच रहे हैं । स्पीकर साहब, यह सदन का अपमान और मान हानि है

श्री अध्यक्ष : क्या आपने इस बारे में कुछ लिख कर दिया है?

श्री हीरा नन्द आर्य : जी हां

श्री अध्यक्ष : वह अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है, पहुंचने पर कंसिडर कर लूंगा ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, एक काल अटैंशन मोशन मैंने और दिया था कि पिछले साल भी और इस साल भी बाजरे के बीज का बहुत घोटाला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : उसे मैं कंसिडर करूंगा ।

सरकारी कार्य की तरतीब में परिवर्तन—

हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984 सम्बन्धी

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट 4 तारीख तक की आ चुकी है । स्पीकर साहब, 4 तारीख को एक कोआप्रेटिव बिल आ रहा है । जो पहले का कोआप्रेटिव ऐक्ट है उस सारे को रिपील किया गया है । वह 132 क्लॉजिज का बिल है और चार तारीख को वह रख दिया गया है । उस दिन कुछ और भी बिल उसके साथ हैं । सैशन का टाइम तो शायद मुख्य मंत्री जी बढ़ाने नहीं देंगे इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इतने कम समय में हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे । It is very difficult to go through 132 clauses and do justice with that bill. मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बीच में दो दिन की छुट्टी है इसलिए क्य बिल को आप सोमवार के एजेण्डे में रख दें ताकि हम इस को गो-थ्रू कर सकें ।

Mr Speaker : I will see whether I can do it or not.

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, वह इसलिए भी जरूरी है कि हमने उसको अब तक नहीं पढ़ा है । कुछ लोग सहकारी मंच के नाम से संस्थाएं बनाए हुए हैं । वे लोग हम सब से मिले हैं । उन्होंने राह कहा है कि यह नया बिल अनडैमौकेटिक हो गया है और हम लोगों के बहुत से अखित्यारात छीन लिए गए हैं । स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी और कोआपेशन मिनिस्टर साहब भी सदन में बैठे हैं । मैं आप के द्वारा इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भिजवा दें और फिर कभी जब सेशन होगा उस समय इसको डिस्कस कर लिया जाए ।

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री. (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सिलैक्ट कमेटी को बिल उस समय भेजा जा सकता है जिस समय बिल इंट्रोडक्शन की स्टेज पर होता है । यह बिल इंट्रोडयूस हो चुका है । इसके अलावा, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है यदि इस बिल को आप 4 अप्रैल के एजेन्डे में रख लें क्योंकि यह 132 क्लाजिज का बिल है औप चार अप्रैल तक सारे मैम्बर साहेबान इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं । स्पीकर साहब 2 अप्रैल को दूसरे बिल भी हैं उनके बारे में डिस्कशन हो जाएगी । इस बिल को आप 4 अप्रैल के एजेन्डे में रख लें । उस दिन चूंकि नान-स्टोप सीटिंग है इसलिए इस बिल पर अच्छी तरह डिस्कशन हो जाएगी । इसके अलावा जैसा आप मुनासिब समझें । इसे 2 तारीख के लिए रखने का भी अगर आप फैसला कर लें तो भी मुझे कोई इतराज नहीं ।

श्री अध्यक्ष : अगर सारे हाउस की यह कन्सैसंस है कि इसे 2 तारीख को रखा जाए, तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल हमारे सामने हमारी मेजों पर पांच रिपोर्ट्स आई हैं । हरियाणा कनकास्ट लिमिटेड, हिसार और कई दूसरी कार्पोरेशन्ज के बारे में ये रिपोर्ट्स हैं । हमारी पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी ने बहुत मेहनत से ये रिपोर्ट्स तैयार की हैं । स्पीकर साहब, मैंने उन रिपोर्टज को 3-4 घंटे स्टडी किया है और उनके बारे में मैंने आपकी सेवा में कल 84 के तहत एक नोटिस भी दिया है । वह पता नहीं आपने एडमिट किया है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : डा ० साहब वह अभी मुझे मिला नहीं है । जब मिल जाएगा, मैं उसे कंसीडर करूंगा ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, वह मैंने कल 1.00 बजे आपकी सेवा में कई

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, वह अभी मुझे मिला नहीं है । जब मिल जाएगा, मैं उसे कंसीडर करूंगा

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा होगा लेकिन मैंने कल दे दिया था । इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम यह कहें कि सेशन का टाइम बढ़ा दिया जाए तो

आप यह कहेंगे कि आप बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे और आपने उस मीटिंग में 4 अप्रैल तक हाउस की सीटिंग करने की मांग की थी । स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इनको स्टेट के साथ जस्टिस करना है और अपना फर्ज अदा करना है तो ये जितनी भी रूल 84 के तहत रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं ये एक दिन में डिस्कस नहीं हो पाएंगी क्योंकि अगर 4 अप्रैल को बिल भी डिस्कस होने हों और ये रिपोर्ट्स भई । डिस्कस होनी हों तो यह सारा काम एक ही दिन में नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष : डा ० साहब, लीडर आफ दि अपोजीशन ने भी अपनी सहमति प्रकट की थी कि सेशन 4 अप्रैल तक ठीक है ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह बात तो आपकी ठीक है लेकिन कल हमारे सामने जो पांच रिपोर्ट्स आई हैं इनको हम अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे और ये रिपोर्ट्स कल ऐड की गई हैं । मैं समझता हूँ कि हमारे साथ बड़ी बेइन्साफी होगी । अगर हम इनको प्रोपर्टी पढ़ कर नहीं आए तो हम अपनी बात कैसे कह सकेंगे । पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने बड़ी मेहनत करके इन कार्पोरेशन्ज के बारे में प्वायंट आउट किया है । कनकास्ट लिमिटेड हिसार का चार करोड़ रुपये का टोटल कैपिटल आउट-लेन है और तीन करोड़ 80 लाख रुपए घाटा है । स्पीकर साहब, हम सब गुनाह- गार होंगे यदि हम उन रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से स्टडी करके उन कार्पोरेशज के बारे में प्वायंट आउट नहीं करेंगे । इसलिए स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी सदन

में बैठे हैं । मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि वे एक दिन के लिए सदन की सीटिंग और बढ़ा दें तो बात बन जाएगी ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पहले 30 मार्च तक सेशन का प्रोग्राम तय किया गया था लेकिन उस समय डा ० साहब और बहन चन्द्रावती जी ने बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह कहा था कि अगर सेशन 4 अप्रैल तक बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा । ज्यों ही इन्होंने यह बात कही, हमने 4 अप्रैल तक के लिए सेशन की सीटिंग मान ली थी । उस समय बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमने इनसे यह भी कहा था कि रिपोर्ट्स भी अपनी हैं और बिल भी आ सकते हैं । तब इन्होंने यह कहा था कि आप दो तीन दिन का सेशन टाइम बढ़ा दें हमें कोई एतराज नहीं है । 4 अप्रैल तक सेशन का टाइम बढ़ाने पर डा ० साहब और बहन चन्द्रावती जी बहुत खुश थे ।

श्री मंगल सैन : यदि ये पांच रिपोर्ट्स हमारे सामने न आई होती तो हम बहुत खुश थे ।

चौधरी भजन लाल : आपको यह भी बताया गया था कि रिपोर्ट्स का कोई लम्बा चौड़ा काम नहीं है । 4 तारीख को नौन स्टौप सीटिंग है, आप बोलते रहना हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आज से तीन चार दिन पहले मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैशन मोशन का नोटिस दिया था

वह आपके पास पेंडिंग है । वह मैंने पैस्टीसाइडज के बारे में दिया था । शायद आप उसके बारे में 2 तारीख को ही फैसला कर पाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में गवर्नमेंट के कमेंटस मांगे हुए हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसके अलावा स्पीकर साहब, मैंने रूल 57 के तहत आपकी सेवा में एक नोटिस दिया हुआ है । मुख्य मती जी ने क्वेश्चन्ज आवर के दौरान संजय मैमोरिगल पोलिटैकनिकल इंस्टिट्यूट भिवानी के बारे में कुछ बातें कही थीं उसके बारे में मैंने आपकी सेवा में रूल 57 के तहत नोटिस दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : वह आज 9.05 या 9.10 बजे आया है । मैं उसे कंसीडर करूंगा ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं सैशन की सीटिंग बढ़ाने के बारे में बात नहीं कहना चाहूंगा । मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि यह जो कोआप्रेटिव सौसाइटीज के बारे में बिल है यह बहुत लम्बा चौड़ा बिल है इसको हेस्ट में पास न करें ।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, यह बात तो हो चुकी है और कोआप्रेशन मिनिस्टर साहब ने यह मान लिया है कि इस बिल को बेशक 2 अप्रैल को डिस्कस कर लिया जाए ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, सहकारी मंत्री जी ने यह कहा था कि जब बिल इंट्रोड्यूस करने की स्टेज पर होता है उस समय

सिलैक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है इस समय बिल सिलैक्ट कमेटी को नहीं भेजा जा सकता । मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल अब भी कल 129 के तहत सिलैक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है । स्पीकर साहब, पिछली दफा हमने रूरल डिवैल्पमेंट फण्ड बिल बहुत जल्दी में पास किया था और इस सेशन में सरकार की तरफ से उस बिल में अमेंडमेंट आनी शुरू हो गई । मैं यह कहना चाहूंगा कि बेशक कोआप्रेसन मिनिस्टर साहब सिलैक्ट कमेटी के चेयरमैन हों, उस कमेटी में इस बिल के बारे महीना दो महीने में फैसला कर लें ।

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई नई बात नहीं है । दो ऐक्ट थे, एक लैंड डिवैल्पमेंट बैक ऐक्ट और दूसरा पंजाब कोआप्रेटिव ऐक्ट, उन दोनों ऐक्टस को मर्ज किया गया है । इसके अलावा इस बिल में बहुत ज्यादा बात नहीं है ।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, इसी महीने की 18 तारीख को शाम को 6.00 बजे लछमन वल्द सुन्द प हरिजन, गोहाना निवासी, चारा की एक दुकान पर दूध लेने के लिए गया था । वहां पर एक उमेद सिंह सिपाही, पेट्टी नम्बर 495 खड़ा था । उसने उसको कहा कि एक शराब की बोतल लेकर आओ । उस लड़के ने बोतल लाने से इन्कार कर दिया । वह सिपाही उसको पकड़ कर पीछे धकेलता रहा और उसको गर्म दूध की कढ़ाई में डाल दिया तथा वह बुरी तरह से जल गया ।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने उसके बारे में लिखकर भेजा है?

श्री किताब सिंह : जी हां । मैंने लिखकर भेजा है ।

श्री अध्यक्ष : वह मुझे अभी मिला नहीं है ।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, पुलिस वालों ने उसका मैडीकल नहीं होने दिया लेकिन एस ० डी० एम ० साहब ने बड़ी मुश्किल से उसको मैडीकल के लिए भिजवाया उसके बाद जब एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुई तो चार आदमी एस०पी० साहब के पास गए लेकिन केस फिर भी दर्ज नहीं हुआ । इसके बाद लोग इन्तजार करके जब 17- 3- 84 को गोहाना थाने में गए तो वहां पर जाते ही एस०एच०ओ० ने उन लोगों पर लाठी चार्ज करवा दिया जिससे कई आदमियों को चोटे आई ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं । जब वह मेरे पास आ जाएगा मैं उसे कंसीडर करूंगा ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: सीकर साहब, मैंने भी आपकी सेवा में ऐक्सीयन पब्लिक हैल्थ, जींद के बारे में एक काल अटैशन मोशन का नोटिस दिया था और आपने उसके बारे में यह कहा था कि गवर्नमेंट से कमेंटस मांगे हैं । वह कमेंटस कम तक आ जाएंगे?

श्री अध्यक्ष : जिस समय गवर्नमेंट से उस बारे में कमेंटस आ जाएंगे उसी समय पता लगेगा । गवर्नमेंट से कमेंटस आने के बाद ही आपको बताऊंगा ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, दो फार्मसी कालेज चल रहे हैं । एक तरावडी में और दूसरा करनाल में जिनके नाम हैं महर्षि फार्मसी कालेज तरावडी और गांधी फार्मसी कालेज करनाल । ये दोनों कालेज फार्मसी कौंसिल आफ इंडिया से रिकोगनाईज्ड नहीं हैं । जब कि अखबारों में इनको रिकोगनाईज्ड एडवरटाईज किया गया । जिन विद्यार्थियों ने इन कालेजों में दाविला लिया उनसे 12 और 16 हजार रुपए डोनेशन के लिए गए । इस बारे में मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैशन मोशन का नोटिस दिया है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है?

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में गवर्नमेंट से कमेंटस मांग रखे हैं अभी आए नहीं हैं ।

प्रो ० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, चार पांच दिन पहले मैंने आपकी सेवा में एक डाक्टर और पुलिस के बारे में काल अटैशन मोशन का नोटिस दिया था और मैंने उसमें यह कहा है कि थानेदार के दबाव में आकर डाक्टर ने यह कहा था कि इस आदमी के मुंह में शराब की बदबू आ रही है ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैंने गवर्नमेंट के कमेंटस मांगे हैं, अभी आए नहीं हैं ।

प्रो ० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब । मैंने हिसार टैक्सटाइल मिल के बारे में भी एक काल अटैशन मोशन का नोटिस दिया हुआ है । उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में भी गवर्नमेंट से कमेंटस मांग रखे हैं, अभी आए नहीं है ।

डा० भीम सिंह दहिया : स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र में वीर प्रताप के पत्रकार श्री अजीत सिंह दलाल पर हमलों हुआ है और उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । इसके बारे में मैंने एक कलि अटैशन मोशन का नोटिस दिया हुआ है उसके बारे में आपने क्या फैसला लिया है?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में भी गवर्नमेंट से कमेंटस मांग रखे हैं, वह अभी । आए नहीं हैं ।

डा० भीम सिंह दहिया : इसके अलावा स्पीकर साहब, मैंने काल अटैशन मोशन, का एक और नोटिस दिया हुआ है कि आजकल जो बोर्ड के मिडल के ऐग्जाम चल रहे हैं उनमें बहुत नकल हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने डिसअलाउ कर दिया है और आपको पास जवाब भेज दिया गया है । शायद वह आपको मिल गया होगा ।

11.00 बजे

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय सिंचाई एवं बिजली मंत्री ने सदन को बताया था कि जहां पर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वहां । पर तीन दिन के अन्दर-अन्दर नए ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं । मेरे पास हस्ताक्षर की हुई यह दरखास्त आई है । इसमें लिखा हुआ है कि

ट्रांसफार्मर जले हुए हैं । यह ऐप्लीकेशन मेरे अपने हल्के की ही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वहां पर इन्क्वायरी करवा कर ट्रांसफार्मर लगवाने की कोशिश करेंगे । यह ऐप्लीकेशन भी मैं आपको दे देती हूँ ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला: ऐप्लीकेशन आप मुझे बाद में दे देना । हम जांच करवा लेंगे । यदि ट्रांसफार्मर जले पाए गए तो नार लगवा दिए जाएंगे ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जीन्द हस्पताल के अन्दर भी प्रातः 9 बजे से लेकर सांय 5-00 बजे तक बिजली का कट लगाया जा रहा है जिससे वहां पर मरीजों को काफी दिक्कत आती है । बिजली न होने के कारण पंखे आदि भी नहीं चल पा रहे हैं । क्या मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर उचित पग उठायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

टोके द्वारा गेहूं गाहने के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड हारा अलग से आवेदन-पत्र मांगने संबंधी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बरज, मुझे सर्वश्री किताब सिंह तथा बलवीर सिंह गेवाल की ओर से हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा वहींट थ्रैशिंग के लिए अलग से ऐप्लीकेशन मांगने के बारे में काल अटैन्शन मोशन का नोटिस मिला है । मैं इसे ऐडमिट करता हूँ । श्री

किताब सिंह जी अपना नोटिस पढ़ दें । उसके बाद यदि भली महोदय इस पर अपनी स्टेटमेंट आज ही देना चाहे तो दे सकते हैं ।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने किसानों से टोके द्वारा गेहूँ माहने के लिए अलग से आवेदन पत्र मांगे हैं । हमारे पड़ोसी राज्य ने किसानों की इस मांग को मान लिया है कि वे बिना आवेदन पत्र दिए गेहूँ माहने के लिए अपने नलकूपों की मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं । इस कारण से किसानों को भारी कठिनाई हो रही है तथा उनमें बहुत असंतोष व्याप्त है । । इसलिए ऐसे असंतोष को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए तथा की गई कार्यवाही के बारे में सदन को सूचित करे ।

वक्तव्य—

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
सम्बन्धी

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला):
स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वर्तमान समय में अपनाई गई नीति के अन्तर्गत कृषि नलकूपों के बिजली मोटरों पर थो शर, चीफ कटरों को चलाना पहले ही स्वीकृत किया हुआ है । इस प्रकार के प्रयोग की मन्जूरी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को सादा कागज पर एक साधारण

आवेदन पड देना होता है । स्थानीय उप-मण्डल आबकारी को थ्रेशर चाफ कटर्ज प्रयोग करने की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है । उन (उप-मण्डल अधिकारियों) को आगे निर्देश है कि जहां सम्बद्ध भार का कोई विस्तार शामिल न हो वहां उसी दिन प्रयोग करने की स्वीकृति दे सकते हैं और अन्य मामलों में प्रार्थना पड देने के तीन या चार दिन में थ्रेशरों का प्रयोग करने की स्वीकृति दे सकते हैं । यह इसलिए क्रिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को सभी सम्भव तकलीफों से बचाया जा सके ।

वर्तमान समय में बोर्ड द्वारा नलकूपों को सप्लाई दो श्रेणियों में विभाजित की जाती है । पहली श्रेणी है जहां आपूर्ति मीटर्ड आधार पर दी जाती है । ऐसे मामलों में डोशर या चीफ कटर किसी के लिए भी किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगावा जाता । उपभोक्ता से आवेदन पत्र सादे कागज पर यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है कि उपभोक्ता का सम्बद्ध भार स्वीकृत सीमा के अन्दर रहे और अधिक भार के परिणाम स्वरूप वर्तमान उपकरणों जिसमें ट्रान्सफार्मर और मीटर शामिल हैं, को कोई क्षति न हो । दूसरी नलकूप की श्रेणी वह है जहां पर बिजली आपूर्ति समान दर (फ्लेट रेट) के आधार पर दी गई है । ऐसे मामलों में बोर्ड चाफ कटरों के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाता है । वैसे थ्रेशर के लिए केवल उस अवधि के दौरान अर्थात जिस तिथि से थ्रेशर चलाने की इजाजत दी जाती है तथा जबसे कनैक्शन काटना अधिसूचित किया जाता है उस तिथि तक 5/- रूपए प्रति बी ०एच ०पी ० प्रति मास का एक । अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है

। यह प्रभार थ्रैशिंग में प्रयोग की गई अतिरिक्त बिजली को पूरा करने के लिए वसूल किया जाता है । सदन की सूचना के लिए यहां यह बताया जाता है कि शैलिंग कार्य लगातार 8 घण्टे या उससे अधिक समय तक होता है जबकि नलकूपों के लिए औसत समान दर सप्लाई 20/- रुपए प्रति बी०एच०पी ० प्रति मास नल-कूप मेटर्स को केवल 4 घण्टे प्रति दिन चलीने के लिए वसूल किए जाते हैं । चूंकि कृषि सम्बन्धी टैरिफ में पहले ही बहुत अधिक रियायत दे दी गई है और विशेष कर जब बोर्ड एक बहुत ही वित्तीय कठिनाई की स्थिति से गुजर रहा है तो थैशरों के चलाने के लिए यह थोड़ा अतिरिक्त खर्च लेना न्यायोचित है जोकि पुनः एक माह या अधिक से अधिक 2 माह की सीमित अवधि के लिए होता है ।

माननीय सदस्यों के इस धारणा पर टिप्पणी करते हुए कि पड़ोसी राज्य ने बिना कोई अभिवेदन लिए गेंहू निकालने हेतु ट्यूबवैल मोटर के प्रयोग की स्वीकृति दे दी है, मैं इस मान्य सदन को यह बताना चाहता हूँ कि सम्बन्धित राज्य उन कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं से जिन्होंने समान दर आधार पर कनेक्शन प्राप्त किए - हैं, उनसे 4 रुपए प्रति बी०एच० पी ० प्रति माह लेता रहा था जिसकी वापसी (बिदड्राल) हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा घोषित की गई है परन्तु ऐसे ट्यूबवैल उपभोक्ताओं के मामले में जिन्हें मीटर द्वारा सप्लाई प्राप्त हुई है, कोई परिवर्तन नहीं है । उपरोक्त स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य वर्तमान नीति की प्रशंसा करेंगे तथा

विशेष रूप से बोर्ड की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी परिवर्तन के लिए जोर नहीं देंगे— ।

श्री किताब सिंह: अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि प्रतिमाह प्रति बी० एच० पी० के लिए किसानों से चार रुपये लेते हैं । क्या ऐसा नहीं है कि इस चार रुपये की आड़ू में बिजली बोर्ड के कर्मचारी किसानों को परेशान करते हैं? किसानों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए क्या इसे वापस लेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड किसानों से ऐसे कनेक्शन के प्रति बी० एच० पी० के चार रुपये नहीं बल्कि पांच रुपये प्रति माह वसूल करता है । चाफ कटरों पर कोई खर्च बिजली बोर्ड किसानों से नहीं लेता । ऐसे कनेक्शनों के लिए बिजली बोर्ड सिर्फ लोगों से सादे कागज पर ऐप्लीकेशन लेता है । सिर्फ जिस समय तक काम चलता है उस समय तक 5 रुपये प्रति माह प्रति बी० एच० पी० के लिए जाते हैं । अर्थात् जिस तिथि से थ्रैशर चलाने की इजाजत दी जाती है तथा जब से कनेक्शन काटना अधिसूचित किया जाता है उस तिथि तक ही 5 रुपये प्रति बी० एच० पी० प्रति मास का एक अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है । जबकि टयूबवैल की औसत दर 20 रुपये प्रति माह प्रति बी० एच० पी० की है । इस मामले में किसानों को पहले ही बहुत रियायत दी हुई है और 50 रुपये से ज्यादा किसी किसान को नहीं देने पड़ते क्योंकि थैशिंग का काम ज्यादा से ज्यादा महीना—डेढ महीना या दो महीने तक ही चलता है ।

मैं फिर बताना चाहूंगा कि ऐप्लीकेशन लेते समय कोई खर्च नहीं लिया जाता । ऐप्लीकेशन भी सिर्फ सादे कागज पर ही ली जाती है ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल : अध्यक्ष महोदय, लोहारू और बाढडा में एम० आई० टी० सी० के जो ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं, बे किसानों को यह सुविधा नहीं देते । वे किसानों से थैशिंग के एडीशनल चार्जिज लेते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मतभेद क्यों है और क्या वहां पर भी ऐसी ही सुविधा दिलाये जाने पर विचार किया जायेगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : ० आई० टी० सी० के ट्यूबवैल्ज थैशिंग करने दें या न करने दें और कितना खर्चा मांगें यह अलग बात है । जो प्राईवेट लोगों के ट्यूबवैल्ज हैं, उन्हीं को यह सुविधा है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब में ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन के सर्विस चार्जिज 3 हजार रुपये तक पंजाब बिजली बोर्ड वसूल करता रहा है, जिसे अब घटा कर दो हजार रुपये किया गया है । इसके विपरीत हरियाणा के अन्दर हरियाणा बिजली बोर्ड ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन के लिए कुछ चार्ज नहीं करता ।

श्री हीरा नन्द आर्य : इस में किसी किस्म की शर्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई आदमी आज किसी के ट्यूबवैल पर थैशर लगाता है और कल किसी दूसरे पर लगाता है तो वह बे चारा रोज रोज कनैक्शन के लिए ऐप्लीकेशन ही देता रहेगा ।

इस तरह से उसके । दिक्कतें होगी । ट्यूबवैल ओनर को अगर थैशर लगाने वाला खर्च की पेमेंट नहीं करता तो ट्यूबवैल ओनर

को खर्चा देना पड़हा है और इस तरह यह उस पर एक किस्म की पैनल्टी—सी लग जाती है । इसलिए आप ऐप्लीकेशन पर नौमिनल चार्जिज लगाये, 5 रुपये ज्यादा हैं । हौ शर वाले पर कोई दण्ड न लगायें । इसको बिना पैसे लिए कनेक्शन दिया जाना चाहिए ताकि किसी दूसरें टयूबवैल से कनेक्शन लेने की जरूरत न पड़े ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आर्य साहब समझदार मैम्बर हैं । अगर कोई किसी का ट्यूबवैल थ्रैशर लगाने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको ट्यूबवैल ओनर को चार्जिज देने चाहिए । अगर वह नहीं देता तो बिजली बोर्ड वाले थ्रैशर ओनर से लेने नहीं जाएंगे । अगर कोई आदमी किसी के कमरे में रहता है और बिजली खर्च करता है, सुबह होते ही वह मकान ओनर को चार्जिज नहीं देता तो क्या बिजली बोर्ड वाले उस आदमी से चार्जिज थोने जाएंगे? बोर्ड वाले तो मकान ओनर से ही चार्जिज लेंगे । जहां तक कनेक्शन लेने का ताल्लुक है, मैंने अभी कहा है कि सादे कागज पर दस्तखत देने पडते हैं और एस ० डी ० ओ ० देखता है कि आया लौड हौ शर लगाने के लिए परमिट करता है या नहीं । अगर करता है तो 5 दिन के अन्दर कनेक्शन दे देते हैं ।

कमेटी ओन सुबार्डिनेट लेजिसलेशन की पन्द्रहवीं रिपोर्ट पेश करना

Rao Inderjit Singh (Chairman, Committee on Subordinate Legislation) : Sir, I beg to present a typed copy of the fifteenth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the

year 1983-84.

बिल्लज—

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ०5) बिल, 1984

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir,
I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.5) Bill, 1984.

Sir, I also move—

That the Haryana Appropriation (No.5) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.5) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल नं० 5 सदन में पेश किया है, मैं इसके सम्बन्ध में कुछ विचार रखना चाहता हूँ । स्पीकर साहब, हमारे ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में रू हाउस में बताया कि हरियाणा में 10 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से किराया चार्ज किया जाता है । मेरे पास इन्हीं के विभाग की एक सूची है, इसके मुताबिक पहले 1 किलोमीटर पर 10 पैसे, 2 किलो मीटर पर 40 पैसे, 4 किलोमीटर पर 50 पैसे और 5 किलोमीटर पर 50 पैसे चार्ज किये जाते हैं । इसी तरह कई दूसरे केसिज में 10 पैसे, 12 पैसे, 13 इसे, 14 पैसे, 1 5 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया चार्ज किया जाता है । जहां तक मैं समझता हूँ माह 1इ कराया सारे हिन्दुस्तान की दूसरी

स्टेटों के मुकाबले में ज्यादा है । हरियाणा के मुकाबले में सब स्टेटों में किराया कम है । हरियाणा में, जंसा कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब कहते हैं रोडज दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कम्पैरेटिवली बैटर हैं । बै-टर हैं । इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पर किलोमीटर चार्जिज सबसे ज्यादा है । गुजरात में पर किलोमीटर चार्जिज 8.36 पैसे, हिमाचल प्रदेश के प्लेन एंड रवा में 8 पैसे, जम्मु एंड काश्मीर में 62 पैसे आर्डिनरी बस पर और एक्सप्रेस बस पर 8 पैसे प्रति किलोमीटर किराया है । कर्नाटक में आर्डिनरी बस का 8 पैसे, एक्सप्रेस बस का 96 पैसे, केरल में 6 पैसे और मध्यप्रदेश में 9 पैसे पर किलोमीटर किराया चार्ज क्या जाता है । हरियाणा के मुकाबले में इन स्टेटों में रोड कंडीशन अच्छी नहीं हैं और न ही ज्यादा सुविधायें हैं । हरियाणा में रोडज की कंडीशन बहुत अच्छी है, अनेक सुविधायें हैं, इसलिए 10 पैसे, 12 पैसे, 13 पैसे, 14 पैसे, 15 पैसे प्रति किलोमीटर किराया चार्ज करने का कोई ओचित्य नहीं है । शहरों में जो बसें जाती हैं, उनकी कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन गांवों में जो बसें जाती है, उनके शीशे टूटे हुए होते हैं, सीटें इतनी खराब होती हैं कि आदमी ठीक तरह से बैठ नहीं पाता । पिछले दिनों सरकार ने किराया बढ़ाया और मैं चाहता हू कि सरकार इसे इससे ज्यादा न बढ़ाए, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, न जाने किस वक्त बढ़ा दे । अगर थोड़ा सा तेल महंगा हो गया तो फौरन बढ़ा देगी । तेल का रेट बढ़ जाने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पडता, फर्क पडता है कुरप्शन से । हकीकत यह है कि ट्रांसपोर्ट के स्टोर्ज में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है । किराया कम करने के लिए विशेष रूप से इन स्टोर्ज को चौक करने

की आवश्यकता है । इसके इलावा सरकार ट्रांसपोर्ट डिपोज में नान-टैक्निकल कर्मचारियों को जनरल मैनेजर लगाया हुआ है । ट्रांसपोर्ट डिपोज का हैड, टैक्नीकल आदमी रखा जाना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट का काम फिशिएटली हो सके । ट्रांसपोर्ट डिपो में एच ० सी ० एस ० अधिकारी लगा देते हैं, ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सकते । इस साल तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कुछ फायदा हुआ है, लेकिन पिछले सालों में तो घाटा ही घाटा रहा । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक तो स्टोर्ज को ठीक तरह से चौक किया जाए दूसरे डिपो हैडज, टैक्नीकल आदमी लगाये जाएं ताकि कृउछ न कुछ सुधार हो सके (इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुए) होम डिपार्टमेंट का आजकल बहुत ही बुरा हाल है । पुलिस की इनएफिशिएंसी की वजह से प्रदेश में वातावरण बुरी तरह से खराब है । प्रताप सिंह स्वर्णकार जिला भिवानी को 5 अगस्त, 1981 को पुलिस अपनी जीप में बैठाकर लाई थी और उसको हिरासत में ले लिया । बाद में कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई । जब इन्कवायरी हुई तो कहते हैं कि उसने खुदकशी कर ली । यह खुदकशी का केस नहीं है, इसकी हत्या की गई । पिछले दिनों मैंने लिख कर भी दिया था इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए ताकि असली गुनाहगारों का पता लग सके । यह मामला खुदकशी का नहीं है । लोहारू के लोग आये थे, उनका कहना है कि एक पुलिस का अधिकारी एक उसका रिस्तेदार और एक सी० आई० डी० का इन्सपैक्टर इस आदमी को एक सफेद कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गए थे । पुलिस ने जो भी स्टोरी बनाई है, यह सारी की सारी कन्काकटिड स्टोरी है । श्री प्रताप सिंह के बच्चे 10 साल के नीचे नीचे के हैं । नाबालिग बच्चे हैं, एक

बुढ़िया माता है, इनका कोई सहारा नहीं रहा । क्या इस परिवार के सहारे के लिये सरकार कुछ कर रही है?

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का जबाब मुख्य मन्त्री जी दे चुके हैं, इसको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चों की रक्षा का कोई न कोई इन्तजाम किया जाए और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही । सरकार को इसी सिलसिले में एक मांग पल दिया है, एक दरखास्त की गई है और यह पल लोकतन्त्र के नाम पर एक खुला पत है । इस पत्र में स्वर्णकार संघ भिवानी ने मुख्य मन्त्री के नाम लिखा है कि किस तरह से स्वर्णकारों को पुलिस ने तंग किया और जेल में बन्द कर दिया । श्री प्रसोतम दास टंडन, प्रधान जन-अधिकारी समिति, भिवानी और श्री दीन दयाल मन्त्री, जिला स्वर्णकार संघ, भिवानी ने इस पत्र में लिखा है कि सी० आई० ए० के इन्सपैक्टर ने 1 लाख 27 हजार रुपया लोगों से इकट्ठा किया है । इसके खिलाफ बडे स्पैसिफिक ऐलीगेशन्ज लगाए गए हैं कि फलां फलां आदमी से इतने हजार रुपये लिए हैं, लेकिन आज तक इसकी इन्कवायरी नहीं हो पाई है ।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस इन्सपैक्टर का जो नाम लिया गया है, यह रिकार्ड न किया जाए ।

श्री हीरा नन्द आर्य: यह सी० आई० ए० इन्सपैक्टर भिवानी है, इसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो आदमी हाउस में हाजिर नहीं है, उसका नाम कैसे आ सकता है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात श्रम विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । आज श्रम विभाग में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं । मजदूरों की बहुत बुरी हालत है । पिछले दिनों एक सर्वे किया गया था जिसमें रोहतक जिले में 95 परसैट मजदूर शारीरिक रूप से बीमार पाये गए । उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों टैक्सटाईल मिल, हिसार में हड़ताल हुई । उस हड़ताल को शुरू हुए साढ़े तीन महीने हो चुके हैं । 6 मार्च को इन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही मिल शुरू हो जाएगी लेकिन वह आज तक शुरू नहीं हुई । ये कितने ही आश्वासन देते रहते हैं । लेकिन पूरा एक नहीं होता । लोहारू में सन 30 में ये आश्वासन देकर आए थे कि 1 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी लेकिन आज तक एक पैसा नहीं दिया गया । भिवानी में खुले दरबार में ये कह कर आए थे कि भिवानी म्यूनिसिपल कमेटी को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला । पीने के पानी के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से खुद जवाब आया है कि लोहारू हल्के में पिछले पांच सालों में किसी भी गांव में कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं दी गई । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब ये भिवानी और महेन्द्रगढ़ के नाम पर वर्ल्ड बैंक और केन्द्रीय सरकार से पैसा लेते हैं तो कम से कम इन पिछड़े इलाकों का

ध्यान भी रखा करें । मेरे हल्के में 20— 30 गांव ऐसे हैं जिनमें वाटर सप्लाई स्कीम्ज सन् 1962 में बनी थीं । उस समय की जनसंख्या के आधार पर 5 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से वे स्कीम्ज बनाई गई थीं लेकिन टूट फूट की वजह से आज 2 गैलन पानी भी नहीं मिल पाता । में चाहूंगा कि इस विषय में बड़ी गंभीरता के साथ सोच' करके सरकार वहां पीने के पानी का इंतजाम करे । (विधन)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिए ।

श्री हीरा नन्द आर्य : केवल एक मिन्ट में और लूंगा । (विधन) उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे स्कूलों में शिक्षा का बहुत बुरा हाल है । मेरे पास टीचर्ज यूनियन भिवानी के प्रधान का इश्तिहार है । आज परीक्षाओं में बेशुमार नकल चल रही है । सुपरवाइजर्ज गलत ढंग से लगाए गए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप ही सोचें कि अगर किसी हैडमास्टर के ऊपर पी ० टी ० आई ० को सुपरवाइजर लगा दिया जाए तो वह कैसे उसके खिलाफ ऐक्शन ले पाएगा? (विधन) उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों और पब्लिक स्कूलों की पढ़ाई में बहुत अन्तर है । राई के स्कूल में एक बच्चे पर लगभग साढ़े 8 हजार रुपए खर्च जनते हैं जबकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्ज की तन्खाह आदि मिलाकर 700 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हो पाता । (विधन)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिए । श्री अमीर चन्द मक्कड ।

श्री अमीर चन्द मक्कड (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, फाईनैस मिनिस्टर साहब, ने जो बिल हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन

करता हूँ । आज हमारे प्रदेश में जो भी काम काज चल रहा है वह सारा बहुत ही अच्छा है । अभी कुछ साथी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आलोचना कर रहे थे लेकिन मैं हरियाणा रोडवेज की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता । सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में यहां की बसों की कंडीशन काफी अच्छी है और बसें सवारियों को ठीक समय पर भी पहुंचाती हैं । जब हम किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं और वहां की बसों की हालत देखते हैं तभी हमें पता लगता है कि हरियाणा रोडवेज का काम कितना अच्छा है । (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, होम डिपार्टमेंट के बारे में भी यहां काफी बातें कही गईं लेकिन मैं कहूंगा कि अमन कायम रखने के लिए हमारे होम डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है । हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में कुछ देश विरोधी तत्व फिरका-प्रस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं । हरियाणा में भी कुछ देश विरोधी तत्वों ने इस किस्म का वातावरण पैदा करने की कोशिश की थी । लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने फौरन ही इस बात को कंट्रोल कर लिया । जो लिंक वे पंजाब के साथ जोड़ना चाहते थे वह इन्होंने तोड़ कर रख दिया । ठीक है कुछ वाक्यात यहां हुए हैं लेकिन हमारी पुलिस उन मुलजिमों को पकड़ने की प्री कर कोशिश कर रही है । हमारी पुलिस काफी योग्य है । मुझे उम्मीद है कि वह शीघ्र ही उन- मुलजिमों को पकड़ कर कटहरे में खड़ा करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, लेबर के बारे में भी मैं एक बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ । यहां कहा गया कि हरियाणा में लेबर की

बहुत प्रोब्लम है लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यहां लेबर की प्रोब्लम होती तो दूसरी स्टेट्स से आकर के इंडस्ट्रियलिस्ट यहां इंडस्ट्रीज क्यों लगाते? वैसे भी अगर हम आंकड़े देखें तो दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हरियाणा में मजदूरों की हड़तालें बहुत कम हुई हैं । दूसरी स्टेट्स में तो कई सालों तक हड़तालें चलती रहती हैं लेकिन हरियाणा में हालात ऐसे हैं कि यहां लेबर भी सुखी है और लेबर लगाने वाला भी सुखी है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, पीने के पानी का भी यहां जिक्र आया । इस बारे में तो हरियाणा सरकार की पालिसी है कि हर गांव में पीने का मीठा पानी मुहैया किया जाएगा । मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पीने का मीठा पानी नहीं होगा । मेरे हल्के में भी जितने गांव हैं उन सब में पीने के पानी का इन्तजाम किया जा रहा है । दो तीन गांवों के लिए स्कीमें पास भी हो चुकी हैं । हां कुछ 4- 5 ढानियां ऐसी हैं जहां पाईप के द्वारा पानी पहुंचना है । उन ढानियों के नाम हैं सैनीपुरा, कुतुबपुर, गुजरान और राजु पंचायत की 5 ढानियां । मुझे उम्मीद है कि सरकार उन की तरफ भी अवश्य ध्यान देगी ।

भूमि की सिंचाई के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में 90 एकड़ भूमि को सिंचित करने की एक स्कीम थी । सरकार ने उसे वर्ल्ड बैंक से पैसा ले कर के पूरा किया है तथा लोगों को राहत दी है । इस के अलावा इस सरकार ने काफी नहरों और रजबाहों को पक्का कर के काफी जमीन को सिंचाई के योग्य बनाया है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, पशु पालन विभाग के बारे में अर्ज यह है कि सरकार ने कहा है कि 25 छोटे हस्पतालों को तो बड़ा बनाया जाएगा और 25 नए हस्पताल खोले जाएंगे । यह बहु ढ तारीफ योग्य बात है । आज किसान का एक एक पशु 8- 8 हजार का है । चाहे वह भैस है या बैल है । उस का इलाज करवाने में लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था लेकिन अब काफी हस्पताल होने की वजह से उसे काफी राहत मिली है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज के बारे में भी मैं चन्द शब्द कहना चाहूंगा । सरकार की स्कीम है कि गांव गांव में छोटी इंडस्ट्रीज लगा कर के किसान के लड़के अपनी आजीविका कमाये । सरकार यह चाहती है कि उनको लोन दे कर के अपने हाथ से काम करने योग्य बनाया जाए । सैन्ट्रल सरकार की एक स्कीम है जिस के तहत मैट्रिक पास लड़के, जिनको नौकरी नहीं मिलती, एम्पलाय मैट ऐक्सचेज में नाम लिखा कर के 5 से 25 हजार तक का लोन बहत कम सूद पर बैंक से ले सकते हैं । यह बहुत अच्छी स्कीम है । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि आपकी तरफ से इशारा हो गया है इस लिए मैं ज्यादा टाईम न लेते हुए फाईनैसं मिनिस्टर साहब ने जो बिल रखा है उस का समर्थन करता हूं ।

चौधरी खिल्लन सिंह (हथीन) : डिप्टी स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिएशन बिल नम्बर 5 पर बहस चल रही है । मैं भी उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सरकार ने जो विकास के कार्यक्रमों का गवर्नर अभिभाषण और बजट में जिक्र किया है उस में मेरे हल्के हथीन के बारे

में कोई जिक्र नहीं किया । वहां पर विकास के कार्य बिल्कुल ठप्प पड़े हैं और न ही सरकार वहां पर विकास के कार्य करने के बारे में कोई रुचि ले रही है । सब से पहले मैं इरिगेशन ओर पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहूंगा । जहां तक इरिगेशन का सम्बन्ध है, वहां पर जिस कैनल से पानी जाता है वह यू ० पी ० गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में है । आगरा कैनल हमारे फरीदाबाद जिले से हो कर जाती है लेकिन उस पर यू ० पी ० गवर्नमेंट का कन्ट्रोल है । उस से जो छोटे छोटे माईनर्ज हथीन, हसनपुर और पलवल' के लिए लगे हुए हैं उन में यू ० पी ० सरकार अपनी मन मर्जी से पानी छोड़ती है । वहां के कर्मचारी हमारे इलाके की कोई परवाह न करते हुए मन मर्जी से पानी छोड़ते हैं । आज वहां मेरे क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं । मैं आप के जरिए सरकार से कहूंगा कि जिस प्रकार आज के दिन एस ० वाई ० एल ० का मसला है इसी प्रकार से आगरा कैनल का भी मसला है । अगर सरकार आगरा कैनल को अपने कन्ट्रोल में ले ले तो वहां के यानी फरीदाबाद जिले के किसानों का भला हो सकता है, उन्नति हो सकती है । इस लिए जल्द से जल्द आगरा कैनल की प्रॉब्लम का समाधान किया जाए ताकि वहां के किसानों का भी भला हो सके । आगरा कैनल से जो हरियाणा के लिए चौनल्ज और माईनर्ज निकली है उन का कन्ट्रोल सरकार अपने हाथ में ले । चौनल्ज की सफाई के लिए जो पैसा दिया जाता है वह भी उन पर नहीं लगता । यू ० पी ० सरकार के कर्मचारी सफाई के लिए जो पैसा लेते हैं वह हेराफेरी करते हैं । अपनी कमी को छुपाने के लिए हेड पर कम पानी पहुंचता है और टेल पर ज्यादा पहुंचता है । इस लिए आगरा कैनल के मामले पर सरकार गौर

करे क्योंकि फरीदाबाद के किसान को समय पर बिजली भी नहीं मिलती है । बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो केवल नहरों से ही सिंचाई करते हैं । लोगों ने ट्यूबवैल्ज के कनैक्शनज के लिए एप्लाई किया हुआ है और लोन लिया हुआ है लेकिन कनैक्शनज नहीं मिल रहे हैं । इस लिए मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने ट्यूबवैल्ज कनैक्शनज के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिन की नहरों से भी सिंचाई नहीं होती है उन्हें प्रायोरिटी बेसिज पर कनैक्शनज दिए जायें ताकि उन का भी गुजारा हो सके ।

अब मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा । बहुत सी ऐसी वाटर सप्लाई स्कीमें भी हैं जिन का पानी बारी हो चुका है । हथीन की वाटर सप्लाई स्कीम का पानी पीने के योग्य नहीं है, जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । इस लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हथीन में दूसरी वाटर सप्लाई स्कीम बनायें ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और इस पहले वाली स्कीम को बन्द किया जाए । मेरे हथीन शहर की बहुत बुरी हालत है । न उसे गांव ही कह सकते हैं और न शहर ही कह सकते हैं । सड़कों की भी बहुत बुरी हालत है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां की म्यूनिसिपल कमेटी को ज्यादा से ज्यादा ऐड दें क्योंकि मेरा हथीन का क्षेत्र बिल्कुल बैकवर्ड क्षेत्र है । शहर की बहुत बुरी हालत है ज्यादा से ज्यादा म्यूनिसिपल कमेटी को ऐड दी जाए ताकि हथीन शहर की हाकरय ठीक हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, हथीन तहसील हैडक्वार्टर है लेकिन वहां पर एक रूरल डिस्पैसरी है । शहर और तहसील हैडक्वार्टर पर कम से कम पचास बैड

का हास्पिटल होना चाहिए । वहां पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि हथीन में पहले से ही प्रतिनिधि विपक्ष से बनता आया है जो बाद में आ कर कांग्रेस (आई) में मिल जाता है । हो सकते हैं मेरे इलाके में इसलिए भी काम न हो रहे हों कि मैं विपक्ष से हूँ । शायद इसी लिए मेरे क्षेत्र का ध्यान न रखा जा रहा हो । फिरोजपुर राजपूत, मरोखरा वाटर सप्लाई स्कीम की पाईप लाईन बिछी हुई है परन्तु आज तक टूटियों में पानी नहीं पहुंचा है । इन गांवों में पीने का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है और न ही कोई अन्य साधन है । वर्षों से टूटियां लगवा दी गई हैं लेकिन एक टपका भी पानी गांव वालों को नसीब नहीं हुआ । ऐसे गांव में जहां पानी का कोई साधन न हो, न ही कोई नहर का पानी हो वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम के जरिए पानी जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए –ताकि वहां की जनता कने पीने का पानी मिल सके । बोराका, खाईका गांवों में भी पानी का प्रबन्ध नहीं है । फल्ड हथीन क्षेत्र में आता है और वहां पर किसानों की बहुत ही बुरी हालत है । सौन्थ, अन्धोक, आली ब्राहमण, लोहिना, नांगल जाट, बहीन, सेबली मानपुर कौर आदि गांवों की फल्ड से बहुत बुरी हालत है । मैं सिंचाई मन्त्री जी से कहूंगा कि चूंकि इन गांवों की फसल बरबाद हो गई है, इस लिए उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए । अब तक उन्हें न ही फसल का मुआवजा मिला है और न ही अन्य प्रकार की कोई सुविधा मिली है । जिन गांवों में अभी तक पानी खड़ा है उन गांवों में छोटे छोटे माले निकलवाये जायें और उन छोटे नालों के जरिए बड़े नालों में फल्ड का पानी डाला जाए । मेरे क्षेत्र में अभी तक विकास के कार्य बिल्कुल ठप्प हैं । मेरा क्षेत्र बैकवर्ड है । इस लिए मैं कहूंगा कि वहां

पर 50 बैडज का हास्पिटल, जिन गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है और न ही पीने के पानी का कोई अन्य साधन है, उन गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम शीघ्रातीशीघ्र चालू की जाए । दूसरेरू आगरा कैनल का जो एक महत्व पूर्ण मसला है उस की तरफ भी सरकार जरूर ध्यान दे ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला कैंट): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब वित्त मस्ती जी ने जो हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं यह चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए । साथ ही मैं कुछ सुझाव अम्बाला जिले के लिए और खास तौर पर अम्बाला छावनी के लिए भी रखना चाहता हूं । (व्यवधान व शोर) पहली बात तो यह है कि अम्बाला कैंट में एक सब-तहसील अवश्य ही बनाई जानी चाहिए । क्यों बनाई जानी चाहिए इसलिए कि वहां की आबादी डेढ़ लाख की है । कमीश्नर का दफ्तर वहां पर है, पी ० एम ० जी ० का आफिस वहां पर है, सेल्ज टैक्स का, इन्कम टैक्स का आफिस वहां पर है । रेलवे का डिवीजनल आफिस वहां पर है । हवाई अड्डा वहां पर है । तीन अदालतें वहां पर हैं । इंडस्ट्री आफिस वहां पर है । रेलवे का हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अम्बाला कैंट में है । ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मेरी यह मांग है कि वहां पर इन सारी चीजों के होने के कारण सब-तहसील जरूर बनानी चाहिए । इसके अलावा एक बात मैं सड़कों के बारे में भी कहना चाहता हूं । जहां तक अम्बाला कैंट में सड़कों का ताल्लुक है, वहां पर सीवरेज की वजह से सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं । जब कभी भी 15 मिनट के लिए बरसात हो जाती है तो

वहां पर चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है । उन सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार को काफी ज्यादा ग्रांट देनी चाहिए क्योंकि म्युनिसिपल कमेटियों की अपनी कोई आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि वे उससे सड़कों की मरम्मत कर सकें । हरियाणा में 85 म्युनिसिपल कमेटियाँ हैं । उनके लिए अगर एक करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की जाये तो उससे एक म्युनिसिपल कमिटी के हिस्से एक लाख रुपया आएगा । इस एक लाख रुपए से अगर एक सड़क का टुकड़ा भी रिपेयर करना चाहें तो वह नहीं हो सकता । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि देहातों में और शहरों में कितने लोग रहते हैं, इसमें शक नहीं है कि देहातों में 70 प्रतिशत जनता रहती है और शहरों में 30 प्रतिशत रहती है लेकिन शहर में रहने वाले लोग 60- 70 प्रतिशत टैक्स अदा करते हैं । कायदे के मुताबिक यह तो होना चाहिए कि वहां के लोगों पर कुछ हिस्सा तो खर्च जरूर होना चाहिए । वहां पर भी, शहरों में भी, अच्छे क्वालिटी के लोग रहते हैं । मेरा कहना यह है कि उन लोगों की तरफ, जो आपको ज्यादा टैक्स देते हैं, सरकार को ज्यादा तवुज्जह देनी चाहिए । इसके अलावा अम्बाला कैंट को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार देने के लिए मैंने पिछली बार भी रैजोल्यूशन दिया था । अम्बाला कैंट एक इंडस्ट्रियल टाउन है । वहां पर छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के करीब 4,000 यूनिट्स लगे हुए हैं जो वहां पर काम करते हैं । अगर एक यूनिट में हम 5 आदमी भी लगाएं तो भी वहां पर कम से कम 20,000 आदमियों को रोजगार मिला हुआ है । लेकिन जब बिजली नहीं मिलती तो ये 20,000 आदमी बेकार हो जाते हैं । मेरी मांग यह भी है कि भारत सरकार की तरफ से वहां पर कोई न कोई हैवी इंडस्ट्री स्थापित की जानी चाहिए

ताकि वहाँ के स्माल यूनिट्स को काम मिल सके । एक बात मैं तालीम के बारे में भी कहना चाहता हूँ । मेरा कहना यह है कि सिलेबस को बिल्कुल ही बदल दिया जाना चाहिए । नैशनल तालीम, धार्मिक तालीम और सोशल तालीम हमारे यहां बिल्कुल ही नहीं दी जाती है । अब पिछले साल से ही एक पीरियड इसके लिए शुरू किया गया है । देश में अभी नैशनल करैक्टर की बहुत कमी है । इस नैशनल करैक्टर को बनाने के लिए मेरा कहना यह है कि तालीम का जो सिलेबस है, उसको बदल दिया जाए । बसते का वजन तो होता है 15 किलो और बच्चे का वजन होता है केवल 10 किलो । उस बच्चे की बस्ते का बोझ उठाते हुए कमर टूट जाती है । मेरा कहना यह है कि इस समस्या को हल करने की तरफ भी विचार किया जाए । मेरे शहर में 12 सरकारी स्कूल हैं, 9 तो प्राइमरी स्कूल हैं, 2 मिडल स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है । इन स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत यह है कि किसी की चार दीवारी नहीं है तो किसी की छत नहीं है । मुद्दत से किसी की भी मुरम्मत नहीं की गई है । इसके अलावा मेरे यहां पर 4 साल से कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है । अंग्रेजों के जमाने का एक वहां पर अस्पताल बना हुआ है । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अस्पताल एक हाईवे पर है । हालांकि वहां पर डेढ़ लाल की आबादी है और यह अस्पताल तीन हल्कों को फीड करता है । एक तो मेरा हल्का, दूसरा श्री निर्मल सिंह का हल्का जिसकी आबादी एक-डेढ़ लाख के करीब है और तीसरा चौधरी फूल चन्द जी का हल्का 1921 का, अंग्रेजों के टाईम का, यह अस्पताल बना हुआ है । उस समय का यह 50 बैड का अस्पताल बना हुआ है लेकिन आज तक भी इसमें 51 बैड नहीं किए गए । मेरा

मुतालबा यह है कि इसको कम से कम 100 बैड का अस्पताल जल्दी से जल्दी कर दिय। जाना चाहिए क्योंकि इस बारे में आन दी पलोर आफ दी हाउस. पहले भी कई बार अश्योरैन्स दिया जा चुका है कि हम इस अस्पताल को जल्दी ही 100 बैड का बनाएने । पता नहीं जब फन्डज की बात आती है तो क्यों अम्बाला कैंट का हिस्सा कट जाता है? अम्बाला कैंट में पीने के पानी की भी कमी है । जब किसी जगह पर पीने के पानी की कमी होगी तो वहां पर सीवरेज कैसे चलेगा । आज तक अम्बाला कैंट को किसी भी नहर से पानी का कोई हिस्सा नहीं मिला है । अब एस०वाई० एल ० का कुछ हिस्सा मिलना हे तो वह बननी लेट हो रही है । में यह कहना चाहता हूं कि यह जितनी लेट होगी, उतना ही हमारा कौम खराब हो रहा है । इसके अलावा अम्बाला कैंट को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार देने के लिए पिछले बजट सैशन में मैंने उझाव दिया था । उस पर काफी देर तक बहस होती रही । अन्त में चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में यह वायदा किया था कि हम इस तहसील को बैकवर्ड करार देने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करेंगे । मुझे उम्मीद है कि वह सिफारिश अब तक हो चुकी होगी । जब यह तहसील बैकवर्ड डिक्लेयर हो जाएगी तो इस हल्के में तरक्की का कोई चान्स पैदा होगा । जहां तक ट्रान्सपोर्ट का ताल्लुक है, हमारी ट्रान्सपोर्ट बाकी सूबों के मुकाबले में बहुत अच्छी हो इसमें कोई शक नहीं है । हमारे यहां ऐक्सीडेंट रेट भी दूसरों के मुकाबले में कम है । एक लाख किलोमीटर पर हमारा ऐक्सीडेंट रेट बंगाल को छोड़ कर सबसे कम है । एक लाख किलोमीटर पर ऐक्सीडेंट रेट दूसरी स्टेट्स का इस प्रकार से है :-

बंगाल का 18

हिमाचल का 27 और

महाराष्ट्र का 37 है ।

हमारी बसों की हालत भी अच्छी है । जब बसों में लोग सफर करते हैं तो हरियाणा की बसों की तारीफ भी करते हैं । अम्बाला कैट का बस स्टैंड मुश्तरका पंजाब के वक्त का बना हुआ है । यह सबसे पहला बस स्टैंड है जो हरियाणा पंजाब जब इकट्ठे थे, तो बना था । वहां पर डिपो भी बहुत पुराना बना हुआ है । इस वक्त वहां की आबादी पहले के मुकाबले तीन-चार गुना ज्यादा हो गई है । बस स्टैंड के पास ही 6 एकड़ सरकार की जमीन पड़ी हुई है । यह बस स्टैंड ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत से लोग बस पकड़ते हैं और सफर करते हैं । वहां पर सरकार के लिए जमीन एक्वायर करने का कोई चक्कर नहीं है । मेरा कहना यह है कि इस बस स्टैंड को जल्दी-जल्दी बड़ा बनाया जाए । एक्सार्इज एण्ड टैक्सेशन और सेल्ज टैक्स के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा टैक्स लगाते हैं, उतनी ही ज्यादा इन टैक्सों की चोरी बढ़ती है । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आस-पड़ौस के राज्यों में टैक्स का रेट कुछ और है और हमारे यहां कुछ और है, इस बारे में मेरा कहना है कि यदि ऐसा होता है तो टैक्सों की चोरी बढ़ती है । अगर हमारे यहां पर दिल्ली, राजस्थान वगैरह के बराबर ही टैक्सों का रेट हो तो चोरी कम होगी । हमारे सूबे में टैक्सों का रेट ज्यादा है । दिल्ली में तो यह हालत है कि कोई चीज

अगर आप खरीदना चाहे तो उसके लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए । अगर एक दो परसेंट का अन्ता हो फिर भी गड़बड़ कम होती है, अगर यह अन्तर ज्यादा हो तो गड़बड़ ज्यादा होती है । एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अफसर शाही को पावर थोड़ी देनी चाहिये । जहां पर आप अफसरशाही को ज्यादा पावर देंगे वहां पर टैक्सों की चोरी और गड़बड़ उतनी ही ज्यादा होगी । एक अफसर को यदि यह पावर दे दी जाये कि वह चाहे तो एक सौ या एक हजार रुपया जुर्माना कर सकता है तो उससे सरकार का नुकसान ज्यादा होता है । मेरा कहना यह है कि इस बारे में अफसरों को ज्यादा अखितयार नहीं होने चाहिये । इसके अलावा, मैं अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में भी बात करूंगा । जहां गांवों में डिवैल्पमेंट हुई है, वहां मेरा कहना यह है कि शहरों की डिवैल्पमेंट का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाये । इस के लिये बजट में पूरा प्रावधान किया जाये ताकि शहरों में भी सड़कें ठीक हो सकें । जैसे मैंने कहा है कि बरसात के दिनों में हमारे यहां कार तो चलाना दूर, साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है । एक बात मैं अर्बन डिवैल्पमेंट के मुताल्लिक यह कहना चाहूंगा कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिये अम्बाला कैट में कोई कालोनी नहीं है । इसके अलावा वहां पर न ही बाल्मीकियों और हरिजनों के लिये कोई कालोनी बनाई गयी है । मेरा कहना यह है कि इन सब के लिये एक-एक कालोनी अवश्य बनायी जानी चाहिये ताकि इन-कों भी कुछ फायदा हो सके । एक बात खासतौर पर देखने वाली है । 1947 से 1977 तक 30 सील तक कैनटोनमेंट बोर्ड रहा है । इस दौरान में वहां पर एक पैसा भी

डिवैल्पमेंट के लिये खर्च नहीं किया गया है । टैक्स तो हम बराबर देते रहे हैं लेकिन 30 साल तक सारा खर्च मिलिट्री एरिया के लिये होता रहा है । सरकार ने 1977 में वहां पर म्युनिसिपल कमेटी बनाई है । इसको बने हुए 7 साल हो गये हैं । हरियाणा का यह एक सबसे अच्छा, खूबसूरत और सबसे शानदार शहर है । हरियाणा सरकार की तरफ से 25,000 रुपये अनएम्पलायड लोगों को कर्जा देने के लिये एक स्कीम बनायी गई है लेकिन लोन सैक्शन करने वाले कमेटी में सारे के सारे सरकारी अफसर हैं । उसमें पब्लिक नुमाइंदा नहीं है । उसमें पब्लिक नुमाइंदा होना चाहिए ताकि वहां ठीक से काम चल सके । मैंने आई ० पी ० एम ० साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अम्बाला में थर्मल प्लांट लगाया जाए ताकि वहां पर बिजली की समस्या हल हो सके और गरीबों को रोजगार मिल सके । अब मैं फलड के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां एक नाला है । अपज मैंने एक कवैश्चन दिया था । सी 3 एम ० साहब ने जवाब दिया था कि उस नाले में चार हिस्सेदार है । एक तो एम ० इ० एस०, दूसरा म्युनिसिपल कमेटी, तीसरा हरियाणा सरकार और चौथा रेलवे विभाग । डिप्टी स्पीकर साहब, न तो चारों इक्के हों और न नाले की समस्या हल हो ।

श्री उपाध्यक्ष: आपको समय खत्म हो गया है । अब आप बैठिए ।

सेठ राम दास धमीजा: अच्छा जी, धन्यवाद ।

प्रो ० सम्पत सिंह (भट्टू कलां) : डिप्टी स्पीकर साहब, परसों डिमांडज पास हुई और आज ऐप्रोप्रिएशन बिल आया है तथा सरकार को हम रुपया खर्च करने के लिए अलाऊ करने जा रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, रुपया खर्च करने की मन्जूरी तो मिल जाएगी क्योंकि रूलिंग पार्टी की मैजोरिटी है लेकिन जिस मद के लिए पैसा रखा जाता है और जिस ढंग से पैसा खर्च होना चाहिए उस ढंग से पैसा खर्च नहीं किया जाता । डिपार्टमेंट के हैडज होते हैं कि इस हैड में इतना रुपया रखा जाता है और फलां हैड में इतना रुपया रखा जाता है लेकिन सारे का सारा पैसा एक पैरेलल ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसके थू खर्च होता है । ऐक्चुअल जिनके जू खर्च होना चाहिए उनके धू खर्च नहीं होता । उस पैरेलल ऐडमिनिस्ट्रेशन में वे लोग नहीं होते जो डैमोक्रेटिक तरीके से चुनकर आते हैं । ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जिनका ऐडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी वे सारे का सारा पैसा इस्तेमाल कर जाते हैं और उनकी शह पर सारे के सारे काम होते हैं । जो मिनिस्टर हैं, जो चौयरमैन है, जो दूसरे साथी हैं उनको जो महकमें मिले हुए है, उनके बारे में उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनके महकमें में ठीक ढंग से खर्चा होना चाहिए । इनकी अकाउंटैबिलिटी है । डिप्टी स्पीकर साहब, इस हाउस में ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार जब इस हाउस में मैम्बर बनकर आए, पहली बार चुनाव लडकर आए, तो उस वक्त उन्होंने छः एकड़ जमीन बेची । दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ा तो तेरह एकड़ जमीन बेची । लेकिन जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो मिनिस्टर बनने के बाद वे लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, कई कनेक्शंस लेते हैं और कई किरम की ऐजेन्सीज ले लेते हैं और

यह काम नाजायज ढंग से पैसा कमाकर होते हैं और राह नाजायज पैसा कहां से आएगा? डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो पब्लिक ऐक्सचेकर का पैसा है उसका ही गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बताया था कि मिनिस्टर लोग कानून हाथ में लेकर बहुत गलत काम करते कुंए । एक मिनिस्टर नगीने के थाने में गए । 1-7- 1983 को एक रेप का केस रजिस्टर हुआ हो और मिनिस्टर वहां जाकर थानेदार को कहे कि पैसा ले लो और इस केस को रजिस्टर न करो, विदड्रा कर लो । इस किस्म के काम अगर मिनिस्टर करता है तो फिर क्या हाल होगा? क्वैश्चन आवर में कुछ इस तरह की बात आने ली थी । लेकिन चूकि कुछ झगड़ा हाउस में होने लगा था इसलिए वह बात खत्म हो गई । डिप्टी स्पीकर साहब, कोआप्रेसन मिनिस्टर यहां बैठे नहीं हूँ । मैं कुछ कोआप्रेसन के बारे में कहना चाहता हूँ । जो मिनिस्टर यहां बैठे हैं वे नोट कर लें । मैं उनके नोटिस में एक बोट लाना चाहता हूँ कि लोग, कोआप्रेसिव महकमा को या जो सोसायटियां हैं उनको सोसायटी कहते है । कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी सौ रुपए के लिए ऐ प्लाई करता है तो थेने वाले आदमी की जेब में साठ रुपए जाते है । चालीस रुपए रास्ते में पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हालत यह है कि जो लाखों रुपए का गबन कर जाते हैं उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं होता । यहां हाउस में एक बालक का जिक्र आया । वह बालक बड़ा होनहार बालक है । गुडगांव जिले का वह लड़का है । वह चार लाख इकानवें हजार का गबन कर गया । क्यों गबन कर गया, क्योंकि उसके साथ किसी शती का खुन का रिश्ता था इसलिए वह गबन कर गश ।

इन लोगों को अगर पब्लिक ऐक्सचेंजर के रूप का इस्तेमाल करने की इजाजत दे देंगे तो ये सारा पैसा बरबाद कर देंगे । इसलिए इनको पैसा क्यों दिया जाए? ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक की तरफ नहीं है । हमको तो पब्लिक ने वोट नहीं दिया था, हम पब्लिक की वोट से जीत कर नहीं आए थे । हम तो एम ० एल० एज ० लोगो को इधर से उधर करके सरकार बना गए थे । हमारी तो उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी है । उनको मिनिस्टर बनाना है, उनको चेयरमैन बनाना है, उनकी परमिट कोटा देना है और लाइसेंस देने है । हमें पब्लिक का क्या करना है? जब ये इस ढंग से काम करते हैं तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन लोगों को इजाजत दें? डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐक्साइज एण्ड टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूँ । आपके नोटिस में भी आया होगा कि शराब के कुछ गोडाउन्ज थे जिनको शराब बेचने के लिए अथोराइज नहीं किया गया था लेकिन वहां पर शराब बिकी और लगभग तीन करोड़ का नुकसान हुआ । टैक्सेशन का भी यही हाल है । सिनेमा की टिकटें ले लीजिए और चाहे सिनेमा के अन्दर पिक्चर लगाने का हाल है सब के अन्दर करप्शन है । रोहतक में एक कांग्रेस (आई) का ऑफिस बेयरर है और रोहतक में ही हरियाणा का कोई बोर्ड है उसके चेयरमैन ने इल्जाम लगाया कि वहां पर बगैर टैक्स के टिकट बेची जा रही हैं और सरकार का लाखों रूपए का नुकसान हो रहा है लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । रोजाना चोरी हो रही है लेकिन इसके बावजूद कोई ऐक्शन नहीं है । इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, पिक्चर का टैक्स माफ होता है । कोई धार्मिक पिक्चर हो कोई सामाजिक पिक्चर

हो, आप टैक्स माफ कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम पैसों में 'पिक्चर देखें' । डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बताया गया कि 42 पिक्चर का टैक्स माफ किया गया है । बने पूछा था कि 'फार. एडल्टस ओनली' कितनी है तो बताया गया कि पांच का पता लगा है बाकी का पता नहीं लगा । क्या इससे मैं अन्दाजा लगाऊं कि बाकी की जो 37 हैं उनका भी टैक्स माफ हुआ है और वे भी 'ओनली फार एडल्ट्स' ही होंगी । अगर पिक्चर में वायलैस होगा, रेप केसिज होंगे और मर्डर होंगे और लोग उनको देखेंगे तो ला एन्ड आर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी । बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? लेकिन ये लोग उन पिक्चर का टैक्स माफ कर देते हैं क्योंकि उन लोगों से थोड़े बहुतें ताल्लुकात हैं और उनसे अन्डर हैंड कोई बात हो जाती है । इस वजह से उनके टैक्स माफ हो जाते हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, शाहबाद शूगर मिल अभी बन रही है । कोआप्रेसन का बड़ा इंटेलिजेंट मिनिस्टर है लेकिन उसकी चलती नहीं है । चलती क्यों नहीं है? क्योंकि कोआप्रेसिव मिल के अन्दर जो जनरल मैनेजर लगाया जाता है वह या तो एच ० सी० एस ० ऑफिसर होता है या कोआप्रेसिव महकमे का ऑफिसर होता है लेकिन लगा दिया उसको जो पचायते सम्भाला करता है । डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर बी ० डी ० ओ० को लगा दिया । क्यों लगा दिया? क्योंकि पहले वह बी ० डी०ओ० था, बाद में गवर्नमेंट ने उसकी एच० सी० एस० में नोमिनेशन करने के लिए एज की स्पेशल कसेशन दे दी । यह कसेशन उसको पचास-बावन साल की एज में दी गई । पहले वह ए ० जी ० ए ० बना

। लेकिन जब उसको ऐज की कंसेशन देकर एच० सी० एस० बनाया गया तो वह सी०एम० स्टाफ में आ गया । वह बी० डी० ओ० इसका दोस्त है । डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह से. ये अन्डर हैंड अगर काम कलाने लग जाएंगे, इस तरह के इन्लीगल काम होने लग जाएंगे और इस तरह की इल्लीगल अप्वायटमेंट होने लग जाएंगी तो मिल की क्या हालत होगी जो अभी जन्म ले रही है? अगर जन्म लेते ही कीड़ा लग जाए तो वह मिल कैसे पनप सकती है? चार हजार रुपए की कीमत के सीमेन्ट के बैग्ज घटिया किस्म के पकड़े गए और एफ० आई० आर० दर्ज है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । क्यों कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि जो जी० एम० है वह ब्लू आइड ब्वाय है । इसलिए उसके खिलाफ कोई-कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं दो चार केसिज आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ । केस नम्बर 95, 5-9- 1974 अन्डर सैक्शन 3661376, पी० एस० उरलाना, पानीपत । एफ० आई० आर० 145, 3- 11- 1982 अन्डर सैक्शन 368, 376, 506, पी० एस० सदर हिसार । एफ० आई० आर० नम्बर 8, अन्डर सैक्शन 20, रेलवे एक्ट में कनविक्षन भी हुई और तीस रुपया जुर्माना हुआ । एक केस एक्साइज एण्ड टैक्सेशन का भी हुआ है । 3-3- 1959 को हुआ और उसमें पचास रुपए की कविक्षन हुई । डिप्टी स्वीकर साहब, आप पूछेंगे कि यह आदमी कौन था जिसके खिलाफ ये एफ० आई० आर० बताई हैं । यह कौन आदमी है जिसके खिलाफ कविक्षन के केसिज हैं, जिसके खिलाफ ऐक्साइज के केसिज हैं, जिसके खिलाफ ऐम्बैजलमेंट के केसिज है और रेलवे के केसिज हैं?

मैं उसका नाम बताता हूँ । वह है
....

उसके खिलाफ ये केसिज दर्ज हुए थे ।

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ इन्होंने कहा है वह रिकार्ड नहीं होना चाहिए । यह जो कहा जा रहा है उसके साथ मुख्य मन्त्री का क्या सम्बन्ध है?

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री के बारे में जो डेरोगेटरी रिमाकर्स कहे हैं वे रिकार्ड न किए जाएं । (शोर एवं व्यवधान) ।

श्रीमती चन्द्रावती : ये कैसे निकाले जाएंगे । मुख्य मन्त्री का नाम लेना कोई डेरोगेटरी नहीं है (शोर एवं व्यवधान) ।

Mr. Deputy Speaker : This is derogatory. This will not be recorded.

श्रीमती चन्द्रावती : डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: आपके कहने से कुछ नहीं बनता । रूल के हिसाब से जो डेरोगेटरी होगा वह निकाला जाएगा ।

श्रीमती चन्द्रावती : इसमें डेरोगेटरी कुछ भी नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) ।

प्रौ० सम्पत सिंह :

श्री उपाध्यक्ष : ये मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए यह रिकार्ड नहीं होगा ।

12.00 बजे

श्रीमती चन्द्रावती : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से यह कहा गया कि फलां-फलां नाम कार्यवाही में से काट दो । नाम कैसे काटे जा सकते हैं? नाम तो आने ही चाहिये । (शोर)

श्री जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, एफ० आई० आर० रोजाना हरियाणा में बहुत सी दर्ज होती हैं । उन को मुख्यमन्त्री जी के साथ जोड़ देना कहां तक उचित है? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने एफ० आई० आर्ज के बारे में पहले कहा, उनको कैसे ऐक्सगन्ज करवा रहे हैं? मैं आपको उनका नम्बर भी बताता हूँ । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, जो वर्डज डैरोगेटरी हैं, वे कैसे रिकार्ड करवाए जाएं? आप कृपया बैठ जाएं । यह कोई बोलने का तरीका नहीं है । (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, जो वर्डज डैरोगेटरी होते हैं, वे रूल्ज एण्ड रेगुलेशंज की किताब में लिखे होते हैं कि फलां फलां वर्डज डैरोगेटरी हैं अन-पार्लियामैंट्री हैं तथा यह नहीं कहने चाहिये । (शोर) सर, अगर हम सरकार के खिलाफ न बोलेंगे तो किस के खिलाफ

बोलेंगे? मुख्यमंत्री महोदय का नाम आएगा ही (बिल) क्यों नहीं आएगा?

श्री हीरा नन्द आर्य : डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात फ़ैक्ट्स एण्ड फिगरज पर बेस करती हो, उसको आप कैसे ऐक्पन्ज करवा सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो ० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर साहब, मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूँ कि आप सीट रिज्यूम करें । अब वित्त मन्त्री जी जवाब देंगे । (शोर)

श्री जगदीश नेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । जब सम्पत सिंह जी बोल रहे थे तो हमने बीच में नहीं टोका लेकिन एफ ० आई ० आर० का मुख्यमंत्री से क्या ताल्लुक है? हरियाणा में ऐसी हजारों एफ ० आई ० आरज रोजाना दर्ज होती हैं । (शोर)

प्रो ० सम्पत सिंह: (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : Nothing should be recorded without my permission. Prof. Sahib, this is not the way of saying things in the House. (Noise & interruptions).

प्रो ० सम्पत सिंह :
..... (शोर)

Mr. Deputy Speaker : I have said that nothing should be recorded without my permission. (Interruptions). Nothing has been

allowed to be recorded. Prof. Sahib, I would request you to please resume your seat. (Interruptions.).

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, आपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बोलने के लिये कह दिया । इस पर तो मैं भी बोलना चाहती थी । (शोर)

Mr. Deputy Speaker : Bahin ji, one hour had been fixed for discussion on this Appropriation Bill in the meeting of the Business Advisory Committee. इसके अलावा आप उस समय बैठी नहीं थीं । आपकी पार्टी के दो मैम्बर हीरा नन्द आर्य और खिलन सिंह जी बोल चुके हैं । (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : यह बिल इतना जरूरी है कि हम इस पर थोड़ा बोलना चाहेंगे । मैं 5 मिनट ही लूंगी । पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि हमारी तरफ से कोई नहीं बोला । अपोजीशन की तरफ से 3-4 आदमी बोल चुके हैं । हमारे मैम्बर्ज को भी समय दिया जाना चाहिये । (विध्न) हमारी तरफ से कोई भी नहीं बोला । आप देखिये हमारी तरफ से भी कई मैम्बर बोलने के लिये खड़े हो रहे हैं । (शोर)

श्री अमर सिंह : सर, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । मैं आपकी स्पैसिफिक रूलिंग चाहूंगा । हाउस में पांच बिल डिस्कशन के लिये आए हुए हैं और अभी एक बिल पर भी वोटिंग नहीं हुई है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इसके लिये समय निर्धारित कर दीजियेगा । उसके

मुताबिक हम बोलेंगे । हमारी तरफ से कोई मैम्बर नहीं बोल पाया है । सभी मैम्बर अपोजीशन की तरफ से ही बोलते रहे हैं और जो मैम्बर उनकी तरफ से बोलना शुरू करते हैं, वे बैठते ही नहीं हैं । (शोर)

आवाजें : डिप्टी स्पीकर साहब, हम भी बोलना चाहते हैं ।
(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय अपोजीशन की तरफ से बहुत से मैम्बर बोलने के लिये खड़े हो गये ।)

श्री उपाध्यक्ष : साहेबान, आप बैठिये, यह कोई तरीका नहीं ।
(शोर)

श्री जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने यहां पर लगातार एफ ०आई०आरज का नम्बर देना शुरू कर दिया । न कोई नाम बताया, न ही कोई पुलिस स्टेशन बताया और सीधे ही मुख्यमंत्री जी के नाम से इनको कनेक्ट कर दिया ऐसी एफ० आई ० आरज ० का मतलब ही क्या है? यूंही इन एफ० आई ० आरल० को मुख्यमंत्री महोदय के नाम के साथ जोड़ दिया । यह कहां तक उचित है? इसके प्रिये ये कोई काल अटैन्शन मोशन लाते या कोई और नोटिस देते । यह कोई बोलने का तरीका नहीं है जो इन्होंने यहां पर अपनाया है । ऐसे ही फजूल के ऐलीगेशज लगा दिये । यह कोई तरीका नहीं है? (शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं आपकी इस पर रूलिंग चाहूंगा । हमारे एक माननीय

सदस्य ने एफ० आई० आर ० के नम्बर बताये । अगर उन एफ० आई ० आरज में किसी व्यक्ति का नाम जोकि इन्होंने कोट किया है, दे रखा हो तो उसको कहने में क्या बुराई है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling. Please take your seat. (Interruptions.).

प्र० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब,

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत कुछ कह लिया, आप कृपया बैठिये । जो कुछ ये कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए ।

सदस्य का नाम लेना

प्र० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : You should know the rules. When I am on my legs, you are supposed to sit down.

प्र० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुनिए..

Mr. Deputy Speaker : You please sit down.

प्र० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है

Mr. Deputy Speaker : Professor Sahib, you please sit

down, otherwise I will have to name you. You should know the rules first.

Prof. Sampat Singh : Sir. I know the rules

Mr. Deputy Speaker : Mr. Sampat Singh, I name you. You are trying to create a Tamasha. You are determined to make a Tamasha in the House. You please leave the House.

(The hon. Member did not withdraw from the House).

Prof. Sampat Singh :

Mr. Deputy Speaker : Prof. Sahib, I have named him. Take him out. Whatever, he is speaking, should not be recorded.

(At this stage the Serjeant-at-Arms went to the hon. Member, Prof. Sampat Singh, and escorted him to the opposition lobby).

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं ० 5) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

श्री राम विलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं भी इस बिल पर बोलना चाहता हूँ । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये । (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहब, क्या यहां पर प्वायंट आफ आर्डर रोज करने का कोई प्रोवीजन नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : बताइये आप क्या कहना चाहते हैं? (शोर)

श्री राम विलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी रिक्वैस्ट यह है कि दूसरे ऐप्रोप्रिएशन बिलज पर मैं नहीं बोलूंगा । मैं इस बिल पर अपने विचार रखना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : यह कैसे हो सकता है? आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मर्जी की बात नहीं है । मुझे इस बिल पर बोलने की आप आशा दीजिये क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी मैम्बर नहीं बोला है ।

Mr. Deputy Speaker : Please take your seat. I have already called upon the Finance Minister to speak.

डा० भीम सिंह दहिया: डिप्टी स्पीकर साहब, कोई मैम्बर अगर किसी एफ०आई०आर० को कोट करके डाकुमेंटरी प्रूफ दे रहा हो या डिटेल 'दे रहा हो तो उसमें डैरोगेटरी की कोई बात नहीं है ।

Mr. Deputy Speaker : Whatever he has said, if viewed in totality of the circumstances, is not derogatory, then what else can be derogatory ? That is certainly derogatory and I have rightly expunged it.

श्री हीरा नन्द आर्य डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आप ऐसी बात भी ऐक्सपंज करते हो तो सरकार के खिलाफ तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता ।

Mr. Deputy Speaker : Mr. Arya, I have already expunged it. Please take your seat, (Interruptions)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहब, कोई अनपढ़ आदमी तो टैक्नीकल्टी को नहीं समझ सकता। लेकिन आप तो हर बात को समझते हैं। अगर एक एम०एल०ए० खड़ा होकर कोई एफ० आई०आर० पढ़ता है, उसका नम्बर कोट करता है और यदि उसने एक्यूज्ड का नाम भी ले दिया तो इसमें ऐक्सपंज करने की क्या बात है।

Mr. Deputy Speaker : This is sufficient. Please sit down now.

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल केसिज के बारे में जो बातें कही गईं हालांकि आपने वे ऐक्सपंज कर दी हैं लेकिन इन्होंने जो इतनी लम्बी चौड़ी बातें कहीं हैं उनके लिये मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। इनको मालूम है कि ये कब के केसिज हैं। ये रिसेंट हैपनिंग के केस नहीं हैं बल्कि 10, 15 और 30 साल पुराने हैं। आज इनकी ऐप्रोप्रिएशन बिल के साथ कोई रैलेबैंसी नहीं है। पोलिटीकल आदमियों के खिलाफ पता नहीं कितने केस रजिस्टर हो ते हैं और उनका क्या हश्र होता है, उस बात की आज कोई रैलेबैंसी नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य : रेप के केस तो पुराने नहीं हैं।

चौधरी कटार सिंह छोकर : आपके खिलाफ भी रेप का झूठा केस दर्ज हो सकता है। इन भाइयों को महसूस करना चाहिए कि ये बातें स्कैंडलाइज न करें। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, आज जो इस ऐप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा हुई उस पर माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव भी दिये और कुछ एत-राज भी किए। आर्य

साहब ने कहा कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से बसों के किराये ज्यादा हैं । आर्य जी ने बड़ी चतुराई से उन स्टेटों के नाम पढ़े जिनमें थोड़ा बहुत किराया हम से कम है लेकिन पंजाब तथा दूसरे राज्यों के नाम नहीं लिये जिनमें हमारे से ज्यादा किराया है । बहरहाल हमारा और दूसरे प्रान्तों का इस मामले में मुकाबिला होना कठिन है क्योंकि हमारे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का 100 प्रतिशत नेशनेलाइजेशन है । उसमें कितना हमारा खर्चा है और किस तरह से हमें बहुत से रूट नुकसान में चलाने पड़ते हैं । आज हर इर्मपोटैट गांव से बसें चलती हैं जोकि बहुत ही अन-इकनोमिकल हैं । इसी तरह से हमारी बसों पर जो टोटल सर्विसिज हैं वह बहुत अच्छी तरह से पेड है । इनको न्यूनतम सहूलियात दी जाती है । हमारे बस स्टैंड और दूसरी सहूलियतें बहुत ही आधुनिक ढंग की हैं । यह तो बहुत ही पीछे ले जाने वाली बात है कि किसी भी दूसरी प्रान्त के मुकाबिले में यहां किराया कम किया जाए । ऐसा करके क्या हम ये सारी सहूलियात उठा लें? अध्यक्ष महोदय, किराये के बारे में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने भी सदन में एक व्यान दिया था । पेट्रोल, डीजल, टायर्ज और स्पेयर पार्ट्स तथा कर्मचारियों को बोनस वगैरह भी देना पड़ता है तो इसका साल भर में कितना खर्च ही जाता है । इसलिये हमारे ऊपर यह बड़ा भारी प्रेशर है कि 10 पैसे प्रति किलोमीटर चार्ज करने से भी सारा खर्चा मीट नहीं हो रहा है । इसके बावजूद भी सरकार का कोई किराया बढ़ाने का विचार नहीं है । पिछले तीन चार सालों से हमारी ट्रांसपोर्ट इसीलिये कुछ घाटे में है । हमारी घाटे और मुनाफे की कहानी डिफरेंट है । हमारी ट्रांसपोर्ट में फेयर के ऊपर 60 प्रतिशत पैसेंजर टैक्स लग जाता है । वह ज्यादातर पैसा टैक्स

के रूप में सरकार को आता है जोकि बहुत बड़ी माता में है । तो वह भी तो उसी ट्रांसपोर्ट का कमाया हुआ पैसा है । उसकी इंसीडेंस ऐसी की हुई है ताकि दूसरी शक्ल में सरकार को आमदनी बढ़ कर मिले । इसके अलावा आर्य साहब ने एक बात यह कही कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्टोर्ज में बंगलिग होती है इसलिए वहां पर टैक्नीकल आदमियों की बजाय एच० सी०एस ० आफिसर्ज लगाए जाएं । स्पीकर साहब, वर्कशाप्स और स्टोर्ज में टैक्नीकल आदमी होते हैं वहां पर एच० सी०एस ० नहीं लगाए जा सकते । मैं आर्य साहब की जानकारी के लिए बदाना चाहूंगा कि जी०एम ० सुपरवाइजरी अक्सर होता है वह एच०सी० एस ० होता है । वर्कशाप्स और स्टोर्ज में एच० सी०एस ० अफसर नहीं लगाए जा सकते । इसके अलावा स्पीकर साहब, आर्य साहब ने एक यह सवाल उठाया था कि इनके क्षेत्र में कोई आदमी था वह पुलिस कस्टडी में मरा है । लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि वह आदमी रेल के नीचे आ कर मरा है और उसने सुईसाइड किया है । इस किस्म के सवालों के बारे में मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सदन के अन्दर बताया है मैं उनकी बातों को रीपीट नहीं करूंगा । इसके अलावा आर्य साहब ने एक बात यह कही थी कि एक सी आई०ए ० इन्सपैक्टर के खिलाफ कोई पैसे का इल्जाम है । अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह रूटीन मैटर है और अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आती रहती हैं । अगर इस बारे में कोई शिकायत आई है तो उसकी जांच-पड़ताल हो रही होगी, और उस पर एक्शन हो जाएगा । यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आ गई तो उसका यह कोई मतलब नहीं है कि उसका जिक्र विधान सभा में उठाया जाए । इसके अलावा इन्होंने एक

बात यह कही कि फ़ैक्टरीज में लेबरर्ज की हालत ठीक नहीं है और सेहत बहुत खराब हो रही है । इस बारे में हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से हाउस में बार बार स्टेटमेंट आई है कि सारी स्टेट में हेल्थ के बारे में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं । इसलिए मैं उनको दोबारा रीपीट नहीं करना चाहूंगा । है—एथ मिनिस्टर साहिबा ने यह बता दिया था कि सारी स्टेट में हेल्थ के लिए उपाय किए जा रहे हैं । इसके अलावा एक बात यह कही गई कि पब्लिक हेल्थ से पानी की सप्लाई की बड़ी समस्या है । अभी तक पूरा पानी प्राप्त नहीं हुआ है । इस बारे में मैंने बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा था कि हमने पांच गैलन पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई करने के लिए हिदायत दे दी है । इसके अलावा ऐजुकेशन के बारे में भी कहा गया कि ऐग्जाम के दौरान नकल वगैरह होती है । इस बारे में पूरे कदम उठाए जाते हैं और फ्लॉइंग स्कवैड वगैरह का इन्तजाम किया जाता है । इसके अलावा आगरा कैनल के बारे में सदन में कई बार बातें कही गयीं । मैं इस बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इस कैनल के बारे में यू० पी० गवर्नमेंट से मीटिंग हो गई है । इस बारे में हम पूरी कोशिश करने का प्रयत्न करेंगे । फ्लड के बारे में भी कई माननीय सदस्यों की तरफ से बातें कही गयीं । उस बारे में आई०पी०एम ० साहब ने डिटेल में बता दिया था । इसलिए उसको रीपीट करना ठीक नहीं होगा । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि धमीजा साहेब ने और सम्पत सिंह जी ने जो सुझाव दिए हैं वह नोट कर लिए गए हैं और उन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विचार करेंगे ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा ।

क्लोज 2

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा) : जनाब स्पीकर साहब, यह जो ऐप्रोप्रिएशन बिल है इसके बारे में अर्ज यह है कि सही मायनों में देखा जाए तो जिस ढंग से ऐप्रो- प्रिएशन होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो रहा है । यह मेरे पास सी ० यू ० जी ० की रिपोर्ट है मैं आपको इसके अन्दर से पढ़ कर बताना चाहूंगी कि किस तरह से हैड आफ दि डिपार्टमेंट्स टाइम पर रिपोर्ट नहीं देते हैं । मेरे पास यह 1981 की सी ० ए० जी० की रिपोर्ट है । 1982 की तो अभी तक आई ही नहीं है । इस 1981 की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है :—

"After the close of each financial year, the detailed Appropriation Accounts showing final grants /charged appropriations, actual expenditure and resultant variations are sent to the Heads of Departments requiring them to explain the variations.

In regard to the Appropriation Accounts 1981-82, the explanations for variations were not received (January 1983) in the case of 210 out of 370 heads. These formed 57 per cent of the

number of heads, the variations under which required explanation. Such delay in submission of material for the Appropriation Accounts results in the Audit report remaining incomplete in certain essential respects."

तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि उनकी आडिट रिपोर्ट डिले हो जाती है । अब आप बताए कि 370 हैड हैं उनमें से 210 हैड की रिपोर्ट उनके पास जनवरी 1983 तक नहीं आई इससे ज्यादा और इररैगुलैरेटी क्या हो सकती है । इसका मतलब तो यही हो सकता है कि व तो अमाउंट ठीक नहीं रखा गया या सारे अकाउंट्स को गबन कर दिया गया. । इसलिए उस ऐप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को भेजने की इनमें हिम्मत नहीं होगी । इसके अलावा मैं इंडस्ट्रीज के बारे में एक बात कहना चाहूंगी । जनाब स्पीकर साहब, जो रुरल डिवैल्पमेंट इंडस्ट्रीज प्लान है वह मैंने देखी है । वह बहुत अच्छी प्लान है लेकिन आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैटर्ज हैं उनमें फंक्शनल मैनेजर उन आदमियों को लगाया हुआ है जिनको इस ट्रेड के बारे में कुछ भी पता नहीं है । वे इस ट्रेड में माहिर नहीं हैं जबकि उनको इस ट्रेड में माहिर होना चाहिए था ताकि लोगों को उनसे कोई फायदा होता । इस ट्रेड में माहिर न होने के कारण उन्होंने पैसे को भी इस्तेमाल नहीं किया है । इन्होंने डी ० आई ० सी ० के जी ० एम ० का नाम फंक्शनल मैनेजर रख दिया जबकि उनको इस ट्रेड का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है । स्पीकर साहब, इस बारे में मैंने एक सवाल भी दिया था । इस स्कीम के तहत जितना भी पैसा अनएम्पलायमेंट के लिए खर्च होना था वह सारे का सारा पैसा मिस-ऐप्रोप्रिएट हुआ है । वह पैसा

देहात के जो पढे लिखे नौजवान थे, जो कम पढे लिखे थे और जो अनपढ नौजवान थे उनको काम दे ने के लिए उद्योग विभाग की तरफ से खर्च होना था । उन नौजवानों को इस लाइन में गाइड करने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी उस पर वह पैसा खर्च होना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ । इस सरकार ने ऐसे फंक्शनल मैनेजर लगाए हुए हैं जिनको इस ट्रेड के बारे में कुछ भी पता नहीं है । मैं यह कहना चाहती हूं कि फंक्शनल मैनेजर ए से आदमियों को लगाया जाना चाहिए था जिनको इस बारे में पता हो और उन्होंने इंडस्ट्रीज के बारे में कोई ट्रेनिंग ली हुई हो ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लोज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लोज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिडचूल बिल का शिडचूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैकिटिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि अनैकिटिंग फार्मूला 1 बिल का अनैकिटिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir,
I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए ।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं ऐजुकेशन के बारे में ही कहना चाहूंगी । ऐजुकेशन हैडिंग के तहत दर्शाया गया है कि इसमें 86 हजार रुपये का गबन हुआ है । आज सरकार गाँवों के स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही । गाँवों के स्कूलों के अन्दर जब नकल की बात की जाती है तो जवाब देते हैं कि यह तो यूनिवर्सल हो गया । पहले गाँवों के बच्चों का भी पहली कक्षा से ही इम्तहान लिया जाता था, लेकिन आज कल वह बंद कर दिया । यह जानबूझ कर किया गया है ताकि गाँवों के बच्चे अनपढ़ रहें, आगे न बढ़ पायें । जबकि इसके विपरीत शहरों के जो पब्लिक स्कूल और माडल स्कूल हैं उनमें छोटे छोटे बच्चों के भी सातवें दिन टैस्ट होते हैं लेकिन देहात के अन्दर कोई टैस्ट बच्चों का नहीं लिया जाता । आज कल शायद पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक बच्चों का कोई टैस्ट नहीं लिया जाता । जिस समय जनता सरकार का राज था उस समय मैंने कई चिट्ठियां लिखी थीं कि प्रत्येक बच्चे का पहली कक्षा से ही टैस्ट लिया जाना चाहिए । उस समय जनता सरकार ने तीसरी कक्षा से टैस्ट लेना या इम्ताहन लेना शुरू कर दिया था । जब तक गाँवों के बच्चों का टैस्ट नहीं लिया जायेगा तो वे कैसे आगे बढ़ पायेंगे? आजकल गाँवों के स्कूलों के अन्दर साईंस टीच (नहीं लगे हुए । न ही किसी स्कूल में लैबोरेटरी मिलेगी । अगर कहीं लैबोरेटरी का कमरा होगा तो उसमें इस्ट्रूमैंट आदि नहीं मिलेंगे । आज कल 10 वीं के लड़के

लड़कियों को 10 वीं पास मास्टर ही पडा रहा है । हमारे पास मैथेमैटिक्स के टीचर हैं लेकिन उन्हें नहीं लिया जाता । पीछे इन्ट्रव्यू हुए थे । उनके अन्दर जो फर्स्ट क्लास लड़के थे, उन्हें नहीं लिया गया । इस सरकार ने, जब से यह सत्ता में आई है, टैक्नीकल ऐजुकेशन का कोई इंतजाम नहीं किया । जितना टैक्नीकल ऐजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया । अब सुनने में आ रहा है कि कोई टैक्नीकल इन्स्टीच्यूशन आदमपुर में खोल रहे है । (विधन) मैं यह नहीं कहती कि आदमपुर में क्यों खोला जाये । जहां पर भी ऐसे इस्टीच्यूशन खोले जाएंगे बच्चों को उससे ज्ञान ही प्राप्त होगा । आप चाहे, ऐसे इन्स्टीच्यूशन दादरी, झझर, लोहारू या हथीन में खोलें हमें कोई एतराज नहीं है । ऐसे इन्स्टीच्यूशन यदि ज्यादा से ज्यादा खोले जाएंगे तो फ़ैक्टरीज के लिए अच्छी लेबर मिल सकेगी । एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि आल इन्डिया बेस पर जो शिक्षा होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही । अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीच्यूशन का यह डारैक्टिव प्रिंसिपल है कि हर बच्चे को, चाहे वह लड़का है या लड़की है, शिक्षित होना चाहिए । लेकिन यह सरकार उसका भी पालन नहीं कर रही ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पुलिस के संबंध में कहना चाहती हूं । आज पुलिस के जो कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल कुंए, उनको आने जाने का किराया बसों का नहीं दिया जाता जब भो वे किसी जगह पर अपनी ड्यूटी पर 'जाते हैं' तो वहां पर उनके खाने पीने का इन्तजाम नहीं किया जाता । जो आदमी रात दिन ड्यूटी करता है, उसके खाने पीने तथा रहने का यदि कोई इन्तजाम नहीं किया जायेगा तो हम कैसे

उम्मीद कर सकते हैं कि वह ईमानदारी से रहेगा । इसके लिए मेरा सुझाव है कि इनकी समस्या का कोई न कोई समाधान किया जाना चाहिए । हम लोग अपने मंत्रियों के और एम ० एल ० एज ० के टी ० ए० डी ० ए ० बढा लेते हैं लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता । पीछे अखबार में खकर आई थी कि चंद्रावती का भी टी ० ए ० डी ० ए ० मंत्रियों के बराबर कर दिया है । मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने तो आज तक एक पैसा भी टी ० ए ० डी ० ए ० का नहीं लिया है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में जिक्र करना चाहूंगी । आज एक सवाल के जवाब में मुख्य मती जी ने कहा कि चुने का कोई बीज खराब नहीं था । बाजरे के बीज में भी पीछे खराबी की शिकायत आयी थी । इसी प्रकार से अब इंदिरा नाम का सरसों का कोई बीज बिका है, वह भी खराब बीज था । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ ट्रैक्टर्ज खरीदे थे । लेकिन उन की खरीद करते वक्त कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इनमे कमियां थीं । कईयों के बे रिंग आदि ठीक नहीं पाये गए जिससे डेढ लाख रुपये के करीब का नुकसान हुआ । यह प्वायंट आडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है । इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे केसों की जांच होनी चाहिए । मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि यह ऐप्रोप्रिएशन बिल को बजाय मिस-ऐप्रोप्रिएशन बिल है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं ० 4) बिल 1984

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir,
I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1984.

Sir, I also move—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल वित्त मंत्री जी ने हाउस में पेश किया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ । इस बिल के सब हैड नं ० 2 में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र आता है । स्पीकर साहब, एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि हम बजट के अन्दर 15 प्रतिशत बचत करके खर्चे परे काबू पा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ । पिछले दिनों दैनिक ट्रिव्यून, जो एक गाना हुआ अखबार है, में खबर छपी थी कि एक मंत्री महोदय को गाय का दूध पीने का शौक सपने में आ गया । उसने सुबह उठते ही अपने सारे महकमें के आफिसर्ज को जो वहां पर हाजिर थे कहा कि मुझे गाय का दूध ला कर दो । मन्त्री जी के लिए

गाय का दूध लाने के लिए एक गाड़ी फरीदाबाद और दूसरी गाड़ी रोहतक आयी क्योंकि उस समय दूध निकालने का समय हो गया था । सिर्फ दो किलो दूध के लिए सरकार के हजारों रुपयों 'को बर्बाद कर दिया गया । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि ऐसे खर्चों पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए । इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनका ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं होता । इस संबंध में चर्चा तो पहले भी हो चुकी है । आज सरकारी गाड़ियां आफिसर्ज के बच्चों को पहले स्कूल छोड़ने के लिए जाती है फिर उन्हें वापस स्कूल से लाती हैं । कई मंत्रियों का तो स्पेशल माचिस मार्किट से लाये बगैर सिगरेट से धुआ नहीं निकलता । स्पेशल माचिस मार्किट में जब नहीं मिलती है तो ड्राइवर परेशान होता है । लेकिन सरकार इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही । इन्हीं कारणों से बजट का घाटा बढ़ता जाता है । मेरे कहने का मतलब है कि बिना किसी काम के पेट्रोल को जलाया जा रहा है इसलिए सरकार को इस तरफ खासतौर से ध्यान देना चाहिए ।

स्पीकर साहब, इस बिल में होम— डिपार्टमेंट का एक हैड है, इस पर मैं थोड़ा सा आपकी मारफत सदन से अर्ज करना चाहता हूं । सदन में एक क्वेश्चन आया था जिसके जवाब में मुख्य मन्त्री जी ने बताया था कि हरियाणा में चोरी और मर्डर की तादाद बढ़ी है । इतने मर्डर बढ़ने का एक कारण यह भी है कि सरकार की तरफ से कन्विकशन बहुत पूअर है । स्पीकर साहब, 1981 में एक बहुत भयानक मर्डर हुआ था । (रक परिवार के पाच आदमियों को कत्ल कर दिया

गया था । पूरे का परा परिवार तबाह कर दिया गया था । जिसकी वजह से सारे का सारा इलाका आतंकित है । मैं होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तथा अधिकारियों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इन अपराधियों को जिन्होंने पूरे का पूरा परिवार खत्म कर दिया है, कन्विक्शन नहीं हुई है' । सारे परिवार में नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है । चार बच्चे, दो मां-बाप का कौल्ड ब्लडिड मर्डर कर दिया गया । होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि जिन अपराधियों ने 5 खून किये हों उनको सजा दी जाए । 1981 का केस है लेकिन उनको अभी तक कन्विक्ट नहीं किया गया । यह होम डिपार्टमेंट की कार्यकुशलता का नमूना है । इसी तरह से स्पीकर साहब, नारनौल में एक औरत के साथ बलात्कार किया गया । मेरे पास कागजात हैं, मैं इसका सबूत पेश कर सकता हूं कि किस तरह से बलात्कार करके एक औरत की जिन्दगी बरबाद कर दी गई । इस सिलसिले में एक ए० एस० आई ० का लड़का गिरफ्तार किया गया । यह ठीक है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बड़ी जदोजहद के बाद इस ए ० एस ० आई० के लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया । आसानी से मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, लोगों को बड़ी जदोजहद करनी पड़ी । सीकर साहब, इसी तरह नारनौल में कमला नाम की एक लड़की गुम हो गई । इसके बारे में होम डिपार्टमेंट को लिखित रूप में शिकायत की थी और मुख्य मन्त्री जी ने मेरे एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया है कि नारनौल में कमला नाम की औरत गुम हो गई है । लेकिन अभी तक इस केस का कुछ नहीं हुआ । कमला लापता हो गई और उसका डेढ़ साल का बच्चा उसकी जान को रो रहा

है । मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें इस किस्म की शिकायत मिली है । जिस दिन कमला घर छोड़ कर गई, उस दिन वह ए ० एस ० आई० की भाभी श्रीमती चांदकौर के साथ थी, उसके बाद गायब हो गई । अब तक इस केस का पता नहीं चला और फिर मुख्य मंत्री जी तारीफ करते हैं कि होम डिपार्टमेंट ऐफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है । आज दिन प्रति दिन कन्विकसन कम हो रही है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं । जब तक कमला मिलेगी नहीं, तब तक यह बात हाउस में बार बार आती रहेगी ।

स्पीकर साहब, अब मैं ऐक्सार्ज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ । आज फरीदाबाद नगर दामाद नगर बना हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आप रिपोर्ट न करें । एक काबिल आदमी रिपोर्ट करे तो अच्छा नहीं लगता ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, ये बातें मेरे जिले से ताल्लुक रखती हैं और मेरे ध्यान में आती रहती हैं, इसीलिए मैं बारबार कह देता हूँ । अब मैं ऐक्सार्ज डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ । ऐक्सार्ज से दो प्रकार का रैवेन्यु आता है एक रेवेन्यु वह है जो सरकार के खजाने में जाता है और दूसरा रैवेन्यु वह है जो लोगों की जेबों में जाता है । यह रैवेन्यु खजाने में जाने वाले रैवेन्यु से कई गुना ज्यादा है । मैंने ऐक्सार्ज एंड टैक्सैशन मिनिस्टर श्री बृज मोहन सिंगला को लिखित रूप में शिकायत भी की थी कि एक ए ० टी ०

ओ० ने किसी आदमी को कहा कि तुम वकीलों को फीस क्यों देते हो मुझे ही दे दिया करो यह आदमी बहुतै रिश्वत लेता है और मैंने इसके बारे में लिखित रूप में शिकायत की है । जितना रैवेन्यू सरकार के खजाने में जाता है, इससे कई गुना रैवेन्यू इन सरकारी अफसरों के घरों में जाता है । एक तरफ स्टेट में विकास के कार्य रुके हुए हैं और दूसरी तरफ रैवेन्यू की प्राप्ति कम होती जा रही है । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । स्पीकर साहब, ऐजुकेशन मिनिस्टर बड़े समझदार आदमी हैं, ये शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, यह बात उनकी तबीयत से ही जाहिर होती है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि वे स्कूलों में, विद्यालयों में सरपराईज रेड कर के देख लें, उनको मालूम होगा आज शिक्षा का स्तर हरियाणा में कितना गिर गया है । सारी शिक्षा चौपट हो गई है । सरकारी शिक्षा संस्थाओं का स्तर बहुत गिर चुका है । अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे कस्बों में प्राइवेट शिक्षा संस्थायें चल रही हैं । लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं । इन्होंने पढ़ाने के लिए बी ०, ए ० एम ० ए ० लड़कों को रखा हुआ है और सरकारी स्कूलों से ज्यादा पढ़ाई करवाते हैं । आज सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है । सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को दलिया और तेल दिया जाता है । वह दलिया और तेल बच्चों को नहीं मिलता बल्कि अफसरों की सेहत बनाने में लग जाता है, गरीब बच्चों को कुछ नहीं मिलता । हरिजन बच्चों को वर्दी देने का प्रोवीजन शिक्षा विभाग ने कर रखा है, लेकिन ये वर्दियां हरिजन बच्चों तक नहीं पहुंचती । यह बड़ी सीरियस और चिन्ताजनक बात है । स्पीकर साहब, इस बिल में एक एम्पलायमेंट का कालम है । इसमें अन्य-एम्पलायमेंट टूर करने के लिए राशि रखी गई

है । आज हरियाणा में 4 लाख 40 हजार लड़के बेरोजगार हैं । इस संख्या में डाक्टर्ज है, एम ० एड० है, इजीनियर्ज हैं, ग्रेजुएटस एंड पोस्ट ग्रेजुएटस हैं । हजारों की तादाद में बेरोजगार बढ़ रहे हैं । सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए । यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि बेरोजगारों की तादाद इतनी रफ्तार से क्यों बढ़ रही है? इस पर काबू पाना आवश्यक है । सरकार एक तरफ विकास का दम भरती है और दूसरी तरफ पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है । पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी से हताश हैं । एक सवाल के जवाब में बताया गया कि 1069 लोगों ने आत्म-हत्या की है पिछले दो सालों में । मेरा खदशा है कि इस संख्या में कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या की है ।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी वाइंड-अप करें । इस तरह फ्री-स्टाईल से न बोलें ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं क्या करूँ, मुझे अपनी बात जाहिर करने का समय नहीं मिलता, इसलिए किसी न किसी मद को लेकर बोलना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बोलें, लेकिन रेलैवेंट बोलें । आप बिल से बाहर जा रहें हैं ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, डेरी डिवैल्पमेंट कारपोरेशन करोड़ों रुपये के घाटे में है । इस घाटे को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इस डिपार्टमेंट को वाइंड-अप किया जाए

सरकार ने इसका नाम बदल दिया लोड कन वही कर्मचारी उसमें काम कैं. रहे हैं । इसमें करोड़ों रुपये के बड़े बड़े घपले हुए हैं । इस कारपोरेशन ने 29 रु० 30 पैसे पर किलो वीटा घी बेच दिया जब कि उस दिन घी का रेट 4, 3 रुपये किलो. था । इस तरह करोड़ों रुपये का गबन किया गया । स्पीकर साहब, इन्होंने घी की मशहूरी के लिए आगरा में एक डिपो खोला है । एक तरफ करोड़ों रुपये का घाटा कारपोरेशन को हो रहा है और दूसरी तरफ मशहूरी के लिए गये डिपो खोलने पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है । इसका कोई फायदा होने वाली नहीं है । विविध भारती से ऐडवर्टाईजमेंट की जाती है और दूसरी तरफ 43 रुपये किलो की बजाये 29 रु० 50 पैसे किलो घी बेचा जाता हैं जिससे करोड़ों रुपये का घाटा पड रहा है । इसमें लाखों रुपये का घपला है ।

श्री अध्यक्ष : — अब आप बैठ जाइए ।

श्रीमती बसन्ती देवी (हसनगढ) : स्पीकर साहब, हमारी प्रधान चली हर रोज यह कहती हैं कि जिन औरतों की डोरी' की वजह से डैथ हुई है उनके दोषियों के खिलाफ बहुत उक्त कदम उठाए जाएंगे । मैं अपने हल्के का एक किस्सा हाउस के सामने रखना चाहती हूं । रिटोली गांव के सतपाल की लड़की सैशन कौर भैसंवाल गांव के जिले सिंह के लड़के राजबीर को ब्याही गई थी । सतपाल के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए वह दहेज नहीं दे सका । जिले सिंह इस वजह से बहुत नाराज था । वह एक बदचलन आदमी भी था । कई बार उसने सैशन कौर से बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन चिक वह एक नेक

लड़की थी उसने अपने आपको सरेन्डर नहीं डि या । इस वजह से जिले सिंह उस लड़की से और नाराज हो नगा । एक दिन उसने अपने दूसरे लड़के से मिलका— उसे जलाने की कोशिश की । (विध्न) उसे आग लगाई गई वह जलती हुई चीखती चिल्लाती बाहर निकलीं । सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसे जिन्दा बचा लिया गया लेकिन दुःख की बात है कि उसे हस्पताल नहीं थे जागा गया । लोगों ने कहा कि उसे हस्पताल ले जाओ लेकिन जिले सिंह जानता था कि अगर मैं इसे हस्पताल ले गया तो यह सच्चा ब्यान दे देगी और मैं पकड़ा जाऊंगा । उसे आर ०एम ०पी० से टीका लगवा कर मौत के घाट उतार दिया गया और रात के अंधेरे में 5-6 आदमियों ने मिलकर उसका दाह संस्कार कर दिया । उसके पेरैन्ट्स को खबर नहीं दी गई हालांकि वहां से उस गांव का रास्ता दो घंटे से ज्यादा नहीं था ।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला)

: सरकार इसमें क्या करे?

श्रीमती बसन्ती देवी: सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है । इसमें एक एम०एल०ए० का हाथ है । वह एम०एल ०ए ० यहां बैठा हुआ है । अगर आप कहें तो मैं नाम ले दू । (विध्न) चौधरी भले राम जी यहां बैठे हैं । यह उस केस को पुलिस में दर्ज नहीं होने देते । (विध्न)

श्री भले राम : सीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशौन देना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : हें आपको बाद में टाईम दू गा ।

श्रीमती बसन्ती देवी : उसका पोस्ट मोर्टम नहीं करवाया गया । उसके मां बाप को खबर नहीं दी गई । पुातलेस में केस दर्ज नहीं करवाया गया जबकि वह एक अन-नैचुरल डैथ थी । (विघ्न) जब कभी अन-नैचुरल डैथ होती है तो पुलिस में केस दर्ज करवाया जाता है लेकिन इस केस में चौधरी भले राम जी की मेहरबानी से आज तक केस दर्ज नहीं हुआ । यह जुलाई 83 का केस है लेकिन आज तक वे लोग धक्के खा रहे हैं और केस दर्ज नहीं हो रहा है । (विघ्न)

स्पीकर साहब, पुलिस के बारे में एक दो बातें हे और कहता चाहती हूं । एक एस०एच० ओं ० है । हर तीसरे दिन उसकी बदली हो जाती है । साल में 1 ० बार वह बदल चुका है । पता नहीं सरकार का इसमें क्या फायदा है और उसका क्या फायदा है? 10 हजार रुपये तो उसे टी०ए०और डी०ए ० के रूप में मिल चुके हैं । मैं इनसे पूछती हूं कि क्या उस एस०एच० ओ ० के बच्चे नहीं हैं, क्या वह उन्हें पढाना लिखाना नहीं चाहता जो सरकार इस तरह से उसे बदलती रहती है? इस तरेह की बात नहीं होनी चाहिए । (विघ्न)

स्पीकर साहब, इस सरकार ने सिपाहियों के लिए घरों का कोई इन्तंजाम नहीं किया है । आर्मी में भी जो सिपाही होते हैं उन्हें भी फ़ैमिली ऐकमोडेशन दी जाती है । मैं मानती हूं कि सब सिपाहियों को एक साथ मकान नहीं दिए जा सकते लेकिन बाई रोटेशन तो दिया जा सकते हैं । वे भी अपने बाल बच्चों के साथ रहना चाहते हैं । उन्हें

शायद 5 परसेंट हाउस रेंट मिलता है जिसके हिसाब से केवल 40- 50 रुपये बनते होंगे । क्तने पैसे में किसी को मकान किराये पर नहीं मिल सकता । फिर उनके खाने पीने का भी कोई इन्तजाम नहीं होता । वे सारा दिन ड्यूटी पर रहते हैं । (विघ्न) वे सुबह से शाम तक मिनिस्ट्रों की सेवा में हाजिर रहते हैं लेकिन उन्हें अपना खाना खाने तक का समय नहीं दिया जाता । आर्मी में भी उनकी ड्यूटी लगती है लेकिन खाने के वक्त उन्हें रिलीव कर दिया जाता है । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

स्पीकर साहब, न्यूज पेपर्स में नायब तहसीलदार, पटवारी, फौरैस्ट गार्ड और चपडासी आदि सब जगहों के बारे में ऐडवर्टाइजमेंट आती है । लोग पोस्टल आर्डर्स के साथ ऐप्लीकेशनज देते हैं । उनका रिटर्न टैस्ट होता है, इन्टरव्यू होता है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आदमपुर से आगे नहीं पहुंचता । ज्यादा हुआ तो हिसार तक पहुंच जाता है । (विघ्न) मैं सुबह सी०एम ० साहब से ड़इश चाहती थी कि उनके कहा क्राइम इसलिए कम हैं क्योंकि सब बच्चे नौकरी फर लगे हुए हैं । रोहतक और सोनीपत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं लेकिन वहां के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती । (विघ्न)

स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगी । गांव में जो भी काम होता है उसको बेगार समझ कर किया जाता है । वहां वी टर वर्कस बन जाते हैं लेकिन यह नहीं सोचा जाता कि उनमें पानी भी है या नहीं है, वहां पानी निकलने का रास्ता है या नहीं है । आज अगर आप देखें तो गांव नरक बन गए हैं । वहां औरतों को पानी लेना

मुश्किल है । ट्रैक्टर वहां से नहीं निकल सकते । मैं प्रैस वाले भाइयों से भी एक बात कहना चाहती हूं । ये चण्डीगढ़ में ही बैठे रहते हैं । इन्होंने कभी गांव में जाकर नहीं देखा । ये भी गांव की सही हालत नहीं लिखते क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि गांव किस मुसीबत में रह रहे हैं । तो मेरी इनसे रिक्वैस्ट है कि ये कभी गांव में जाकर देखें । हो सकता है कि वे लोग इनकी उतनी खातिर न कर सकें जितनी यहां होती है । दूध पिलाने की हालत में तो वे नहीं हैं लेकिन एक एक कप चाय वे इनको जरूर पिला देंगे ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री भले राम द्वारा

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं । बहन बसन्ती देवी जी ने बोलते हुए मेरा जिक्र किया और कहा कि मैं किसी मर्डर केस को पुलिस में दर्ज नहीं होने देता । मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जिस केस का इन्होंने जिक्र किया है उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता । वह गांव भी मेरी कास्टिचुएँसी में नहीं है । मैं यह भी ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने उन आदमियों को देखा तक नहीं है ।

श्रीमती बसन्ती देवी : इतनी गलत बात न करें ।

श्री भले राम : मुझे इस केस का बिल्कुल पता नहीं है । मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि बहन जी इस तरह का इल्जाम मेरे ऊपर लगाएंगी । (विध्न) किसी मर्डर केस को तो चीफ मिनिस्टर साहब भी

दर्ज होने से नहीं रोक सकते । अगर वह केस जायज होगा तो जरूर दर्ज होगा । (विधन) इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं यह कहूंगा कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वह बिल्कुल बे-बुनियाद है ।

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 4) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

चौधरी ईश्वर सिंह (पुंडरी) : स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिएशन बिल नं ० 4 पर चर्चा हो रही है । इसके द्वारा 1,37,68,36,032 रुपये मांगे गए हैं । मैं इसका समर्थन करता हूँ । इसमें 107 करोड़ 65 लाख रुपया तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी सेविंग्स में से मीट आउट कर लिया गया है । इसमें से बहुत सा रुपया ए०डी०एज० के रूप में दिया गया है और कुछ रुपया नैचुरल कैलेमिटीज के लिए दिया गया है । हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज, गरीब आदमियों, बीकर सैक्शनज, ऐक्स मिलिटरी मैन, ऐक्स टैरिटोइप्रयल आर्मी परसोनल्जें की विडोज और गवर्नमेंट सर्विस के दौरान जिनकी डैथ हो जाती है उनके हेयर्ज को सहायता देने के लिए इसमें पैसा रखा गया है । कुछ रुपया वाटर वर्कस के लिए भी दिया गया है । इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की परफारमैन्स' को देखते हुए सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने काँफी मदद की है । इस क्षेत्र में हरियाणा गवर्नमेंट ने काफी सराहनीय काम किया है । स्पीकर साहब, जो पैसा सैन्टर से आता है या स्टेट की नौन प्लान से खर्च होता है उसे यहां सही ढंग से खर्च किया जाता है । इस स्टेट के हर काम में ऐक्शन है और डिवेस्पमेंट है । पंचायत के इलैक्शनज इस सील बड़ी कामयाबी से हुए । उनके लिए भी 25.78 लाख रुपया दिया गया है । कुरुक्षेत्र जिले में 33 परसैट पंचायतों के इलैक्शन मुनानिमस हुए हैं ।

उनको भी इनाम के तौर पर कुछ रुपया दिया गया है । 54 लाख 82 हजार रुपये की लैन्डलैस लोगों के लिए रुरल ऐम्पलायमेंट की स्कीम है । यह बहुत अच्छी स्कीम है । सैन्ट्रल गवर्नमेंट से इसमें सैन्ट परसेंट ग्रांट है । स्पीकर साहब, कुछ सीजन ऐसा होता है जब खेतों में लोगों के लिए काम नहीं होता और न ही हम मजदूरों को डिवैल्पमेंट वर्कस पर काम दे सकते हैं । खेतों में भी किसानों को उतनी दिहाड़ी नहीं मिलती । इसलिए उन्हें स्पैशल काम देने के लिए यह किया गया है ताकि सरकार के डिवैल्पमेंट के काम भी हो सके और उन लोगों को भी काम मिल सके । सौ दिन एक कुनबे के लिए रखे गये हैं । सन 1984-85 के बजट में 84100 रुपये अनुसूचित जाति की फैमिलीज के लिए स्पैशल ऐड रखी गई है । सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स के ऐप्रोप्रिएशन बिल में डी०आर० डी० ए० स्कीम के तहत झोंटा बुग्गी, सुअर पालने और भैंसें खरीदने के लिए गरीब आदमियों को सहायता पहुंचाने हेतु पैसे का प्रावधान किया गया है ।

13.00 बजे

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उस बारे में मेरा निवेदन है कि टैन प्लस टू सिस्टम कुछ लागू किया गया है । हर जिले में दो-दो स्कूल खोले गये हैं । इन स्कूलों में इन्डस्ट्री के बारे यानी क्राफ्ट की ट्रेनिंग रखी गई है । 24 स्कूलों के लिए पैसा रखा गया है । गरीब सफाई मजदूरों के छ क्लास से 11 वीं क्लास तक के बच्चों के लिए रिवाडी तथा करनाल में होस्टल बनाने के लिए भी पैसे का प्रावधान किया गा है । इसी तरह से फ्रीडम फाइटर्ज के लिए 25 लाख रुपया

रखी गया है । यह पैसा मैडिकल ऐड तथा पेंशन आदि के लिए रखा गया है । अगर कोई व्यक्ति मर जाये और उसकी क्रिमेशन के लिए भी उस परिवार के पास पैसा न हो तो उसके लिए भी पैसा रखा गया है । इसी प्रकार ऐक्स सर्विसमैन की विडोज जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, के लिए 8 लाख रुपया रखा गया है । इन शब्दों के साथ में इस ऐप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि जो भी इसमें खर्चा दिखाया गया है वह ठीक और जायज है ।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : अध्यक्ष महोदय, जो चालू साल के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स पास हुए थे, उसके लिए ऐप्रोप्रिएशन बिल रखा गया है । जो भी खर्च होना था वह हो चुका । यह लेखा जोखा ठीक करने के लिए है । जैसा कि प्रिंसिपल ईश्वर सिंह जी ने बताया कि अधिकांश राशि ऐसी है जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट से ग्रान्ट के रूप में या दूसरी शकल में मिली है । तीस करोड़ रुपया आपसी फेरबदल करके खर्च किया गया है । उसका लेखा-जोखा हैड्ज में ठीक करने के लिए है । यह सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स पास हो चुके हैं ।

स्पीकर साहब, श्री राम विलास शर्मा गै एक कहानी सुनाई । राम बिलास जी इस समय हाउस में नहीं हैं । लेकिन उनके दो साथी बैठे हुए हैं । जो आदमी उनके करीब बैठे हें वे उनके दल के हैं । वे उन्हें समझा सकते हैं कि कहे ऐसा नहीं बोलना चाहिए । वे पहली दफा विधान सभा में मैम्बर बन कर आये हैं । बहुत रूचि लेते हैं लेकिन बात ऐसी करते हैं जो अच्छी नहीं लगती । कभी रेप, कभी क्राईम और कभी मर्डर का जिक्र करते हैं । छूएसे बोलते हैं जैसे खुफिया ऐजेंसी का

आदमी बोल रहा हो और उनको इन सारी बातों का पता हो तथा बड़े भारी गैंग बनाने वालों के हिस्सेदार हों । ये बहुत जवान आदमी हैं । अभी उनका बहुत भविष्य है । ऐसी चीजों की ओर उन्हें अपना माइंड डायवर्ट नहीं करना चाहिए । इसलिए मैं विज साहब से कहूंगा कि अपार वे आप की बात मानते हैं तो उन्हें समझायें । हमारे अजीज हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं लेकिन यह जो सैकैन्डेलाइज करने की बात है यह उन्हें पे नहीं करेगी । वे बहुत अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं । (विधन)
..... (विधन)

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड न किया जाये ।

चौधरी कटार सिंह छोकर: मास्टर शिव प्रसाद जी, मैंने तो यह कहा था कि विज साहब जी उन्हें अच्छी सलाह दे दें ताकि वे ऐसी बात हाउस में न करें । अगर आपको बुरा लगता है तो उन्हें और हौंसला दें ताकि वे और गलत बातें कहें । मुझे क्या दिक्कत है । लेकिन जो बात उन्होंने उठाई है यह गलत है । कभी कहते हैं कि मंत्रियों के लिए कारें दूध लेने के लिए जाती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं और कभी कमला नामक लेडी की तलाश की बात करते हैं । इस बारे में पहले भी हाउस में जिक्र आ चुका है । इन्होंने यहां हाउस में मांग की कि जब तक कमला नहीं आ जाएगी तब तक मैं कहने से नहीं रूकूंगा ।

इस बारे में पहले ही सवाल का जवाब आ चुका है । मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया फिर यहां बार-बार जिक्र करने की क्या आवश्यकता है? इसी तरह से नारनौल के रेप के केस का जिक्र किया । ये सारी बातें हाउस में पहले ही उठ चुकी हैं । अध्यक्ष महोदय ये रूटीन की बातें हैं । स्पीकर साहब, ऐक्साइज डिपार्टमेंट में बंगलिग की बात कही गई । यह रूटीन की बात है कि जो भी अधिकारी चहा पर है और जिस किसी की भी टैक्स लगाने की पावर है वह असैसमेंट करके और जांच पड़ताल करके टैक्स लगाता है । वहां पर कुछ नियम बने हुए हैं, रेट्स हैं उनके हिसाब से टैक्स लगाया जाता है । कुछ अधिकारी जानबूझ कर भी गलत कर देते होंगे लेकिन आडिट होता है, टैस्ट आडिट होता है और दूसरे आडिट होते हैं । अपार वे गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं । इसमें अनयूजवल बात कौन सी है, सकन्डैलाइज करने वाली बात कौन सी है? आम रूटीन में अधिकारी काम करते हैं । गलती भी होती है, कुछेक हेराफेरी भी करते हैं उनके साथ हिसाब से निपटा जाता है, बाकायदा आडिट होता है, रिपोर्ट आती है, उन्हें प्रोसैस किया जाता है, उनके खिलाफ प्रोसिक्पूशन होती है, ऐक्शन होता है, रिकवरी होती है या दूसरे ढंग से पैनेलाइज किया जाता है । तो इस प्रकार उनके खिलाफ ऐक्शन लेने के तरीके बने हुए हैं ।

बहन चन्द्रावती जी ने जो सुझाव दिये वे नोट कर लिए हैं इन्होंने यह भी कहा कि पुलिस वालों को खाना आदि ठीक तरह से नहीं मिलता है । मुझे इनकी बात समझ नहीं आई कि किस तरह से

उन्हें खाना और पीने का पानी ठीक नहीं मिलता? (विधान) बहन जी गांवों के छोरों की बात कह रही थीं । अगर उन्हें पानी की दिक्कत है या खाने की दिक्कत है तो हमें भी उनका उतना ही ख्याल है जितना आपको है । अगर आप ही ज्यादा उनकी ठेकेदार हों तो दूसरी बात है वरना हमारी ओर से उन्हें हर प्रकार की सहूलियत दी जाती है । फिर भी हम देख लेंगे (शोर) बहन जी हम भी कोई बाहर से नहीं आये । हम कोई इम्पोर्टिड नहीं हैं । हम भी यहीं के रहने वाले हैं और आपसे अधिक ध्यान रखते हैं । मैं बहन जी को आपके जारिए बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि सिपाही को पानी या खाना टाईम पर नहीं मिलता यह विधान सभा में उठाने वाली बात नहीं थी । यह कोई बड़ी भारी प्रोब्लम नहीं है और आप जैसी पुरानी विधायिका के लिए यह कहना अच्छा नहीं लगता है । यह कैसे हो सकता है कि उन्हें खाना और पानी टाईम पर नहीं मिलता ।

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । हम तो गरीब आदमियों के नुमाइन्दे हैं और गरीब आदमी खुद हैं । जो गरीब आदमी हैं, चाहे वे छोटे रैंक के लोग हों उन्हीं की बात हम करते हैं । आप तो बड़े राजनैतिक लोगों की बात कर सकते हो हम नहीं करते । हम तो कन्डक्टर, ड्राइवर, पुलिस कंस्टेबल या दूसरे जो सफरर्ज हैं, अन्डर डौगज हैं, उनकी ही बात कहते हैं और आगे भी कहेंगे ।

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । बहन जी ने कंडक्टरज और ड्राइवर्ज की बात कही । जब से इस सरकार ने टेक-ओवर किया है तब से कंडक्टरज और ड्राइवर्ज

को जो सहूलियत दी गई हैं वे शायद आज तक किसी भी सरकार ने न दी हो । बहन जी को भी लगभग 20 साल पोलिटिक्स में हो गये हैं । आज ये उनकी चिंता कर रही हैं इससे पहले इन्होंने चिन्ता नहीं की । आज के दिन उनकी सर्विसीज पैन्शनेबल हो गई हैं, पहले नहीं थीं । वे अब कई तरह हे भत्ते तथा हर तरह की दूसरी फैसेलिंटीज ले रहे हैं ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ही निराधार बात है कि उनको पानी नहीं दिया जाता या खाना नहीं दिया जाता । इसका कोई बेसिज नहीं है । यह बात ऐसे ही उठाई गई है । वहां पर हर चीज की व्यवस्था ठीक है । अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस बिल को पास किया जाये ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिडचूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिडचूल बिल का शिडचूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैकिटिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि अनैकिटिंग फार्मूला बिल का अनैकिटिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir,
I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए ।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा) : स्पीकर साहब, फूड एण्ड सप्लाय के बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हजारों क्विंटल गेहूँ खराब हो रही है । उसके जो स्टॉक रखे हुए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । इस बारे में जो 1981-82 की रिपोर्ट है, उसका हैडिंग ही है : मिसएप्रोप्रिएशन आफ व्हीट स्टॉक । इसमें एबनोर्मल स्टॉक की बात भी कही गयी है । उससे जो लोगों को गेहूँ खाने को मिलता है, वह —महंगा मिलता है या फिर वह डैमेज्ड होता है । जिन लोगों को भी वह सप्लाय किया जाता है, वे उसे खाकर बीमार हो जाते हैं । मैं यह कहना चाहती हूँ — कि कम से कम गवर्नमेंट को जिम्मेदारी से तो कोई काम करना चाहिये । वेयरहाउसिज में जो अनाज स्टॉक किया जाता है, उसमें बहुत हो लापरवाही बरती जाती है । फिर

उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है । इसी तरह से विजीलैस डिपार्टमेंट ने भी इनके एक इंस्पैक्टर के खिलाफ इन्क्वायरी की थी । उनके खिलाफ कुरुक्षेत्र में 184 क्विंटल गेहूं कम मिली जिसकी कीमत 24,000 रुपये है । वह मामला भी यों का यों अभी तक पड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है । इसी तरह से डिपार्टमेंट ने फिजीकल वैरीफिकेशन के समय 415.69 क्विंटल की शॉर्टेज पायी है । इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिपोर्ट में लिखी गयी है । 2207.57 क्विंटल गेहूं की जर्मिनेशन पावर नहीं । अब आप देखिये । उस गेहूं की कीमत 2.10 लाख रुपये के करीब है । इसी तरह से लाखों क्विंटल गेहूं, जब बरसात होती है, बाहर पड़ा रहता है, गवर्नमेंट कोई ऐक्शन नहीं लेती है और वह खराब हो जाता है । कई बार उसमें से कुछ गेहूं दूसरे प्रान्तों में भेज दिया जाता है लेकिन कई बार वहां से वापिस भी आ जाता है । मैं यह समझती हूँ कि यह जो शॉर्टेज है, यह मिस-एप्रोप्रिएशन के समान है । मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगी कि ऐसे मामले में यह जरूर इंकवायरी करवाये ।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत) : स्पीकर साहब, यह जो एप्रोप्रिएशन किस के लिये मन्जूरी मांगी जा रही है, यह खर्चा करने को तो यह करेंगे ही....

श्री अध्यक्ष : करेंगे नहीं, यह तो कर चुके हैं ।

श्री फतेह चन्द विज : आपकी बात ठीक है कि कर चुके हैं । मैं सरकार का ध्यान एक दो बातों की तरफ ही दिलाना चाहता हूँ । मैं

ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से एक बात कहना चाहता हूं । दों-तीन साल से एक बात कहता आ रहा हूं । शहरों के अन्दर पहले जो प्राइमरी स्कूल होते थे, वे नगरपालिका द्वारा चलाये जाते थे । वे सारे किराये के मकानों में चलते थे । किसी का किराया 5 रुपये महीने का, किसी का 10 रुपये महीने का तो किसी का किराया 15 रुपये महीने का है । यह स्कूल 40-50 साल से इन मकानों में चल रहे हैं । इसी किराये पर चल रह हैं । रिहेबलीटेशन विभाग ने इन मकानों में से कुछेक को नीलाम कर दिया और कोई 10 हजार में तो कोई 15 हजार में बिक गया है । मैं एक बात की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । ये मकान सारे प्रदेश में धीरे-धीरे गिरते जा रहे हैं । इनके मकान मालिक क्या करते हैं जिस दिन बरसात थोड़ी सी हो रही होती है, उस दिन रात के वक्त किसी लड़के को छत पर भेज देते हैं । वहां से वह थोड़ी सी मिट्टी उठा देते हैं । धीरे-धीरे से बरसात में कमरे की छत बैठ जाती है । मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे स्कूलों के कमरे आहिस्ता-आहिस्ता गिरते जा रहे हैं । वे ऐसा इसलिये कर रहे हैं ताकि वे प्लाट बन जायें और शहरों में एक प्लाट की कीमत एक लाख दो लाख के बीच में उनको मिल जायेगी जबकि उनका किराया केवल 10-15 रुपये महीने का है । सरकार ने आज तक भी उन मकानों को ऐक्वायर नहीं किया है । अगर ये सारे ही स्कूल एक या दो साल के बाद गिर जायेगे और सरकार को नयी बिल्डिंगें बनानी पड़ गयी तो क्या सरकार उनके लिये 15- 20 लाख रुपया खर्च करने की स्थिति में होगी? मेरा कहना है कि उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । एक बात में सिलेबस के बारे में कहना चाहूंगा । मैं शिक्षा मंत्री जी का

ध्यान इस ओर विशेष रूप से खींचना चाहता हूँ । 4- 5 दिन पहले एक अखबार में कार्टून आया था । एक बाबू घर आ रहा था । उसने हाथ में गधे की रस्सी पकड़ी हुई थी उसकी घरवाली बाहर खड़ी थी । वह कहने लगी, यह क्यों ले आये हो, इसका क्या करेंगे? वह कहने लगा कि बच्चे को कल को दाखिल कराना है, कच्चे की किताबें लाद कर ले जानी हैं । मैं शिक्षा मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल (मुढाल-खुर्द) : स्पीकर साहब, हरियाणा में बड़ी जबरदस्त अनएम्पलायमेंट है 10 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवक बेरोजगार हैं । उनके लिये इस बजट में और इस ऐप्रोप्रिएशन बिल में कुछ न कुछ रखना चाहिये था । एक करोड़ या दो करोड़ उनके लिए अनएम्पलायमेंट अलाउन्स देने के लिये रखना चाहिए था ताकि उनको भी कुछ फायदा होता (व्यवधान व शोर) । इतनी जबरदस्त अनएम्पलायमेंट हरियाणा के अन्दर है इसका कोई हिसाब नहीं है । इनको मैट्रिकुलेट्स के लिये 100 रुपये, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिये 150 रुपये अनएम्पलायमेंट अलाउन्स देने के लिये 10 करोड़ रुपया इस बजट के अन्दर रखना चाहिये था । तब इसको सही मायनों में ऐप्रोप्रिएशन बिल कहा जा सकता था लेकिन अब इसको मिस-ऐप्रोप्रिएशन बिल ही कहा जायेगा । गांवों के लोगों में बेरोजगारी को दूर करने के लिये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज गांव-गांव के अन्दर लगायी जानी चाहियें । यह समस्या सारे देश के अन्दर है । हमारे प्रदेश के अन्दर कैपिटल और लैंड दौनों मिलती हैं और लेबर फोर्स

अनलिमिटेड है । उसको इस्तेमाल करने के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए जिससे दंश की गरीबी मिटे, डिसपैरिटी मिटे और खुशहाली बडे । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा पैसा रखना चाहिए था । सरकार ने बार बार एलान किया है कि अनएम्पलायमेंट दूर की जाएगी । मेरा कहना है कि हरियाणा में 6669 गांव हैं । अगर सरकार गांव वाइज दो इंडस्ट्रीज लगाती और एक इंडस्ट्रीज में दो आदमी भी लगाती जाती तो इससे कितनी अनएम्पलायमेंट दूर होती । लेकिन इस सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है । इस सरकार का ध्यान तो सेठों की तरफ है । किसी को बीस लाख की सबसिडी देगी और किसी को दस लाख की सबसिडी देगी । स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर की एक तरह से बड़ी जबरदस्त ऐक्सप्लोएटेशन हो रही है । गांव के किसान की कपास की फसल बरबाद हो गई, चने की फसल बरबाद हो गई, सरसों की फसल बरबाद हो गई और जब हम उस किसान के नुकसान के लिये कम्पनसेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है, हरियाणा बरबाद हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी । मैं तो कहता हूं कि दस पांच का और डिफैक्शन करा लेना । स्पीकर साहब, पंजाब सरकार ने किसानों को छब्बीस करोड़ का कम्पनसेशन दिया है जबकि वहां पर पापुलर गवर्नमेंट नहीं है । अगर यहां पर चने की फसल के लिए, सरसों की फसल के लिए और कपास की फसल के लिए मुआवजा इए दिया जाए तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष : अब आप खत्म कीजिए । आप का टाईम खत्म हो चुका है ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक (जुलाना) : स्पीकर साहब, पैसा शहर पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, देहात पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है और इस तरह से देहात का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है जबकि देहात में अस्सी प्रतिशत लोग रहते हैं । देहात में सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता । देहात में एक साल के अन्दर एक हफ्ता सफाई का मनाना चाहिए । स्पीकर साहब, गांवों के अन्दर लैटरिंज बनी हुई हैं लेकिन वहां पर पानी का इन्तजाम नहीं है । जब तक वहां पानी का इन्तजाम नहीं होगा लैटरिन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बगैर पानी के सफाई नहीं हो सकती । स्पीकर साहब, गांव में अनाडी वैद्य बैठे हैं । ऐसे लोग वहां बैठे हैं जिनको किसी दवाई का पता नहीं है और न किसी इन्जेक्शन का पता है लेकिन उन्होंने दुनिया भर के लाइसेंस ले रखे हैं । पहले एक रजिस्ट्रार था जो पैसे लेकर सर्टिफिकेट दे देता था । अग. किसी को कोई बुखार हो जाए तो उसको पता नहीं लगता कि किस किस्म का बुखार है । जो अच्छे किस्म के डाक्टर है उनकी प्रमोशन हो जाती है और वे गांव में नहीं रहते । मुझे एक डाक्टर मिला । वह कहने लगा कि मेरी प्रमोशन हो गई है । मैं देहात में नहीं रहना चाहता क्योंकि वहां पर बच्चों को ऐजुकेशन का कोई इन्तजाम नहीं है इसलिए वे सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं या सरकारी नौकरी पर ही केवल शहर में रहना चाहते हैं । मैंने जीन्द के अस्पताल में देखा कि वहां पर तीन-तीन साल से वैहिकल्ज खड़े हैं और वे बेकार हैं 9 उनको डिस्पोज औफ किया जाए और नई गाड़ियां उनकी जगह ली जाएं । जींद से अस्पताल में लाइट का कोई इन्तजाम नहीं है । देहात से जो

लोग आते हैं उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता । अभी तीन चार दिन हुए । एतबार को, एक गरीब का हाथ टोके से कट गया । सारे डाक्टर देहात में चले गए क्योंकि सुरजेवाला 'जी का कोई फंक्शन था । वहां पर न बिजली थी न पानी था । शाम को साढ़े आठ बजे उसका इन्तजाम हुआ । स्पीकर साहब, उसके कमरे में आठ चारपाई थी और कोई लाइट नहीं थी । मैंने पूछा कि डाक्टर लोग इंजेक्शन कैसे लगाते हैं तो. मुझे बताया गया कि हरेक मरीज अपनी मोमबत्ती लाता है और जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो मोमबत्ती जलाकर लगा दिया जाता है । स्पीकर साहब, 1977 में रूरल एरियाज के लिए एक मैडीकल स्कीम शुरू की गई थी । उस स्कीम के अन्डर तृक हजार की आबादी के लिए एक सी० एच ० वी ० (कम्युनिटी हैल्थवाल्नटीयर) लगाना था और उन वाल्नटीयर्ज को ट्रेनिंग देने के लिए मैडीकल औफिसर लगाने थे । वह स्कीम फेल हो गई । एक ने तो बगैर किसी काम के फरवरी, 1982 में चौबीस हजार रुपया ले लिया । उसने आदमपुर में काम किया लेकिन पेमेंट हिसार से ले ली । इस तरह से उसने हिसार में कोई काम नहीं किया । रोहतक में नौ मैडीकल औफिसर लगाए और हिसार में सात लगाए थे लेकिन इन सौलह मैडीकल औफिसर्ज ने कोई ट्रेनिंग देने का काम नहीं किया और अढ़ाई लाख रुपया ले लिया ।

अब मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं इस महकमें में भी काफी इररेंगु- लेरीटीज हैं । 5 करोड़, 92 लाख 20 हजार रुपए के चार सौबीस केसिज पैंडिंग हैं । जुलाना में पीने के पानी की बहुत कमी है । निडाना, लालतखेडा, बरोखेडा, पोली, हथवाला और किला

जफरगढ में पानी की कोई स्कीम नहीं है । स्पीकर साहब, आज की ऐजुकेशन सिर्फ क्लर्क पैदा करती है या अनएम्पलाएड पैदा करती है । डी ० पी० आई० ने एक किताब छापी है लखमी चन्द की और उसको स्कूलों के लिए तथा लाइब्रेरीज के लिए कम्पलसरी कर दिया है । स्कूलों के लिए इस किताब की कीमत 75 रुपये रखी है । यह मिसयूज आफ फण्डज है । स्कूलों में डम्बल और जैम्बलिंग लागू किए हैं जो कि पांच सौ से एक हजार रुपए तक आते हैं और छः महीने से ज्यादा नहीं चलते । यह भी वेस्टेज आफ मनी है । स्कूलों में पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि नया फर्नीचर कमीशन के लोभ में खरीदा जाता है । इस तरह से पैसे की वेस्टेज होती है । स्पीकर साहब, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है—

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the next three Appropriation Bills on the order paper relate to the regulation of excess demands over grants for the years 1978-79, 1979-80 and 1980-81. Since these demands have already been discussed and voted upon, I think, no hon. Member would now like to speak on these Bills.

श्रीमती चन्द्रावती : इस पर हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे । इसमें कई जरूरी बातें हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह तो पुराना खर्चा है । अब तो यह बिल उसको रैगुलेराइज करमें के लिए हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती : आप थोड़ा सा टाईम बढ़ा लीजिए । यह बहुत जरूरी बिल है । आपको ताजे खर्चों के बारे में भी बताएंगे । मैं गबन की बात भी बताऊंगी ।

श्री अध्यक्ष : यह तो 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में जो ज्यादा खर्चा हुआ है उसको रैगुलेराइज कशने की बात है । इस पर आलरेडी डिसकशन हो चुकी है ओर डिमांडज भी वोट हो चुकी है । अब मेरे ख्य-। ल में इन बिलज पर कोई डिसकशन की गुजांइश नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, अगर थोड़ा बोल लेने दो तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । हाउस 20 मिनट के लिए ऐक्सटेन्ड किया जाता है ।

कुछ आवाजें : हाउस का समय बेशक एक घंटा बढ़ा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : एक घंटा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

बिल्ज (पुनरारम्भ)

(3) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 1) बिल, 1984

(4) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए शन (नं ० 2) बिल, 1984

(5) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं ० 3) बिल, 1984

श्री अध्यक्ष : अब फाईनैस मिनिस्टर ऐप्रोप्रिएशन बिल (नं ० 1) को इन्ट्रोड्यूस करेगे और उसको कसीडर करने के लिए मोशन मूव करेगे ।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला)
: स्पीकर साहब, इन तीनों बिलों को इक्वटा टेक अप कर लिया जाए और मैम्बर्ज इनको इक्वटा डिसकस कर ले ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस की सेंस है कि ये तीनों बिल्ज इक्वटे टेक अप कर लिए जाएं ।

The hon. Members can speak on these Bills but at the conclusion of the discussion, the motions in respect of these Bills will be put to vote separately.

Now, I will request the Finance Minister to introduce these Bills and also move motions for their consideration.

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I beg to introduce-

- (i) the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1984 ;
- (ii) the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1984; and
- (iii) the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1984.

I also beg to move-

(i) That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

(ii) That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

(iii) That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motions moved-

(i) That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

(ii) That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

(iii) That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा) : जनाब, स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा फाइनेंशियल कारपोरेशन है इसके खिलाफ बहुत सी फ़ैक्चुअल चीजें हैं जो कि मेरे नोटिस में आई हैं । इनको जनाब, मैं आपकी इजाजत से गवर्नमेंट के ध्यान में लाना चाहती हूँ ।

The Managing Director of the Financial Corporation undertook an extension of his one kanal house at Chandigarh at a cost of Rs. 3 lacs. Resources may be investigated.

Shri V.K. Rai, General Manager of the Corporation had purchased land at Shahzadpur, Tehsil Jagadhri, from a cold storage owner of the village Loni

Mr. Speaker: Madam, can you read the notes like this ?

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, हम यहां पर पढ़ कर कोट तो कर सकते हैं । कारपोरेशन के सेक्रेटरी ने 250 सक्वेयर गज का एक प्लॉट चण्डीगढ़ में सैक्टर 40 में 80 हजार रुपये में लिया है । एम ० डी ० और जी ० एम ० साहब गोवा वगैरह गये हैं और इ सका पता ही नहीं लगता कि वे किस लिए गोवा गये थे । मेरे पास ट्रीब्यून में से कटिंग है । इसमें सब कुछ लिखा हुआ है । मैं इसे हाउस के छ पटल पर रख देती हूँ । अगर यह गलत है तो सरकार इसकी जांच करवा ले, पता चल जाएगा इस तरह के अनआथोराइज्ड काम ये कर रहे हैं । जांच करवा कर देख लेवें, पता चल जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : देखिये बहन जी, जो आदमी यहां पर हाजिर नहीं हैं वे कैसे अपने आप को डिफ़ैन्ड कर सकते हैं? यह दामाद और मीनाक्षी वाली बात कार्यवाही में से निकाल दी जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान) जनरल मैनेजर और सेक्रेटरी, फाइनेन्स का मिस-यूज कर पे हैं । हमारा यह फर्क बनता है कि हम जो! सरकारी फाइनेन्स है, लोगों का पैसा है, उसके मिसयूज को रोकें और यहां हाउस में उस बारे में बताएं कि फलां फलां जगहों पर जनता के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है । (शोर) लेकिन हमारी इन सारी बातों को ये ऐक्सपन्ज करवाना चाहते हैं । (विघ्न) The entire insurance business is given to the New India Assurance Co. क्योंकि वहां पर एम ० डी ० के छोटे भाई अम्बायंटिड हैं । इसी तरह से कारपोरेशन का ऐनुअल अकाउंट भी ठकि से औडिट नहीं हुआ है । उसका औडिट कम्पोलर एंड औडिटर जनरल से होना चाहिये । इसके बाद मैं यह बताऊंगी कि 36 हजार रुपये की राशि जनरल मैनेजर को ऐक्स-ग्रेशिया के तौर पर पे हुई है फिर मैडीकल का बिल है । कितनी बड़ी राशि पे की गयी है? कितनी हैरानगी की बात है, सर । एक और बात मैं आपको बताऊं कि डेली ऐन्टरटैनमेंट का इनका ऐवरेज बर्मा लगभग 200 रुपये का है । (विघ्न)

चौधरी कटार सिंह छोकर : बहन जी, आप किस साल की बात कर रही है?

श्रीमती चन्द्रावती : इसी साल की बात कर रही हूं । स्पीकर सर, इन्होंने जी ० एम ० और सेक्रेटरी साहब के कैबन्ज को रेनोवेट करने के लिये, तैयार करने के लिये लगभग 1 करोड़ रुपये का खर्चा कर दिया है और इसी साल, 1984 में ही किया है । तो ये बताएं कि

यह पैसा, इतनी बड़ी राशि किस लिये खर्च की गयी है? (विघ्न) स्पीकर साहब, अगर 4 साल पहले भी इन्होंने खर्च किया है और उसमें गबन वगैरह किया गया हो तो क्या हम उस बात को भी यहां पर बता नहीं सकते?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) : यह जो ऐप्रोप्रिएशन बिलज नं० 1, 2 व 3 हैं, इनका खर्चा वर्ष 1978— 79, 1979— 80 और 1980— 81 में हो चुका है लेकिन लीडर आफ दी अपोजीशन 1984 की फिगर्ज पद रही हैं जिनकी कोई रिलेवैन्सी नहीं है । इस तरह से गलत फिगर्ज कोट करने का क्या फायदा है?

श्रीमती चन्द्रावती नेहरा : साहब, ऐप्रोप्रिएशन बिल में फाइनेन्स से जो बात ताल्लुक रखती हो उस पर हम बोल सकते हैं । आप से हमें कोई बात सीखने की जरूरत नहीं है ।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : स्पीकर साहब, ये जो तीन ऐप्रोप्रिएशन बिलज इक्वेटे हाउस ने कंसिडर किये हैं, इनके सप्लीमेंट्री ऐस्टीमेट्स हाउस द्वारा पहले ही पास हो चुके हैं । यह सारा खर्चा वर्ष 1978— 79, 1979—80 और 1980— 81 का है यानी कांग्रेस सरकार के आने से पहले का है । जो कमियां पहली सरकार छोड़ गयी थी, हम तो केवल उनको रेगुलेराईक करने जा रहे हैं । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । एक बात एच ० एफ ० सी ० की वर्किंग के बारे में बहन जी ने कही है कि इसकी वर्किंग ठीक नहीं है और यह घाटे में है । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी कारपोरेशन है जो

हर साल मुनाफे में जाती है । दूसरी बात बहन जी ने एम० डी ० के प्लॉट के बारे में भी कही है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक प्लॉट्स खरीदने या बिल्डिंग की ऐक्सनैटेशन करने की बात है, इसके लिये सरकार अपने एम्पलाईज को ऋण भी देती है जिससे गवर्नमेंट सरवैन्ट अपने मकान वगैरह की रिपेयर, ऐक्सटैन्शन करवा सकते हैं । यह कोई अन-यूजअल बात नहीं है । एम ० डी ० के बारे में, मैं यह कह सकता हूँ कि उनकी वर्किंग निहायत ही अदब-बोर्ड है और वह एक निहायत ही ईमानदार अफसर है । जहाँ तक जनरल मैनेजर का ताल्लुक है वह स्टेट बैंक वालों का आदमी है और वह यहाँ डैपुटेशन पर आता है । बैंकिंग के हिसाब किताब के लिये वह कारपोरेशन में होता है और हो सकता है कि वह अपने प्लॉट व मकान बनाने के लिये अपने बैंक से लोन लेता हो । उसके इस काम के लिये कि वह आदमी सर्विस में कोई गड़बड़ करता है, या नहीं करता है, बैंक ही जिम्मेदार है । हमारे पास तो वह डैपुटेशन पर है । जब उसका डैपुटेशन का पीरियड पूरा हो जाएगा तो वह चला जाएगा । लेकिन फिर भी चूँकि बहन जी कह रही हैं कि उन्होंने इतनी जमीन ले ली, इतना लोन ले लिया और फ़ैक्टरी वगैरह लगा रहे हैं, हम इसकी जांच करवा लेते हैं । अगर वह ऐसा आदमी है, अन-सूटेबल होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । इन लपजों के साथ, मैं स्पीकर साहब आपसे रिकवैस्ट करूँगा कि इन एप्रोप्रिएशन बिल्लज को पास किया जाए ।

Mr. Speaker : Now I will put the motions relating to the Haryana Appropriation (No. 1) Bill to the vote of the House.

Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर कलाज बाई कलाज विचार करेगा ।

कलाज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिडचूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिडचूल बिल. का शिडचूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनौक्टाग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि अनौक्टाग फार्मूला बिल का अनौक्टाग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir,
I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Mr. Speaker : Now I will put the motions relating to the Haryana Appropriation (No. 2) Bill to the vote of the House.

Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा ।

क्लाज— 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है —

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लोज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिडचूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है

कि शिडचूल बिल का शिडचूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैकिटिंग फार्मूला '

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि अनैकिटिंग फार्मूला बिल का अनैकिटिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir,
I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Mr. Speaker : Now I will put the motions relating to the Haryana Appropriation (No. 3) Bill to the vote of the House.

Question is—

That the Haryana Appropriation ;No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा ।

क्लोज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिडचूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिडचूल बिल का शिडचूल हो । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कलाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir,
I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल (मुंडाल खुर्द) : स्पीकर साहब, मैं सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के तहत एक बात कहना चाहता हूँ । गांवों में टोके से या थ्रैशर से सैकड़ों बहिन भाईयों के हाथ कट जाते हैं और वे हैंडीकैप हो जाते हैं । पंजाब में इस तरह का प्रोवीजन है कि उनके ऐग्रीकल्चरज मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से 5— 10 हजार रुपये रंक ऐसे हैंडीकैप्ड लोगों को दिए जाते हैं और कुछ पेंशन वगैरह भी देते हैं । हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी इस किस्म का प्रोवीजन करते जिससे उन लोगों की जिन्दगी का बसर हो सकता । अब ऐसे केसिज

में मैडिकल किया जाता है और परसैटेज के हिसाब से हैंडीकैप डिकलेयर किया जाता हुं और परसैटेज के हिसाब से ही पैसे दिए जाते हैं । अगर किसी का हाथ कट जाए तो वह बेकार हो जात है । न तो वह खेती में लामनी कर सकता है और न ही कोई और काम कर सकता है । तो अगर यह रिलीफ देने का प्रोयीजन करते तब तो हम इसे ऐप्रोप्रिएशन बिल मानते । अब तो यह सारा मिसूऐप्रोप्रिएशन है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हुं---

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब हाउस सोमवार, 2 अप्रैल 1984 को बाद दोपहर दो बजे तक ऐडजर्न किया जाता हैं ।

13.47 बजे

तत्पश्चात सदन सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को दोपहर बाद 14 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)